ISSN : 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का
समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल

वर्ष 21 | अंक 1 | जून 2023

www.mpissr.org

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

संरक्षक

प्रोफेसर गोपालकृष्ण शर्मा

सम्पादक

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

उप-सम्पादक

डॉ. आशीष भट्ट
डॉ. सुदीप मिश्र

सलाहकार मण्डल

प्रोफेसर अनिल कुमार वर्मा
समाज एवं राजनीति अध्ययन केन्द्र, कानपुर (उ.प्र.)

प्रोफेसर बदरीनारायण
गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज (उ.प्र.)

प्रोफेसर मणीन्द्रनाथ ठाकुर
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रोफेसर संजय लोढ़ा
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

प्रोफेसर डी.एम. दिवाकर
ए.एन. सिन्हा समाज विज्ञान संस्थान, पटना (बिहार)

प्रोफेसर सन्दीप जोशी
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

ISSN 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

वर्ष 21 जून 2023 अंक 1

सम्पादक
प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

उप-सम्पादक
डॉ. आशीष भट्ट
डॉ. सुदीप मिश्र

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार
एवं उच्च शिक्षा मन्त्रालय, मध्यप्रदेश शासन का स्वायत्त शोध संस्थान)
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र
उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश)

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा प्रकाशित ***मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल*** अन्तर्विषयक प्रकृति का समीक्षीत अर्द्धवार्षिक जर्नल है। जर्नल के प्रकाशन का उद्देश्य समाज विज्ञानों में अध्ययन एवं अनुसन्धान को बढ़ावा देना तथा समसामयिक विषयों पर लेखकों एवं शोधार्थियों को लेखन एवं सन्दर्भ हेतु समुचित अवसर प्रदान करना है।

समाज विज्ञानियों एवं शोधार्थियों से भारतीय एवं क्षेत्रीय सन्दर्भों पर सम-सामयिक विषयों यथा - सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, विकासात्मक, प्रशासनिक मुद्दों, समस्याओं एवं प्रक्रियाओं पर शोधपरक आलेख, पुस्तक समीक्षा आदि आमन्त्रित हैं।

जर्नल में प्रकाशित शोध आलेखों में प्रस्तुत किये गये तथा व्यक्त किये गये विचार और टिप्पणियाँ सन्दर्भित लेखकों की हैं। इन्हें सम्पादक अथवा संस्थान के विचारों के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये।

सदस्यता शुल्क

वार्षिक		प्रति अंक	
संस्थागत	रु. 400.00	संस्थागत	रु. 200.00
व्यक्तिगत	रु. 300.00	व्यक्तिगत	रु. 150.00

जर्नल हेतु सदस्यता शुल्क बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा निम्न पते पर भेजें

निदेशक
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र
उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश)
दूरभाष - (0734) 2510978, फैक्स - (0734) 3510180
e-mail: mailboxmpissr@gmail.com, mpissr@yahoo.co.in
web: mpissr.org

ISSN 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)

वर्ष 21 जून 2023 अंक 1

भारत के अंतर्गत विपक्षीय विमर्श एवं संविधानवाद 1
- जया ओझा

विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वानुमान में वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि की भूमिका 13
- सुमित गंगवार एवं शिरीष पाल सिंह

ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत एवं कृषि का योगदान 31
- लोहित राम एवं रामबाबू

अन्ना आन्दोलन - दिल्ली में बदलती चुनावी राजनीति और आम आदमी पार्टी का उदय 41
- राकेश कुमार

सांस्कृतिक समाज : भारत में सांस्कृतिक व राजनीतिक अंत:क्रिया की सामाजिक अभिव्यक्ति 53
- आशीष कुमार शुक्ल

भारत में मद्यनिषेध और महात्मा गाँधी की विचार दृष्टि 72
- आशुतोष शरण एवं सुनील महावर

पूर्व माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन 90
- संजीव कुमार शुक्ला

शिक्षा में नवाचार, शिक्षक तथा शिक्षक-शिक्षा का दृष्टिकोण और मिश्रित अधिगम : अवसर एवं चुनौतियाँ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में' **97**
- शालू तिवारी

प्रधानमंत्री जन धन योजना : काशी विद्यापीठ विकासखंड के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव **104**
- प्रवीण कुमार, मनीष सेठ एवं अमित कुमार तिवारी

भारत में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने में सार्वजनिक नीति के रूप में मनरेगा की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन **113**
- अमित कुमार गुप्ता एवं रामबाबू

मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन: कोविड-19 महामारी के विशेष संदर्भ में **125**
- केशव टेकाम एवं आलोक कुमार विश्वकर्मा

पुस्तक समीक्षा
नदी पुत्र : उत्तर भारत में निषाद और नदी (रमाशंकर सिंह) **138**
- अजय कुमार

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 1-12)

भारत के अंतर्गत विपक्षीय विमर्श एवं संविधानवाद

जया ओझा*

भारतीय संविधान केवल मूल्यों एवं दर्शनों का बयान भर ही नहीं करता, अपितु इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने का भी प्रयास करता है। भारतीय संविधान उन नियमों को स्पष्ट करता है जिनके द्वारा शासकों का चुनाव किया जाता है; इसके साथ ही नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए एक सीमा निर्धारित कर देता है। इससे सरकार पर अंकुश लग जाता है। सरकार को निरंकुशता से बचाने के लिए एक तत्व विपक्ष है, जो सरकार की आलोचना करने का कार्य करता है और शासन को स्वेच्छाचारी, वंशवादी एवं निरंकुशतावादी होने से बचाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के अंतर्गत विपक्षी विमर्श एवं संविधानवाद का अध्ययन किया गया है जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विपक्ष की क्या भूमिका है साथ ही संविधानवाद से जोड़ते हुए विपक्षीय विमर्श पर चर्चा की गयी है। इसके साथ ही कुछ विपक्षीय आयामों को बताते हुए भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका का वर्णन किया जाएगा।

बीज शब्द - संविधान, संविधानवाद, लोकतंत्र, विपक्ष।

---

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: jojha@polscience.du.ac..in

"संविधान केवल उन लोगों की रक्षा नहीं करता जिनके विचारों को हम साझा करते हैं, अपितु यह उन लोगों की भी रक्षा करता है जिनके विचारों से हम असहमत होते हैं।"

- एडवर्ड कैनेडी

संविधान, विधियों या नियमों का एक लिपिबद्ध प्रलेख होने के साथ-साथ यह लोकतांत्रिक क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं का विकसित होने वाला 'सजीव तत्व' है, जो सरकार की नीतियों और कार्यों को संचालित करता है। संविधान का अर्थ उन नियमों से है जो सरकार के आधार का निर्णय तथा उसके प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। अत: संविधान के बिना किसी भी राज्य का शासन चलाना अत्यंत कठिन है; सरकार चाहे निरंकुश हो अपितु लोकतंत्रात्मक परंतु उनके संचालन के लिए सिद्धांतों एवं नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है और यह सिद्धांत और नियम एक संविधान ही प्रदान करता है। इस प्रकार संविधान के माध्यम से किसी भी राज्य का आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा सकता है। संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अथवा नागरिक, संस्था या समूह की भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। वहीं संविधानवाद एक ऐसे शासन की संकल्पना को प्रस्तुत करता है जो संविधान के अंतर्गत हो एवं सरकार के अधिकार को सीमित तथा कानून के अधीन करे। संविधानवाद मुख्यत: किसी भी स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन को नकारते हुए लोकतान्त्रिक सरकार पर बल देता है। भारत एक संसदीय प्रजातांत्रिक या लोकतान्त्रिक देश है जिसके अंतर्गत मौलिक एवं मूलभूत सत्ता जनता में निहित होती है। जनता अपने मत द्वारा प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि संसदीय प्रजातंत्र के आधार होते है। परंतु इस शासन में भी निरंकुशता के अवयव कई बार दिखाई देने लगते है इसलिए शासन को निरंकुश होने से बचाने के लिए कई विपक्षीय आयामों की आवश्यकता होती है जो सरकार की नीतियों एवं उनकी शक्तियों पर दृष्टि बनाए रखें। यह विपक्ष राजनीतिक और गैर-राजनीतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। किसी भी लोकतन्त्र को मजबूत बनाने में भी विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विपक्ष एक वैकल्पिक सरकार उपलब्ध कराता है। समान्यत: विपक्ष को एक 'वॉच-डॉग' या चौकीदार के रूप में देखा जाता है जो सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है तथा उसकी गलत नीतियों के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए उसकी आलोचना भी करता है। इससे शासन को निरंकुश होने से बचाया जा सकता है। अतएव, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

संविधान तथा संविधानवाद

किसी देश का संविधान, उसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी आधार निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत वहां की जनता शासित होती है। संविधान द्वारा राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे मुख्य अंगों की स्थापना की जाती है, एवं उनकी अभिन्न शक्तियों की व्याख्या की जाती है। संविधान इनके दायित्वों को भी सीमांकित

करता है। सुभाष कश्यप अपनी पुस्तक 'हमारा संविधान : भारत का संविधान और संवैधानिक विधि' के अंतर्गत कहते हैं कि प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है (कश्यप, 2005)। वह जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रकृति, आस्थाओं एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान सक्रिय संस्थानों का एक 'सजीव संघट्ट' है जो निरंतर पनपता रहता है इसका कोई अंत नहीं है। संविधान मानव द्वारा निर्मित होता है, इसके अंतर्गत सामूहिक गतिविधियां, 'मूलभूत सदाचारों' का समावेश तथा लोगों की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियां सम्मिलित होती है। संविधान निर्माण करने वाला कोई भगवान नहीं अपितु एक व्यक्ति होता है जो सामूहिक गतिविधियों द्वारा संविधान का निर्माण करता है (हन्ना, 1987)। अत: संविधान अपने अंतर्गत मूल्यों, विश्वासों, एवं आकांक्षाओं आदि को समाहित करता है। संविधान जनता की इच्छा से बनता है या इसे शासक से छीना जाता है, इस प्रकार यह अनुभव और जनता की आशाओं या उम्मीदों से पैदा होता है। संविधान के माध्यम से किसी भी राज्य का आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा सकता है, जिसके द्वारा हर व्यक्ति, संस्था या समूह की भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए डायसी अपने लेख 'लॉ ऑफ कॉन्सटीट्यूशन' में कहते हैं कि संविधान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राज्य की सर्वोच्च शक्ति के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। किसी भी शासन व्यवस्था में संविधान अनिवार्य है परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि संविधान मात्र आलेख या लिखित रूप में ही हो, यह अलिखित एवं परंपरागत नियमों पर आधारित हो सकता है। अर्थात संविधान उन समस्त लिखित एवं अलिखित नियमों और विधियों का समूह है जिनके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। अतएव, एक संविधान को सुनिश्चित करने के लिए केवल उसका प्रपत्र पर लिखा जाना आवश्यक नहीं है, इसको निर्धारित करने के लिए परंपराओं को भी केंद्र में रखा जा सकता है ।

संविधानवाद एक आधुनिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना की जाती है जो संविधान के अंतर्गत हो एवं जिसमें शासन या सरकार के अधिकार सीमित एवं कानून के अधीन हो। अर्थात संविधानवाद विधि तथा नियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की आकांक्षा करता है। शिबानी किंकर चौबे ने अपनी पुस्तक 'भारतीय संविधान रचना एवं कार्य' के अंतर्गत अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटिक्स में वर्णित संविधान के दो तरीके 'वर्णनात्मक' एवं 'मानकीय' स्वरूप को बताया। 'वर्णनात्मक' स्वरूप में अरस्तु का मानना था कि राज्य में सरकार सभी जगह संप्रभु है वास्तव में संविधान ही सरकार है। परंतु 'मानकीय' स्वरूप में अरस्तु का मानना है कि "संविधान राज्य में कार्यालयों की व्यवस्था है जो यह तय करता है कि नियंत्रक संस्था कौन होगी एवं प्रत्येक समुदाय की क्या जगह है। बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा साझा हितों के लिए राज्य का प्रशासन चलाने पर ऐसी सरकार को संविधान के नाम से जाना जाता है जिसे अरस्तु ने पोलिटी (संवैधानिक सरकार) कहा है। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक अच्छी सरकार संवैधानिक और सीमित होनी चाहिए। चौबे कहते हैं कि संविधानवाद की आधुनिक अवधारणा 'मानकीय' अर्थ से निकलती

है (चौबे, 2014), जो निर्देश देती है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करें एवं उसका पालन करें। संविधान के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अलावा सरकार के पास अन्य कोई शक्ति नहीं होती है, संविधानवाद के इस आधुनिक अवधारणा के जनक जॉन लॉक माने गए, लॉक व्यक्तियों को राजनीतिक या अंतिम संप्रभु मानते हैं। उनका मानना है कि वैधानिक सरकार 'शक्तियों के पृथक्करण' (मांटेस्क्यू) के विचार पर आधारित होनी चाहिए। संविधानवाद के अलग अलग उद्देश्य होते है, यह किसी भी देश की परिस्थिति के अनुरूप अपने उद्देश्य को निर्धारित करता है। सारटोरी अपने लेख 'कॉन्सटीट्यूशनलिज्म : अ प्रिलिमनरी डिस्कसन' के अंतर्गत संविधानवाद का अर्थ 'टेलोज' (उद्देश्य) द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि, फ्रांस और अमेरिका के संविधानवाद का उद्देश्य एक समान था जिसके अंतर्गत आधारभूत कानून, सिद्धांतों के मूलभूत समुच्चय तथा संस्थागत प्रयोजन की बात की गई, जो स्वेच्छाचारी शक्ति को प्रतिबंधित करता है एवं सीमित शासन को सुनिश्चित करता है। स्वेच्छाचारी, सत्तावादी अथवा सर्वाधिकारवादी जैसे शासनों के विपरीत, संवैधानिक शासन लोकतांत्रिक होता है तथा लिखित संविधान के द्वारा नियमित होता है। परंतु ऐसे भी देश है जहां लिखित संविधान तो है परंतु लोकतांत्रिक शासन नहीं है। अर्थात उनके पास संविधान तो है, किंतु संविधानवाद नहीं है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जैसे ब्रिटेन जहां पर लोकतंत्र एवं संविधानवाद दोनों है परंतु लिखित संविधान नहीं है।

भारत में संविधानवाद

संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों से शासकों को प्रतिबंधित और सीमित करती है। यह निरंकुश, उत्तरदायित्वहीन, गैर-प्रभावशाली तथा केंद्रीकृत सत्ता की व्यवस्था एवं प्रयोग की पद्धति का विरोधी है। भारत में भी संविधानवाद के गुण या विशेषताएं प्राचीन काल से ही परिलक्षित होते हैं, प्राचीन भारत के लिए लोकतंत्र प्रतिनिधात्मक संस्था, शासकों की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर सीमा एवं विधि के शासन की संकल्पना पराई नहीं थी, अपितु 'धर्म' की सर्वोच्चता की संकल्पना सीमित सरकार तथा विधि के शासन की संकल्पना से भिन्न नहीं थी (कश्यप, 2005)। प्राचीन समय में भी शासक धर्म से बंधे हुए थे उस समय धर्म ही सर्वोपरि कानून था। भारत के अनेक भागों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली एवं स्थानीय निकाय जैसी संस्थाएं विद्यमान थी। प्रतिनिधियों का चुनाव खुली सभा में किया जाता था। इन सब का वर्णन भारतीय विचारकों द्वारा किया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उल्लेख है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में दुराचारी शासन और कुशासन के लिए कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार भारत में संविधानवाद के गुण प्राचीन समय से ही परिलक्षित होते हैं, परंतु भारत को 1950 में जाकर अपना एक 'लिखित संविधान' मिला। जिसकी रचना संविधान सभा द्वारा 1946 से 1949 के समय में की गई जिसको भारत जन की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं एवं इच्छाओं का प्रतिफलन कहा गया। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सार्वभौम

सिद्धांतों तथा मानवतावादी भावनाओं या कहे कि उद्देश्य संबंधी संकल्प एक सुचिंतित व्यवहारिकता तथा प्रशासनिक ब्योरों के साथ मिलकर चलते हैं। भारतीय संविधान मूलत: एक सामाजिक दस्तावेज है (ग्रेनविल, 2017), जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है। इसे संविधान की 'अंतरात्मा' भी कहा जाता है। भारतीय संविधान देशीय भी है एवं विदेशी भी। भारतीय संविधान के अनेक स्रोत है जिसके द्वारा संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना की। इन्होने अतीत की उपेक्षा ना करके पहले से उपस्थित संरचनाओं तथा अनुभवों के आधार पर संविधान के आधार को खड़ा किया। इस प्रकार भारत का संविधान समन्वित विकास के परिणामस्वरूप हुआ। मात्र कुछ संशोधनों के द्वारा संविधान का 75 प्रतिशत भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने अनेक चुनौतियां थी जिसके अंतर्गत 'संवैधानिक नैतिकता' एक मुख्य चुनौती थी क्योंकि समाज असमान तथा जातियों में बँटा हुआ था। अंबेडकर ने ऐसे लोकतंत्र की बात की जिसमें सरकार लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में बिना खून-खराबे के क्रांतिकारी परिवर्तन ले आए। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ही संविधानवाद लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। अतएव एक ऐसे संविधान की निर्मिती की जाए जो नैतिकता पर आधारित हो ।

संविधानवाद तथा लोकतंत्र

उत्तर-उपनिवेशी समाज में संविधानवाद मात्र स्वशासन नहीं, अपितु लोकतांत्रिक शासन की स्थापना भी था जिसके अंतर्गत शक्तियों का संचालन लोगों द्वारा किया गया एवं शक्तियों को संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया,जो एक लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतीक बना (सिंह एवं राय, 2017)। रोहित डे अपनी पुस्तक 'ए पीपल्स' कॉन्सटीट्यूशन : द एवरी डे लाइफ ऑफ लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक' के अंतर्गत भारतीय संविधानवाद के आधार बताते हुए कहते हैं कि भारतीय संविधान दैनिक जीवन यापन के लिए एक संरचना या सीमा के रूप में मायने रखता है। जब संविधान का निर्माण हुआ तब बड़ी संख्या में आम भारतीय इससे जुड़े थे इसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक या पराश्रित वर्ग के लोग थे। इस संविधान ने निम्न तबके के लोगों का जोड़ना शुरू किया (डे, 2018)। इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माण के समय केवल विशिष्ट जनों की भूमिका ही नहीं अपितु अल्पसंख्यक और अन्य लोगों की भूमिका भी थी। इसके साथ ही संविधान में ऐसे लोकतंत्र की बात की गई जिसमें जनता संप्रभु होगी। जनता एक ऐसी प्रतिनिधि का निर्माण करेगी जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व का वहन करके शासन का निर्माण करेगी। जनता को उस शासक का विरोध करने का भी अधिकार होगा। शासक की शक्तियां संविधान के भीतर अंतर्निहित है वह उस सीमा में रहकर ही शासन कर सकता है अगर वह उससे बाहर जाने का प्रयास करेगा तो जनता द्वारा उसको अपदस्थ भी किया जा सकता है। इस प्रकार जनता ही संप्रभु है। अंबेडकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर स्टडी कैंप के अपने भाषण में कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में एक लोकप्रिय सरकार के

सभी चिह्न पाए जाते हैं, जैसे जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, तथा जनता के लिए सरकार (अम्बेडकर, 2013)। इस प्रकार एक लोकतंत्र तभी सुदृद हो सकता है जब उसमें सबकी समान भागीदारी होगी। सरकार की किसी भी नीति निर्माण में जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है इससे लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है। आरेन लिफ़र्ट द्वारा अपनी पुस्तक 'डिमॉक्रेसी पैटर्न्स ऑफ मेजॉरिटेरियन एंड कन्सेन्सस गवर्नमेंट इन ट्वेंटी-वन सेन्चरीज' 1984 के अंतर्गत लोकतंत्र के दो प्रतिमान 'बहुमत' तथा 'आम सहमति' की बात की गई है। लिफर्ट कहते हैं कि बहुमत का प्रतिमान समरूप समाजों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए उचित है, वहीं आम सहमति का लोकतंत्र मिश्रित समाजों के लिए उपयुक्त है (लिफर्ट, 1984)। बहुमत प्रतिमान या वेस्टमिंस्टर मॉडल को द्वि-दलीय व्यवस्था द्वारा चित्रित किया जाता है जबकि आम सहमति के प्रतिमान में कई महत्वपूर्ण दल विद्यमान रहते हैं जिनके मुद्दे अलग-अलग रहते हैं, जैसे - धार्मिक, संस्कृति या अन्य मुद्दें। इस प्रकार आम सहमति के प्रतिमान में नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी भी देखने को मिलती है। लिफ़र्ट डब्ल्यू आर्थर का उदाहरण देकर बताते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है वह सभी जन जो निर्णय द्वारा प्रभावित होते हैं उन्हें निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या चयनित प्रतिनिधियों द्वारा भागीदार बनने का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार लिफ़र्ट औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाओं और उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हुए नीति-निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। जिसके द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मूल्यों और व्यवहारों को निर्धारित किया जा सकता है।

विपक्षी विमर्श एवं संविधानवाद

भारत एक संसदीय लोकतंत्रात्मक देश है जहां पर शक्तियों का विभाजन है तथा जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। संविधान सभा के सदस्य भारत में एक लोकतांत्रिक संविधान की रचना करना चाहते थे इसके लिए वो ऐसी कार्यपालिका की सरकार चाहते थे जो मजबूत होने के साथ-साथ लोकतांत्रिक भी हो। संसदीय लोकतन्त्रात्मक देश होने के कारण भारत में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, अर्थात् सरकार मुख्यत: जनता द्वारा चुनी जाती है। यह संवैधानिक दायरों में रहते हुए अपने कार्यों को करता है। उपेंद्र बक्शी अपने लेख 'पोस्ट कॉलोनियल लीगैलिटी' में तर्क देते हैं की संविधानवाद के अंतर्गत शासन को संरचित तथा उन्हें उपकरण प्रदान किए जाते है एवं शक्ति को वैध बनया जाता है। परंतु संविधानवाद मात्र शासन के तरीकों को ही नहीं बताता अपितु विवादास्पद विचारों और व्यवहारों के लिए भी जगह प्रदान करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अधिकारों, न्याय व्यवस्थाओं और विकास आदि की मांग कर सकता है। इस प्रकार संविधानवाद शासन (नियम) एवं प्रतिरोध दोनों का वर्णन उपलब्ध कराता है (बक्शी, 2004)। संविधानवाद का अर्थ सीमित सरकार तथा अनुशासित सरकार से लिया जाता है, इसके लिए भारत में ऐसे कई 'विपक्षी आयाम' है जो भारत के सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं तथा उनकी गलत

नीतियों पर अंकुश लगाते हैं। यह राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं। शासन की प्रक्रिया को मात्र शक्ति के परिदृश्य में ही नहीं समझा जा सकता है, अपितु उसको समझने के लिए विरोधी या विपक्षीय तत्वों को भी समझना आवश्यक है, जो सरकार की नीतियों, शक्तियों आदि पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं तथा उन्हें स्वेच्छाचारी बनने से रोकते हैं। संविधानवाद में मुख्यत: सीमित शासन पर बल दिया जाता है विपक्षीय आयाम इसमें एक अहम भूमिका निभाता है जो सरकार की आलोचना कर के उसको तानाशाह बनने से रोकता है। समान्यत: विपक्ष का अर्थ है किसी ऐसी चीज का विरोध करना जिससे आप असहमत हैं एवं अस्वीकार करना चाहते हैं। विपक्ष कोई राजनीतिक दल या कोई संगठित समूह हो सकता है जो किसी शासी निकाय के प्रति अपनी असहमति को व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार किसी शासी निकाय की नीतियों के साथ असंतोष व्यक्त करने के लिए कोई भी अभिव्यक्ति 'राजनीतिक असहमति' कहलाती है। यह अभिव्यक्ति मुखर असहमति से लेकर हिंसा के प्रयोग तक किसी भी रूप में की जा सकती है। हालांकि हिंसक गतिविधि विपक्ष के अर्थ को विकृत बनाती है इसलिए विरोध में अधिकतर वही गतिविधियां शामिल होती है जो अहिसंक एवं शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सरकार द्वारा अहिंसक प्रदर्शन एवं असहमतियों को मौलिक अधिकारों का रूप प्रदान किया गया है।

विपक्ष के कार्यों को मुख्यत: तीन भागों में बांटा जा सकता है - असहमति, प्रतिरोध एवं विरोध। इन तीन कार्यों द्वारा विपक्ष सरकार की अनुचित नीतियों पर दृष्टि बनाए रखता है। सरकार के किसी भी निर्णय या नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए विपक्ष द्वारा कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है - कुछ तकनीक जैसे, विरोध प्रदर्शन, शांति यात्रा, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, नारे इत्यादि। इन तकनीकों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों के प्रति अपनी असहमति या विरोध को प्रदर्शित करता है। सरकार की नीतियों पर भारत का कोई भी नागरिक अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं अपितु कोई संगठन, विपक्ष दल, दबाव समूह, प्रेस मीडिया आदि कोई भी सरकार की गलत नीतियों पर अपनी आवाज को उठा सकता है। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र में सुदृढ़ता आती है। हेल्म्स के द्वारा अपने लेख 'स्टडींग पार्लियामेंटरी ऑपोज़िशन इन ओल्ड एण्ड न्यू डेमोक्रेसीज : इशूस एण्ड प्रसपेक्टिव' में कहा गया है कि लोकतंत्र के विकास के लिए उन राजनीतिक और सामाजिक कर्ताओं के अधिकारों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए जो सरकार एवं सरकार की नीतियों तथा उसके कार्यों को सार्वजनिक रूप से आलोचित कर सकें (हेल्म्स, 2008)।

अंबेडकर द्वारा जालंधर, पंजाब के डीएवी कॉलेज में दिए गए अंग्रेजी भाषण (28 अक्टूबर 1951) में कहा गया कि शासन की संसदीय व्यवस्था के दो आधार स्तंभ हैं एक विपक्ष दूसरा स्वतंत्र एवं स्पष्ट चुनाव (अम्बेडकर स्पीक्स, 2013)। अंबेडकर का मानना था कि संसदीय लोकतंत्र में किसी भी प्रश्न के दो पक्ष होते हैं तथा लोगों को दोनों पक्षों को जानना आवश्यक है इसमें विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र राजनीतिक जीवन

के लिए विपक्ष एक कुंजी है बिना इसके लोकतंत्र का चलना अत्यंत कठिन है। अंबेडकर ब्रिटेन एवं कनाडा का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि शासन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित यह दो देश ऐसे हैं जहां पर विपक्षी दल के नेताओं को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। इन देशों में विपक्ष को एक आवश्यक वस्तु के रूप में देखा जाता है। अंबेडकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को इसलिए आवश्यक मानते थे क्योंकि इसके द्वारा बिना किसी खून-खराबे के सत्ता को एक क्षेत्र से दूसरे समुदाय को हस्तांतरित की जा सकती है।

22 दिसंबर 1952 को पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी को संबोधित करते हुए अंबेडकर लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए कुछ आवश्यक शर्तों की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत वह कहते हैं कि एक सफल लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। यह एक आवश्यक शर्त है। अंबेडकर का मानना है कि लोकतंत्र का अर्थ है 'शक्ति का निषेधाधिकार' (अम्बेडकर स्पीक्स, 2013)। लोकतंत्र किसी भी वंशवादी सत्ता, निरंकुश सत्ता का विरोध करती है। भारतीय लोकतंत्र में जनता द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रतिनिधि चुना जाता है इससे जनता के पास अन्य विकल्प भी मौजूद होते हैं। इसलिए विपक्ष का होना आवश्यक है जिससे जनता के पास अन्य विकल्प भी शामिल हो। अंबेडकर का मानना है कि विपक्ष का अर्थ है कि सरकार हमेशा निहाई पर रहती है, अर्थात उस पर कभी भी उसकी नीतियों को लेकर प्रहार हो सकता है। इसलिए एक सफल लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना आवश्यक शर्त है, जो लोकतन्त्र का सफल संचालन कर सके।

रोबर्ट ए. डाहल, अपनी पुस्तक पॉलिआर्की : पार्टीसिपेशन एण्ड अपोजिशन के अंतर्गत कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के विकास के साथ ही सरकार के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए विपक्ष को स्वीकृति दे दी गई थी। विपक्ष लोकतांत्रिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डाहल लोकतांत्रिकरण के दो सैद्धांतिक आयाम बताते हैं - सार्वजनिक प्रतिवाद तथा चुनाव और कार्यालयों में भाग लेने का अधिकार। इनके अनुसार जब प्रभुत्वशाली शासन तथा प्रतिस्पर्धी अल्पतंत्र, बहुतन्त्र की ओर अग्रसर होते हैं तब निर्णय निर्माण में सार्वजनिक प्रतिवाद तथा सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि के अवसर का निर्माण होता है। इस प्रकार ये दर्शाते हैं कि किसी भी तर्कपूर्ण लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है, जो सरकार की नीति निर्माण में नागरिकों को भागीदार बनाने के लिए अग्रसर करे। इसके लिए डाहल कुछ संस्थात्मक आश्वासनों की बात करते हैं जो नागरिकों को मिलने चाहिए, जैसे संगठनों के निर्माण तथा उनमें शामिल होने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, इत्यादि। डाहल लोकतन्त्र के सुदृढीकरण में विपक्ष की भूमिका को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। मुख्यत: विपक्ष को दो भागों में बांटा जा सकता है -

सामान्य विपक्ष

यह विपक्ष 'संरचनात्मक' भूमिका निभाता है, इसे क्लासिक या निष्ठावान विपक्ष भी कहा जाता है। यह विपक्ष संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन

करता है। इसे एक वैकल्पिक सरकार के रूप में भी देखा जा सकता है। सरकार की नीति निर्माण में इसका पूर्ण योगदान होता है। यह जनता को जागरूक बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है तथा लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में अवगत कराता है।

विकृत विपक्ष

यह विपक्ष मुख्यत: व्यवस्था विरोधी या निष्ठाहीन होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसकी भूमिका बाधाकारी या विध्वंसकारी होती है, इन्हें संविधान विरोधी विपक्षी दल भी कहा जाता है। क्योंकि ये विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत अवरोध उत्पन्न करते है। शासन व्यवस्था के संचालन में अवरोधक बनते है। इनका रूप उग्र होता है, ये किसी भी व्यवस्था का उग्र तरीके से विरोध करते है। ये विपक्षी या विरोधी संविधान और शासन व्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।

सारटोरी भी विपक्ष के विकृत रूप से सामान्य स्वरूप को अलग करते हुए कहते हैं कि एक 'वास्तविक विपक्ष' वही होता है जो शासन एवं सामुदायिक स्तर की मूलभूत चीजों पर अपनी सहमति देता है। यह विपक्ष सरकार का विरोध करता है ना कि राजनीतिक व्यवस्था का। यह शांतिपूर्ण एवं 'संरचनात्मक' तरीके से कार्य करता है, जबकि व्यवस्था विरोधी विपक्ष शासन की वैधता को चुनौती देता है तथा दायित्वहीन तरीके से कार्य करता है। व्यवस्था विरोधी विपक्ष के अंतर्गत कोई भी गैर-सरकारी दल आ सकता है (सारटोरी, 1966)।

किरचाइमर ने विपक्ष या विरोध के तीन विभिन्न प्रकार बताए -

1. ***क्लासिक या निष्ठावान विपक्ष*** - जो सरकार द्वारा चुनी हुई नीतियों के लिए विकल्प प्रदान करते हैं, यह संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं।
2. ***सैद्धांतिक विपक्ष*** - यह सरकार की नीतियों एवं राजनीतिक व्यवस्था की संवैधानिक आवश्यकताओं दोनों का विरोध करते हैं।
3. ***राजनीतिक प्रतिस्पर्धी विपक्ष*** - जहां अल्पसंख्यक समूह सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

इस प्रकार कुछ विपक्षी संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं एवं कुछ विपक्षी गैर-संवैधानिक कार्य करते हैं परंतु सभी विपक्षी आयाम शासन को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संसद में विपक्ष

संसद में विपक्ष की भूमिका केवल वैकल्पिक नीतियों या वैकल्पिक सरकार प्रदान कराने तक ही सीमित नहीं होती अपितु मिश्रित समाजों में यह बाहरी समूहों के प्रतिनिधित्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लोगों को एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं जिससे सत्ता में बैठी सरकार को निरंकुश होने से बचाया जा सकता है। एक संसदीय विपक्ष के रूप में व्यवस्था के सुधार के लिए सहमतिपूर्ण शासन में बहुमत के साथ सहयोग करते हैं। संसदीय

विपक्ष यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बहुमत की सरकार उत्तरदायी है अथवा नहीं। इनके पास औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शक्तियां विद्यमान होती हैं। राजनीतिक विपक्षी दलों में वास्तव में बड़ी संख्या में संबंध-विरोधी दल शामिल होते हैं - 1. विरोध स्वरूप - इसके अंतर्गत बहुमत अल्पमत का विरोध करते हैं। 2. अंतर-दलीय स्वरूप - यह गठबंधन में एक दल के विरोध को संदर्भित करता है। 3. इंट्रा-दलीय स्वरूप - यह दल के भीतर ही किसी नीति के विरोध में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक क्रियाओं के संस्थानीकरण के लिए संसद एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान है। अर्थात संसद एक मात्र स्थान है जहां राजनीतिक विपक्षी अपने कार्यों को संयमित रूप से कर सकते हैं।

इन सबके आधार पर कहा जा सकता है कि, कोई भी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर सकता है जैसे- कोई भी संगठितकर्ता, संसद, राजनीतिक दल, गैर-प्रतिनिधित्व वाली राजनीतिक शक्तियां, ट्रेड यूनियन, सामाजिक आंदोलन आदि। विपक्षी आयाम किसी भी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं- सरकार के माध्यम से या संसद के माध्यम से मीडिया आदि के द्वारा अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सरकार को निरंकुश होने से बचाना एवं उसकी गलत नीतियों की आलोचना करना। विपक्ष विभिन्न अहिंसक तौर- तरीके, विधायी प्रक्रियाओं, धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से सरकार पर अंकुश लगाते हैं।

निष्कर्ष

संविधानवाद विधि और नियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की आकांक्षा करता है जिसका आशय सुव्यवस्थित और संगठित राजनीतिक शक्तियों को नियंत्रण में रखना है। इसकी मुख्य संकल्पना यह है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करके उनको स्वेच्छाचारी बनने से रोका जाए। इस प्रकार संविधानवाद एक सीमित सरकार की कामना करता है। भारत संसदीय लोकतन्त्रातमक देश है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, अर्थात् सरकार मुख्यत: जनता द्वारा चुनी जाती है। भारतीय संविधान में जनता को ही सर्वोच्च माना गया है, जनता ही शासन का निर्माण करती है। अगर सरकार की नीतियां लोगों के हित में नहीं है तो भारत के नागरिकों को अधिकार है कि वह सरकार की नीतियों की आलोचना करें। भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत बोलने एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रावधान है। अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सरकार कि राजनीतिक प्रणालियां तथा नीतियों और नौकरशाही के प्रति अपने विचार को व्यक्त कर सकता है।

जैसा कि संविधानवाद का अर्थ सीमित सरकार एवं अनुशासित सरकार से लिया जाता है, इसके लिए भारत में ऐसे कई विपक्षी आयाम है जो भारत के सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं तथा उनकी गलत नीतियों पर अंकुश लगाते हैं। सरकार की नीतियों पर भारत का कोई भी नागरिक अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं अपितु कोई संगठन, विपक्ष दल, दबाव समूह, प्रेस मीडिया आदि कोई भी सरकार की

गलत नीतियों पर अपनी आवाज उठा सकता है। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र में सुदृढ़ता आती है। अभिव्यक्ति की आकांक्षा मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, मानव सभ्यता के विकास में इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता है। यह आधारभूत स्वतंत्रता है जिस पर दूसरे अधिकार निर्भर होते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी केवल मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं अपितु राज्य की मजबूती के लिए भी जरूरी है। यह समाज और लोकतंत्र के गुण दोष को उजागर करके सद्गुणों का उन्नयन करती है। यह अधिकार लोकतांत्रिक समाज के लिए संजीवनी का कार्य करती है। शासकों के लिए यह दीवारों पर लिखी गई ऐसी इबारतों का काम करती है, जिसमें वे अपनी कमियों को दूर करने के सूत्र तलाश सकते हैं और अपनी नीतियों को जनोन्मुखी बनाकर राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। परंतु यह अधिकार (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) असीम या संपूर्ण नहीं है, इस पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों को लगाया गया है। इस प्रकार यह आजादी लोगों को अपनी स्वतंत्र विचारधारा बनाने में मदद करती है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब सरकार द्वारा विपक्ष की आवाजों को दबाया जाने लगता है, उनकी बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छिना जाने लगता है इससे सरकार की एक तानाशाही प्रतिक्रिया सामने आती है, जो किसी भी लोकतंत्रात्मक देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विपक्ष की आवाज के कारण ही शासन सुचारु ढंग से कार्य करता है। विपक्षी दबाव के कारण ही सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, इसलिए भारतीय संविधान में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो शासन को संचालित करने के साथ-साथ जनता को जागरूक भी करने का कार्य करता है।

सन्दर्भ

बक्शी, उपेन्द्र. (2004). *पोस्टकॉलोनियल लीगैलिटी.* पृ. 540, ब्लेकवेल पब्लिशर्स.

चौबे, एस.के. (2014). *भारतीय संविधान रचना एवं कार्य.* नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 1-3.

डे, रोहित. (2018). *अ पीपल्स कॉन्सटीट्यूशन द एवरी डे लाइफ ऑफ लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक,* पृ. 25.

ग्रेनविल, ऑस्टिन. (2017). *भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला.* अनु. नरेश गोस्वामी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रथम संस्करण. पृ. 98.

हन्ना, एफ. पिटकिन. (1987). 'द आइडिया ऑफ कॉन्सटीट्यूशन'. *जर्नल ऑफ लीगल एजुकेशन,* पृ. 167.

हेल्म्स, एल. (2008). *स्टडींग पार्लियामेंटरी ऑपोज़िशन इन ओल्ड एण्ड न्यू डेमोक्रेसीज : इशूस एण्ड पर्सपेक्टिव.* पृ. 6.

जाधव, नरेन्द्र (2013). इंग्लिश स्पीच डिलीवर्ड एट आल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स स्टडी केम्प, नई दिल्ली (सितम्बर 8-17, 1943) इन नरेन्द्र जाधव सम्पा. *अम्बेडकर स्पीक्स,* अंक 1, 2013, पृ. 273-274, कोणार्क पब्लिशर्स.

जाधव, नरेन्द्र (2013). इंग्लिश स्पीच बिफोर द स्टूडेन्ट्स पार्लियामेंट, डीएवी कॉलेज, जालन्धर, पंजाब, (अक्टोबर 28, 1951) इन नरेन्द्र जाधव सम्पा. *अम्बेडकर स्पीक्स,* अंक 1, 2013, पृ. 282-284, कोणार्क पब्लिशर्स.

जाधव, नरेन्द्र (2013). इंग्लिश एड्रेस एट पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्रेरी, पुणे, (दिसम्बर 22, 1952) इन नरेन्द्र जाधन सम्पा. *अम्बेडकर स्पीक्स,* अंक 1, 2013, कोणार्क पब्लिशर्स.

कश्यप, सुभाष. (2005). *हमारा संविधान : भारत का संविधान और संवैधानिक विधि.* भारतीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, पृ. 1-2.

लिफर्ट, आरेन. (1984). *डिमॉक्रेसी पैटर्न्स ऑफ मेजॉरिटेरियन एंड कन्सेन्सस गवर्नमेंट इन ट्वेंटी-वन सेन्चरीज.*

मांटेस्क्यू द्वारा निर्मित 'शक्तियों का पृथक्करण' सिद्धांत विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों के बीच विभाजन पर आधारित है।

सारटोरी, जी. (1966). *ऑपोज़िशन एण्ड कंट्रोल प्रॉब्लेम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स,* पृ. 151.

सिंह, उज्ज्वल कुमार एंड अनुपमा, रॉय. (2018). *बी.आर. अंबेडकर एंड द आइडिया ऑफ कॉन्सटीट्यूशनलिज्म एंड कॉन्सटीट्यूशनल डिमॉक्रेसी,* समरहिल-आईआईएएस रिव्यू, XXIII, 2, पृ. 4-5.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 13-30)

विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वानुमान में वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि की भूमिका

सुमित गंगवार* एवं शिरीष पाल सिंह†

प्रस्तुत शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य कक्षा नौ के बच्चों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वानुमान में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि के योगदान का अध्ययन करना था। उक्त शोध कार्य वर्णात्मक सर्वेक्षण शोध विधि पर आधारित है। प्रतिदर्श के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) से सम्बद्ध माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में एक विद्यालय का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा करके इस विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा नौ के सभी (50 विद्यार्थियों) शिक्षार्थियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया। विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए स्वनिर्मित तथा मानकीकृत विज्ञान उपलब्धि परीक्षण, वैज्ञानिक अभिवृत्ति के मापन के लिए अविनाश प्रेवाल द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत वैज्ञानिक अभिवृत्ति मापनी तथा बुद्धिलब्धि के मापन के लिए आर.के. ओझा तथा के. रॉय चौधरी द्वारा निर्मित तथा मानकीकृत शाब्दिक

*सहायक प्राधायपक, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
E-mail: sumitgangwarhnbgu@gmail.com
†प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
E-mail: shireeshsingh1982@gmail.com

बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया गया। एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग कर शोध परिणाम के रूप में पाया गया कि कक्षा नौ में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वानुमान में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि का सार्थक व्यक्तिगत एवं संयुक्त योगदान नहीं है।

बीज शब्द - विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, बुद्धिलब्धि।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि उस राष्ट्र ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में कितनी प्रगति की है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में होने वाला विकास राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होता है। वर्तमान समय में औपचारिक विद्यालयों में विज्ञान विषय एक अनुशासन के रूप में शिक्षार्थियों को किसी भी घटना के परिणामों को सामान्य रूप से स्वीकारने की अपेक्षा उस घटना की प्रक्रिया एवं उससे जुड़े कारणों की जाँच करने के लिए प्रेरित करता है। यह जाँच पूर्वाग्रहों से मुक्त और उद्देश्यपूर्ण होता है और यदि विद्यार्थियों को ये अवसर बार-बार प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रक्रिया को लगातार दीर्घ समयावधि तक जारी रखा जाता है तो विद्यार्थियों को वैज्ञानिक पद्धति में प्रशिक्षित किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी समस्या के कारणों का पता लगाने तथा उस समस्या के प्रभावी समाधान के लिए एक व्यवस्थित तथा तार्किक क्रम में आगे बढ़ा जाता है। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षार्थी वैज्ञानिक अभिवृत्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं (आहूजा, 2017)। समकालीन औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों की सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि को प्रतिबिंबित करने के लिए विज्ञान विषय में उपलब्धि महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है (मुखोपाध्याय, 2014)। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अलग-अलग घटक बताएं हैं। एमिना (1986) ने वैज्ञानिक अभिवृत्ति के पांच घटक यथार्थता, जिज्ञासा, मुक्त विचार वाला, वस्तुनिष्ठता तथा अंधविश्वास का विरोध माने हैं (एबल तथा लीडरमैन, 2017)। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसके तीन घटक यथा विश्वसनीयता, अनुभूति तथा अनुयोजन बताएं हैं (मुखोपाध्याय, 2014)।

सम्बंधित साहित्य के पुनरावलोकन में पाया गया कि बीते कुछ वर्षों में शैक्षिक उपलब्धि, वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि के क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों में से कुछ शोधार्थियों ने पाया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध है जबकि कुछ अन्य शोध कार्यों में इन परिणामों के विपरीत परिणाम प्राप्त हुए। गैम्बेल्स (2002), चेंग तथा चेंग (2008) तथा कापरी (2013) ने अपने शोध कार्यों में पाया कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध है साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर वैज्ञानिक अभिवृत्ति का सार्थक प्रभाव पड़ता है। जबकि विल्सन, एक्रमैन तथा मालवे (2000), गुन्गौर, एराइलमाज़ तथा फेकॉग्लू (2007) ने अपने शोध कार्यों में पाया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक

उपलब्धि तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध नहीं है साथ ही विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसी प्रकार डेयरी, स्ट्रेंड, स्मिथ तथा फर्नेन्ड्स (2007) ने अपने शोध कार्य में पाया कि विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि में मध्य उच्च स्तर का सार्थक सहसंबंध है। कॉवोजोरा तथा मिकुसकोवा (2015) ने दो केस अध्ययन में से एक में पाया कि विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि के पूर्वकथन में बुद्धिलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है जबकि दूसरे केस अध्ययन में इसके विपरीत परिणाम प्राप्त हुए। अग्रवाल (2002) एवं हबीबुल्ला तथा अन्य (2008, 2009) ने पाया कि शिक्षार्थियों की अकादमिक उपलब्धि तथा बुद्धिलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं है साथ ही शिक्षार्थियों की अकादमिक उपलब्धि के पूर्वकथन में बुद्धिलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है। इस प्रकार कुछ पूर्व अध्ययनों के परिणामों से ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ सार्थक सहसंबंध है साथ ही शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में इन दोनों कारकों का स्वतंत्र रूप से सार्थक योगदान है जबकि कुछ अध्ययनों में इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिले। अत: शोधकर्त्ता को यह ज्ञात करना आवश्यक लगा कि वर्तमान शोध हेतु चयनित न्यादर्श में सम्मिलित विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि का कोई सार्थक व्यक्तिगत एवं संयुक्त योगदान कि स्थिति कैसी है।

संक्रियात्मक परिभाषाएं

1. ***विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि*** - विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि, विज्ञान विषय में चयनित विषय-वस्तु (हमारे आस-पास के पदार्थ, परमाणु तथा अणु, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक तथा बल एवं गति के नियम) पर आधारित निर्मित तथा मानकीकृत विज्ञान उपलब्धि परीक्षण पर विद्यार्थियों द्वारा अर्जित परिणाम को दर्शाता है।
2. ***वैज्ञानिक अभिवृत्ति*** - विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का तात्पर्य अविनाश ग्रेवाल द्वारा निर्मित तथा मानकीकृत वैज्ञानिक अभिवृत्ति मापनी के मुख्य चार आयामों (सकारात्मक बौद्धिकता, नकारात्मक बौद्धिकता, सकारात्मक संवेग तथा नकारात्मक संवेग) पर प्राप्त परिणाम से है।
3. ***बुद्धिलब्धि*** - बुद्धिलब्धि, आर.के. ओझा तथा के. रॉय चौधरी द्वारा निर्मित तथा मानकीकृत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के आठ आयामों (वर्गीकरण, तुल्यात्मक, पर्याय, संख्यात्मक परीक्षण, पूर्ति परीक्षण, परिच्छेद परीक्षण, उत्तम तर्क तथा सरल तर्क) पर विद्यार्थियों द्वारा अर्जित परिणाम को दर्शाता है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शोध उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया -

विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के योगदान का अध्ययन करना। विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि के योगदान का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया -

विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का सार्थक योगदान नहीं है। विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है।

शोध विधि एवं प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति मात्रात्मक है, जिसमें वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि (न्यादर्श सर्वेक्षण विधि) का उपयोग करते हुए शोध कार्य को पूरा किया गया।

प्रतिदर्शन प्रविधि तथा प्रतिदर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रतिदर्श चयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) से सम्बद्ध माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में एक विद्यालय का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा किया गया। इसके बाद इस विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा नौ के सभी (50 विद्यार्थियों) को शोध सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए स्वनिर्मित तथा मानकीकृत 'विज्ञान उपलब्धि परीक्षण', वैज्ञानिक अभिवृत्ति के मापन के लिए अविनाश ग्रेवाल द्वारा निर्मित तथा मानकीकृत 'वैज्ञानिक अभिवृत्ति मापनी' तथा बुद्धिलब्धि के मापन के लिए आर.के. ओझा तथा के. रॉय चौधरी द्वारा निर्मित तथा मानकीकृत 'शाब्दिक बुद्धि परीक्षण' का उपयोग किया गया।

शोध उपकरण का प्रशासन एवं आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया

प्रदत्त संग्रहण हेतु सर्वप्रथम शोध कार्य में चयनित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुमति लेकर कक्षा नौ के विद्यार्थियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं को गुप्त रखा

जाएगा तथा इसका उपयोग मात्र शोध कार्य में किया जाएगा। इसके पश्चात विद्यार्थियों पर विज्ञान उपलब्धि परीक्षण, वैज्ञानिक अभिवृत्ति मापनी तथा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को प्रशासित किया गया। निश्चित समय सीमा पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा पूरित तीनों शोध उपकरणों का संकलन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा पूरित तीनों शोध उपकरणों का फलांकन, परीक्षण नियमावली की सहायता से किया गया।

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध कार्य में उद्देश्यवार सांख्यिकी प्रविधियों का चयन कर आंकड़ों का विश्लेषण करके निम्न शोध परिणामों को प्राप्त किया -

विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सार्थक योगदान का अध्ययन करने के लिए सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया गया। विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि के योगदान का अध्ययन करने के लिए भी सरल प्रतिगमन विश्लेषषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रस्तुत शोध में समस्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए शोधकर्ता द्वारा उद्देश्यवार उपयुक्त सांख्यिकी प्रविधि द्वारा आंकड़ों का विश्लेरषण किया गया। प्राप्त परिणामों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है -

प्रस्तुत शोध कार्य के प्रथम उद्देश्य विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का सार्थक योगदान का अध्ययन करने के लिए शोधकर्त्ता द्वारा प्रयोज्यों से एकत्रित प्रदत्तों के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया गया। उपरोक्त सांख्यिकी के उपयोग से पूर्व शोधार्थी द्वारा इस सांख्यिकी से सम्बंधित सभी अभिधारणाओं की जाँच की गई तथा सभी अभिधारणाओं के संतुष्ट होने के पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अभिधारणाओं की जाँच तथा सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी के परिणामों का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है -

अभिधारणा-1 : वितरण में आउटलियर की अनुपस्थिति की अभिधारणा

सरल प्रतिगमन विश्लेलषण सांख्यिकी प्रविधि की पहली अभिधारणा वितरण में आउटलियर की अनुपस्थिति है। इस अभिधारणा की जाँच करने के लिए शोधार्थी द्वारा महालनोबिस डिस्टेन्स तथा कुक्स डिस्टेन्स परीक्षण का उपयोग किया गया (ऑसबर्न तथा वाटर्स, 2002; ऑसबर्न तथा ओबरवे, 2004; तबाकनीक तथा फिडेल, 2007; कपुचु, 2017)। जिसका परिणाम निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है -

तालिका क्रमांक 1

वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि का महालनोबिस डिस्टेन्स तथा कुक्स डिस्टेन्स परीक्षण

अवशिष्ट सांख्यिकी[a]					
	न्यूनतम	अधिकतम	माध्य	मानक विचलन	संख्या
महालनोबिस डिस्टेन्स	0.001	4.684	0.980	1.106	50
कुक्स डिस्टेन्स	0.000	0.108	0.021	0.027	50

a. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि महालनोबिस डिस्टेन्स का अधिकतम मान 4.684 है। जिसका काई वर्ग का सारणी मान सार्थकता के 0.05 स्तर के स्वतंत्र्यांश 1 पर 3.84 है। अत: महालनोबिस डिस्टेन्स के 3.84 से अधिक मान वाले फलांक आउटलियर माने जाते हैं। मूल तालिका में महालनोबिस डिस्टेन्स फलांकों के अवलोकन के उपरांत पाया गया कि सभी महालनोबिस फलांकों का मान 3.84 से कम है जोकि इस बात को इंगित करता है कि वितरण में आउटलियर अनुपस्थित हैं।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुक्स डिस्टेन्स का अधिकतम मान 0.108 है, जो कि 1 से कम है। अत: वितरण में आउटलियर अनुपस्थित हैं। महालनोबिस डिस्टेन्स तथा कुक्स डिस्टेन्स के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की पहली अभिधारणा वितरणों में आउटलियर की अनुपस्थिति संतुष्ट होती है।

अभिधारणा-2 : त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की दूसरी अभिधारणा त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता अर्थात अवलोकित और पूर्वकथित मानों में अंतर की प्रकृति के प्रसामान्य होने के बारे में है। इस अभिधारणा की जाँच करने के लिए शोधार्थी ने P-P ग्राफ का उपयोग किया है। इसके अनुसार यदि ग्राफ में सभी बिंदु सीधी रेखा के आस-पास होते हैं तो माना जाता है कि त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता की अभिधारणा संतुष्ट हो रही है (ऑसबर्न तथा ओबरवे, 2004; पैलेंट, 2005)।

P-P ग्राफ का विवरण अग्रानुसार प्रस्तुत किया गया है -

आकृति क्रमांक 01
वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता की जाँच हेतु P-P ग्राफ

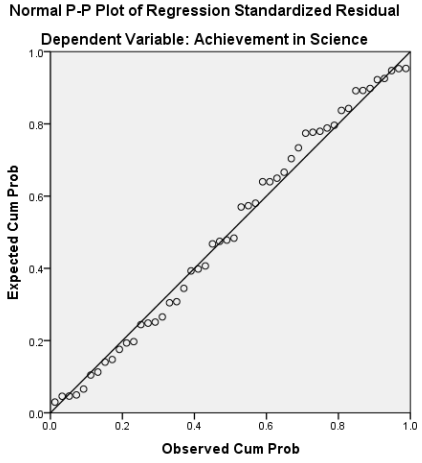

उपरोक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राय: सभी बिंदु सीधी रेखा के आस-पास स्थित हैं। अत: माना जा सकता है कि मानकीकृत अवशिष्ट प्रसामान्य रूप से वितरित हैं।

अभिधारणा-3 : अवशिष्टों की स्वतंत्रता की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की तीसरी अभिधारणा अवशिष्टों की स्वतंत्रता की अभिधारणा है। जिसकी जाँच के लिए शोधार्थी ने डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का उपयोग किया है। यदि डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का मान 1.5-2.5 के मध्य प्राप्त होता है तो अवशिष्टों में सार्थक सहसंबंध नहीं होता है (मोन्टेगोमेरी, पीक तथा विनिंग, 2001; यन्गुंग, 2016)। डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी के परिणामों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है -

तालिका क्रमांक 2
वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि की डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का परिणाम

प्रतिमान सारांश[b]					
प्रतिमान	सहसंबंध	सहसंबंध वर्ग	समायोजित सहसंबंध वर्ग	अनुमानिक मानक त्रुटि	डर्बिन-वॉटसन
1	0.034[a]	0.001	-0.020	4.799	2.433

a. पूर्ववादी चर : (स्थिरांक), वैज्ञानिक अभिवृत्ति
b. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का मान 2.433 है जो कि 2.5 से कम है। अत: कहा जा सकता है अवशिष्टों की स्वतंत्रता की अभिधारणा संतुष्ट होती है।

अभिधारणा-4 : अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की चौथी अभिधारणा अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की अभिधारणा है। जिसकी जाँच के लिए स्केटर प्लॉट ग्राफ का उपयोग किया है। इस अभिधारणा के अनुसार यदि ग्राफ के बिंदु आयताकार न होकर शंकु के रूप में हों जिसमें फिट लाइन के एक सिरे पर बिंदु रेखा के ऊपर स्थित हों किन्तु जैसे-जैसे दूसरे सिरे के तरफ चलें तो बिंदु रेखा से क्रमश: दूर हटते चलें तो प्रदत्तों में विषम विचालिता की उपस्थिति मानी जाती है (ऑसबर्न तथा ओबरवे, 2004; पैलेंट, 2005; तबाकनीक तथा फिडेल, 2007)।

स्केटर प्लॉट ग्राफ का विवरण निम्नलिखित है -

आकृति क्रमांक 2
वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि की अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की जाँच हेतु स्केटर प्लॉट

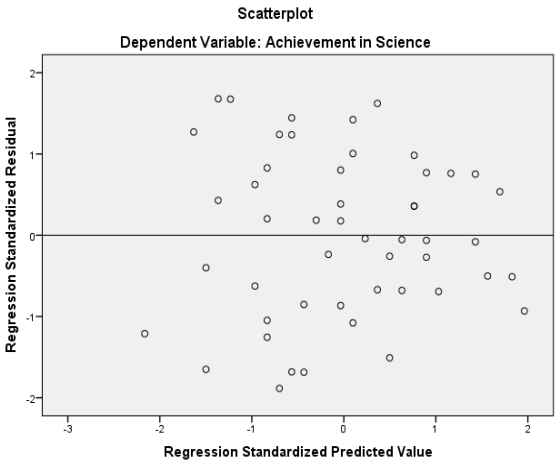

उपरोक्त ग्राफ में फिट लाइन पर बाएं से दाएं देखने पर ज्ञात होता है बिन्दुओं की रेखा से दूरियां यानि प्रतिगमन त्रुटियाँ समान हैं। वास्तव में समस्त बिंदु आयताकार न होकर शंकु के आकार में हैं। अत: कहा जा सकता है कि प्रतिगमन अथवा अवशिष्ट समान हैं एवं अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की अभिधारणा संतुष्ट होती है।

अभिधारणा-5 : बहुरेखिकता की अनुपस्थिति की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की पांचवीं अभिधारणा बहुरेखिकता की अनुपस्थिति की अभिधारणा है। जिसके अनुसार आश्रित चर के पूर्वकथन में एक से अधिक पूर्ववादी चर उपयोग किए गए हों तो समस्त चरों में परस्पर अत्यधिक उच्च सहसंबंध नहीं होना चाहिए। चूँकि उपरोक्त शोध उद्देश्य में मात्र एक पूर्ववादी चर (वैज्ञानिक अभिवृत्ति) का उपयोग किया गया है अत: इस अभिधारणा की जाँच की आवश्यकता नहीं है (पैलेंट, 2005; तबाकनीक तथा फिडेल, 2007)।

विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के योगदान को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की सभी अभिधारणाओं के संतुष्ट होने के पश्चात उपरोक्त सांख्यिकी प्रविधि को व्यवहार में लाकर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसका परिणाम निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है -

तालिका क्रमांक 3

वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के प्रतिगमन विश्लेधषण का प्रतिमान सारांश

प्रतिमान सारांश				
प्रतिमान	सहसंबंध गुणांक	सहसंबंध गुणांक वर्ग	समायोजित सहसंबंध वर्ग	अनुमानिक मानक त्रुटि
1	0.034[a]	0.001	-0.020	4.799

a. पूर्ववादी चर : (स्थिरांक), वैज्ञानिक अभिवृत्ति

तालिका क्रमांक 4

वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के प्रतिगमन विश्लेषण का प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण विश्लेषण[a]						
प्रतिमान		वर्गों का योग	स्वतंत्र्यांश	माध्य वर्ग	एफ-मान	सार्थकता
1	प्रतिगमन	1.255	1	1.255	0.055	0.816[b]
	अवशिष्ट	1105.465	48	23.031		
	योग	1106.720	49			

a. पूर्ववादी चर : (स्थिरांक), वैज्ञानिक अभिवृत्ति

b. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

तालिका क्रमांक 5

वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के प्रतिगमन विश्लेषण का सहगुणांक

सहगुणांक[a]						
प्रतिमान		अमानकीकृत सहगुणांक		अमानकीकृत सहगुणांक	टी-मान	सार्थकता
		बी	मानक त्रुटि	बीटा		
1	स्थिरांक	44.198	4.499		9.824	0.000
	वैज्ञानिक अभिवृत्ति	-0.021	0.091	-.0034	0.233	0.816

a. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

तालिका क्रमांक 3 हमें यह बताती है कि स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में सहसंबंध गुणांक 0.034 है। सहसंबंध गुणांक वर्ग दर्शाता है कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्व कथन में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का 0.03 प्रतिशत योगदान है। प्रसरण विश्लेषण तालिका क्रमांक 4 हमें यह बताती है कि $F(1, 48) = 0.055$, $p=0.816>0.01$ स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: यह प्रतिगमन प्रतिमान आश्रित चर (विज्ञान विषय की उपलब्धि) का सार्थक पूर्वकथन करने में सक्षम नहीं है। दूसरे शब्दों में, विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का उनकी विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में सार्थक योगदान नहीं है।

सहगुणांक की तालिका क्रमांक 5, आश्रित चर (विज्ञान विषय की उपलब्धि) के पूर्व कथन में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के योगदान के बारे में सूचना देती है। इसका अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान उपलब्धि के बीटा गुणांक का निरपेक्ष मान = 0.021, $t=0.233$, $p=0.816>0.01$ होने से सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं है अत: इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का सार्थक योगदान नहीं है, निरस्त नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का कोई सार्थक योगदान नहीं है।

प्रस्तुत शोध कार्य के दूसरे उद्देश्य विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि का सार्थक योगदान का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता द्वारा प्रयोज्यों से एकत्रित प्रदत्तों के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया गया। उपरोक्त सांख्यिकी के उपयोग से पूर्व शोधार्थी द्वारा इस सांख्यिकी से सम्बंधित सभी अभिधारणाओं की जाँच की गई तथा सभी अभिधारणाओं के संतुष्ट होने के पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अभिधारणाओं की जाँच तथा सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी के परिणामों का विवरण अग्रानुसार प्रस्तुत किया गया है -

अभिधारणा-1 : वितरण में आउटलियर की अनुपस्थिति की अभिधारणा

सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की पहली अभिधारणा वितरण में आउटलियर की अनुपस्थिति है। इस अभिधारणा की जाँच करने के लिए शोधार्थी द्वारा महालनोबिस डिस्टेन्स तथा कुक्स डिस्टेन्स परीक्षण का उपयोग किया गया। जिसका परिणाम निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है -

तालिका क्रमांक 6
बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि का महालनोबिस डिस्टेन्स तथा कुक्स डिस्टेन्स परीक्षण

अवशिष्ट सांख्यिकी[a]					
	न्यूनतम	अधिकतम	माध्य	मानक विचलन	संख्या
महालनोबिस डिस्टेन्स	0.000	4.684	0.980	1.121	50
कुक्स डिस्टेन्स	0.000	0.175	0.021	0.031	50

a. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

उपरोक्त तालिका क्रमांक 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि महालनोबिस डिस्टेन्स का अधिकतम मान 4.684 है। जिसका काई वर्ग का सारणी मान सार्थकता के 0.05 स्तर के स्वतंत्र्यांश 1 पर 3.84 है। अत: महालनोबिस डिस्टेन्स के 3.84 से अधिक मान वाले फलांक आउटलियर माने जाते हैं। मूल तालिका में महालनोबिस डिस्टेन्स फलांकों के अवलोकन के उपरांत पाया गया कि सभी महालनोबिस फलांकों का मान 3.84 से कम है जो कि इस बात को इंगित करता है कि वितरण में आउटलियर अनुपस्थित हैं।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुक्स डिस्टेन्स का अधिकतम मान 0.175 है, जो 1 से कम है। अत: वितरण में आउटलियर अनुपस्थित हैं। महालनोबिस डिस्टेन्स तथा कुक्स डिस्टेन्स के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सरल प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की पहली अभिधारणा वितरणों में आउटलियर की अनुपस्थिति संतुष्ट होती है।

अभिधारणा-2 : त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की दूसरी अभिधारणा त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता अर्थात अवलोकित और पूर्वकथित मानों में अंतर की प्रकृति के प्रसामान्य होने के बारे में है। इस अभिधारणा की जाँच करने के लिए शोधार्थी ने P-P ग्राफ का उपयोग किया है। इसके अनुसार यदि ग्राफ में सभी बिंदु सीधी रेखा के आस-पास होते हैं तो माना जाता है कि त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता की अभिधारणा संतुष्ट हो रही है। P-P ग्राफ का विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है -

आकृति क्रमांक 3

बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि की त्रुटि/अवशिष्ट प्रसामान्यता की जाँच हेतु P-P ग्राफ

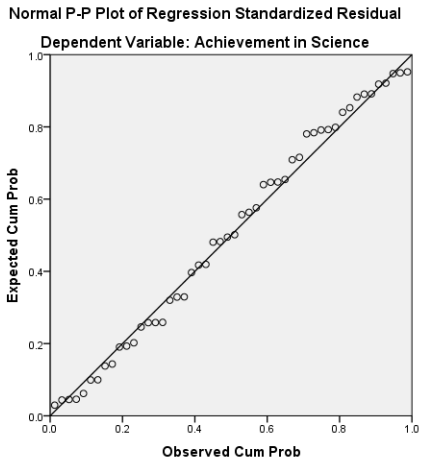

उपरोक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राय: सभी बिंदु सीधी रेखा के आस-पास स्थित हैं। अत: माना जा सकता है कि मानकीकृत अवशिष्ट प्रसामान्य रूप से वितरित हैं।

अभिधारणा-3 : अवशिष्टों की स्वतंत्रता की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की तीसरी अभिधारणा अवशिष्टों की स्वतंत्रता की अभिधारणा है। जिसकी जाँच के लिए शोधार्थी ने डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का उपयोग किया है। यदि डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का मान 1.5-2.5 के मध्य प्राप्त होता है तो अवशिष्टों में सार्थक सहसंबंध नहीं होता है। डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी के परिणामों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है -

तालिका क्रमांक 7

बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि की डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का परिणाम

प्रतिमान सारांश[b]					
प्रतिमान	सहसंबंध	सहसंबंध वर्ग	समायोजित सहसंबंध वर्ग	अनुमानिक मानक त्रुटि	डर्बिन-वॉटसन
1	0.022[a]	0.000	-0.020	4.801	2.429

a. पूर्ववादी चर : (स्थिरांक), वैज्ञानिक अभिवृत्ति

b. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

उपरोक्त तालिका क्रमांक 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी का मान 2.433 है जोकि 2.5 से कम है। अत: कहा जा सकता है अवशिष्टों की स्वतंत्रता की अभिधारणा संतुष्ट होती है।

अभिधारणा-4 : अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की चौथी अभिधारणा अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की अभिधारणा है। जिसकी जाँच के लिए शोधार्थी ने स्केटर प्लॉट ग्राफ का उपयोग किया है। इस अभिधारणा के अनुसार यदि ग्राफ के बिंदु आयताकार न होकर शंकु की शक्ल में हों जिसमें फिट लाइन के एक सिरे पर बिंदु रेखा के ऊपर स्थित हों किन्तु जैसे-जैसे दूसरे सिरे के तरफ चलें तो बिंदु रेखा से क्रमश: दूर हटते चलें तो प्रदत्तों में विषम विचालिता की उपस्थिति मानी जाती है। स्केटर प्लॉट ग्राफ का विवरण निम्नलिखित है-

आकृति क्रमांक 4

बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की जाँच हेतु स्केटर प्लॉट

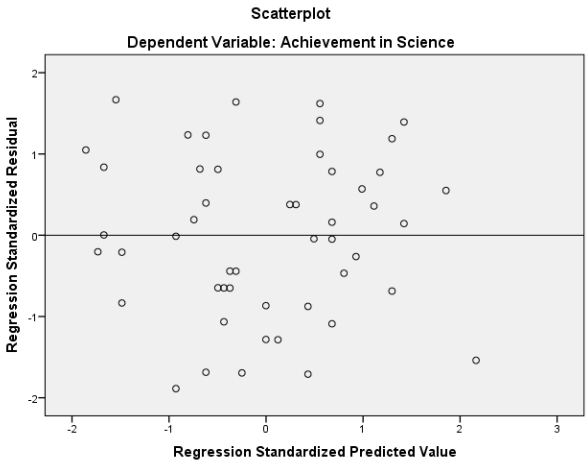

उपरोक्त ग्राफ में फिट लाइन पर बाएं से दाएं देखने पर ज्ञात होता है बिन्दुओं की रेखा से दूरियां यानि प्रतिगमन त्रुटियाँ समान हैं। वास्तव में समस्त बिंदु आयताकार न होकर शंकु के आकार में हैं। अत: कहा जा सकता है कि प्रतिगमन अथवा अवशिष्ट समान हैं एवं अवशिष्टों की स्थिरता एवं विषम विचालिता की अभिधारणा संतुष्ट होती है।

अभिधारणा-5 : बहु रेखिकता की अनुपस्थिति की अभिधारणा

प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की पांचवीं अभिधारणा बहुरेखिकता की अनुपस्थिति की अभिधारणा है। जिसके अनुसार आश्रित चर के पूर्वकथन में एक से अधिक

पूर्ववादी चर उपयोग किए गए हों तो समस्त चरों में परस्पर अत्यधिक उच्च सहसंबंध नहीं होना चाहिए। चूँकि उपरोक्त शोध उद्देश्य में मात्र एक पूर्ववादी चर (वैज्ञानिक अभिवृत्ति) का उपयोग किया गया है अत: इस अभिधारणा की जाँच की आवश्यकता नहीं है।

विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि के योगदान को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि की सभी अभिधारणाओं के संतुष्ट होने के पश्चात उपरोक्त सांख्यिकी प्रविधि को व्यवहार में लाकर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसका परिणाम निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है -

तालिका क्रमांक 8

बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के प्रतिगमन विश्लेषण का प्रतिमान सारांश

प्रतिमान सारांश				
प्रतिमान	सहसंबंध	सहसंबंध वर्ग	समायोजित सहसंबंध वर्ग	अनुमानिक मानक त्रुटि
1	0.022[a]	0.000	-0.020	4.801

a. पूर्ववादी चर : (स्थिरांक), वैज्ञानिक अभिवृत्ति

तालिका क्रमांक 9

बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के प्रतिगमन विश्लेषण का प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण विश्लेषण[a]						
प्रतिमान		वर्गों का योग	स्वतंत्र्यांश	माध्य वर्ग	एफ-मान	सार्थकता
1	प्रतिगमन	.549	1	0.549	0.024	0.878[b]
	अवशिष्ट	1106.171	48	23.045		
	योग	1106.720	49			

a. पूर्ववादी चर : (स्थिरांक), वैज्ञानिक अभिवृत्ति

b. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

तालिका क्रमांक 10

बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के प्रतिगमन विश्लेषण का सहगुणांक

सहगुणांक[a]						
प्रतिमान		अमानकीकृत सहगुणांक		अमानकीकृत सहगुणांक	टी-मान	सार्थकता
		बी	मानक त्रुटि	बीटा		
1	स्थिरांक	43.605	2.963		14.716	0.000
	वैज्ञानिक अभिवृत्ति	-0.007	0.042	-.0022	0.154	0.878

a. आश्रित चर : विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि

तालिका क्रमांक 8 हमें यह बताती है कि स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में सहसंबंध गुणांक 0.022 है। सहसंबंध गुणांक वर्ग दर्शाता है कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्व कथन में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का 0.00 प्रतिशत योगदान है। प्रसरण विश्लेषण तालिका क्रमांक 10 हमें यह बताती है कि $F(1, 48) = 0.24$, $p=0.878>0.01$ स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: यह प्रतिगमन प्रतिमान आश्रित चर (विज्ञान विषय की उपलब्धि) का सार्थक पूर्वकथन करने में सक्षम नहीं है। दूसरे शब्दों में, बुद्धिलब्धि का विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में सार्थक योगदान नहीं है।

सहगुणांक की तालिका क्रमांक 11, आश्रित चर (विज्ञान विषय की उपलब्धि) के पूर्व कथन में बुद्धिलब्धि के योगदान के बारे में सूचना देती है। इसका अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि बुद्धिलब्धि के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की विज्ञान उपलब्धि के बीटा गुणांक का निरपेक्ष मान = 0.007, $t=0.154$, $p=0.878>0.01$ होने से सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं है अत: इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है, निरस्त नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि का कोई सार्थक योगदान नहीं है।

शोध निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

1. विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के योगदान का अध्ययन करने पर पाया गया कि कक्षा नौ में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का सार्थक योगदान नहीं है। प्रस्तुत शोध कार्य के इस परिणाम की पुष्टि विल्सन एक्रमैन तथा मालवे (2000) एवं गुन्गौर, एराइलमाज़ तथा फेकॉग्लू (2007) के द्वारा किए गए शोध कार्यों से भी होती है। जिनके शोध परिणामों के अनुसार माध्यमिक स्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की भौतिकी के प्रति अभिवृत्ति तथा भौतिकी विषय की उपलब्धि में सार्थक सहसंबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की भौतिकी विषय की उपलब्धि के पूर्वकथन में इनकी भौतिकी विषय के प्रति अभिवृत्ति का सार्थक योगदान नहीं है।
2. विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि के योगदान का अध्ययन करने पर पाया गया कि कक्षा नौ में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में उनकी बुद्धिलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है। प्रस्तुत शोध कार्य के इस परिणाम की पुष्टि हैरिस (2008) के शोध कार्यों से भी होती है। जिनके शोध परिणामों के अनुसार उच्च स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि में अत्यंत निम्न स्तर का

सहसंबंध होता है। अग्रवाल (2002) एवंनादीरी, अब्दुल्ला तथा सीरीर (2008) के शोध परिणामों के अनुसार स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं है साथ ही इन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में इनकी बुद्धिलब्धि का भी सार्थक योगदान नहीं है। नादीरी, अब्दुल्ला, अजीन तथा सीरीर (2009 तथा 2010) के शोध परिणामों के अनुसार स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि में मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं है साथ ही जेंडर के आधार पर छात्र तथा छात्राओं की बुद्धिलब्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि पर उनके जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध कार्य के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं -

1. पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक नीतियों के निर्माण में

इस अध्ययन के परिणाम इस बात को इंगित करते है कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि में उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि का सार्थक व्यक्तिगत तथा सामूहिक योगदान नहीं है। अत: इन परिणामों के अलोक में यह अध्ययन माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों तथा इस स्तर के लिए विज्ञान के साथ-साथ अन्य विषयों की पाठ्यचर्या के विकास एवं शैक्षिक नीतियों के निर्माताओं के लिए एक ऐसा आधार प्रदान करेगा जो इनको विज्ञान विषय की पाठ्यचर्या का विकास करते समय विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि को बढ़ाने के साथ-साथ विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि में इनके व्यक्तिगत तथा सामूहिक योगदान बढ़ाने में सहायक हो सके। जिसकी सहायता से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जा सके।

2. शिक्षकों के लिए विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधियों के चयन में सहायक

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम शिक्षकों को ऐसी नवीन शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होंगे जो विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा बुद्धिलब्धि के संवर्धन में सहायक हो सकें। जिसको आधार बनाकर शिक्षक अपने विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधियों का चयन कर विद्यार्थियों की उपलब्धि में सार्थक वृद्धि कर सकता है।

3. पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों के लिए

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य-पुस्तकों की महती भूमिका होती है। प्रस्तुत शोध कार्य पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों को विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति, बुद्धिलब्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि के अंतर्संबंधों से परिचित करवाएगा। जिससे लेखक अपनी पुस्तकों के लेखन में विभिन्न संप्रत्ययों को विशिष्ट दृष्टिकोण के लिखेंगे साथ ही विद्यार्थियों के ज्ञान के आकलन के लिए उपयुक्त नवाचारी आकलन प्रविधियों जैसे सम्बंधित क्रियाकलाप,

पोर्टफोलियो तथा रुब्रिक आदि को भी पाठ्य-पुस्तकों में स्थान देंगे जिससे शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ इन नवाचारी आकलन प्रविधियों को समावेशन करते हुए विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति की जाँच कर सकेंगे।

4. अन्य शोधकर्त्ताओं के लिए

यह शोध कार्य उन शोधार्थियों के लिए एक आधार प्रदान करेगा जो प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के पूर्वकथन में विभिन्न कारकों की भूमिका का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शोध कार्य में प्रयुक्त विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण, विभिन्न विषयों के लिए विकसित किए जाने वाले उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए आधार प्रदान करेगा।

सन्दर्भ सूची

अग्रवाल, ए. (2002) 'सम कोरिलेट्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट', *इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च,* 21(2), 75-76.

आहूजा, ए. (2017), 'स्टडी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन रिलेशन टू साइंस अचीवमेंट स्कोर्स अमंग सेकेंड्री स्कूल स्टूडेंट्स', *एजुकेशन क्वीस्ट : एन इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड एप्लाइड सोशल साइंस,* 8(1), 9-16.

एबल, एस.के. एवं लीडरमैन, एन.जी. (2017) *हैंडबुक ऑफ रिसर्च इन साइंस एजुकेशन,* न्यू जर्सी : लौरेन्स अर्लबाम एसोसिएट्स.

कॉवोजोरा, वी. एवं मिकुसकोवा, ई.बी. (2015) 'डजइंटेलीजेंस प्रीडिक्ट एकेडमिक अचीवमेंट? टू केस स्टीड्स', *प्रोसिडिया - सोशल एंड बिहेविरल साइंसेज,* 174(2015), 3461-3469.

कापरी, बी. (2013) 'इन्वैस्टीगेटिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स' एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिक्स लेसन, देयर सेल्फ-एफीकेसी बिलीफ्स एंड बर्नआउट लेवेल्स फॉर दी प्रीडिक्सन ऑफ देयर अकेडमिक सक्सिस इन फिजिक्स लेसन्स', *एजुकेशनल रिसर्च एंड रीव्यूस,* 8(10), 646-652.

कपुचु, एस. (2017) 'प्रीडिक्टिग फिजिक्स अचीवमेंट : एटीट्यूड टूवर्ड्स फिजिक्स, सेल्फ एफिकेसी ऑफ लर्निंग फिजिक्स एंड मैथमैटिक्स अचीवमेंट', *एशिया-पैसिफिक फोरम ऑन साइंस लर्निंग एंड टीचिंग,* 18(1), 1-22.

चेंग, सी.वाई. एवं चेंग, डब्ल्यू.वाई. (2008) 'साइंस अचीवमेंट एंड स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फीडेंस एंड इंटरेस्ट इन साइंस : ए टाईवेंस रीप्रेजेंटेटिवसैम्पल स्टडी', *इंटरनेशलजर्नल ऑफ साइंस एजुकेशन,* 30(9), 1183-1200.

डेयरी, जे.जे., स्ट्रेंड, एस., स्मिथ, पी. एवं फर्नेन्ड्स, सी. (2007) 'इंटेलीजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट', *एलसेवर इंटेलीजेंस,* 35(1), 13-21.

गुन्गौर, ए., एराइलमाज़, ए. एवं फेकॉग्लू, टी. (2007) 'दी रिलेशनशिप ऑफ फ्रेशमैन्स फिजिक्स अचीवमेंट एंड देयर रिलेटिड इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स', *जर्नल ऑफ रिसर्च इन साइंस टीचिंग,* 44(8), 1036-1056.

गैम्बेल्स, एम. (2002) 'द इफ़ेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑनसाइंस अचीवमेंट : ए स्टडी कंडेक्टट अमंग हाई स्कूल पीपल्स इन साइप्रस', *इंटरनेशनल रीव्यू ऑफ एजुकेशन,* 48(6), 469-484.

हैरिस, ए. (2008) 'प्रीडिक्टिन्ग क्रिएटिविटी एंड एकेडमिक सिक्सिस विद ए फेक प्रूफ मीजर ऑफ दी बिग फाइव'. *जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी,* 42 (5), 1323-1333.

हबीबुल्ला, एन., अब्दुल्ला, आर., हामिद, टी.ए. एवं सीरीर, जे. (2008) 'इंटेलीजेंस एंड जेंडर एज प्रीडिक्टर्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट एमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स', *यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस,* 7, 199-200.

मुखोपाध्याय, आर. (2014) 'साइनटिफिक एटीट्यूड : सम साइकोमैट्रिक कॉन्सीड्रेसन', *आईएसओआर जर्नल ऑफ ह्यूमिनिटीज एंड सोशल साइंस,* 1(7), 98-100.

मोन्टेगोमेरी, डी.सी., पीक, ई.ए. एवं विनिंग, जी.जी. (2001) *इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेसन एनालिसिस* (थर्ड एडिशन), न्यूयार्क : जॉन विले एंड सन्स.

नादीरी, एच., अब्दुल्ला, आर. एवं सीरीर, जे. (2009) 'इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड जेंडर एज प्रीडिक्टर्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट अमंग अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स'. *जर्नल ऑफ अमेरिकन साइंस,* 5(2), 45-56.

नादीरी, एच., अब्दुल्ला, आर., अजीन, एच. टी. एवं सीरीर, जे. (2010) 'इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट : एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेंडर डिफरेंसिस', *लाइफ साइंस जर्नल,* 7(1), 83-87.

ऑसबर्न, जे.डबल्यू. एवं वाटर्स, ई. (2002) 'फोर एजम्पसंस ऑफ मल्टीपिल रिग्रेसन दैट रिसचर्स शुड ऑलवेज टेस्ट', *प्रेक्टिकल असेसमेंट, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन,* 9(6), 12-16.

ऑसबर्न, जे.डबल्यू. एवं ओबरवे, ए. (2004) 'दी पावर ऑफ आउटलायर्स एंड व्हाई रिसचर्स शुड ऑलवेज चेक फॉर देयम. प्रेक्टिकल असेसमेंट', *रिसर्च एंड इवैल्यूएशन,* 9(6), 1-5.

पैलेंट, जे. (2005) *एसपीएसएस सरवाइवल मैनुअल : ए स्टेप बाई स्टेप टू डेटा एनालिसिस यूजिंग एसपीएसएस फॉर विंडोस (वर्जन 12),* (सेकण्ड एडिशन) मेडेनहेड : ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस.

तबाकनीक, बी.जी. एवं फिडेल, एल.एस. (2007), *यूजिंग मल्टीवैरिएट स्टेटिस्टिक्स* (फिफ्थ एडिशन), बोस्टन, मेसाचुसेट्स : एलन एंड बेकन.

विल्सन, वी.एल., एक्रमैन, सी. एवं मालवे, सी. (2000) 'क्रॉस- टाइम एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट फॉरमेशन एंड अचीवमेंट इन कॉलेज फ्रेशमैन फिजिक्स', *जर्नल ऑफ रिसर्च इन साइंस टीचिंग,* 37(10), 1112-1120.

यन्गुंग, सी. (2016) 'स्पेसियल ऑटोकोरिलेशन एप्रोचिस टू टेस्टिंग रेसिडुअल्स फ्रॉम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेसन', *प्लॉज्स वन,*11 (1), 1-19.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 31-40)

ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत एवं कृषि का योगदान

लोहित राम* एवं राम बाबू†

भारत के ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए सीधे तौर पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। कृषि सकल मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में और 72.4 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण परिवेश में निवास करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का इतना महत्व है कि विभिन्न उत्पादन और मांग सम्बंधों के विनियोजन और सृजन में यह महत्पूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार कृषि, उद्योग और व्यापार परस्पर एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। दूसरा, 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद, पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अधिक मजबूत हुई हैं। पीआरआई ग्रामीण विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेष दायित्व का निर्वहन करती है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं के लिए मुख्य कार्यकारी एजेंसी है। ग्राम पंचायत कृषि योजनाओं के अनुरूप पंचायत स्तरीय कृषि योजनाएं

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
E-mail: lohitramphd@gmail.com
†सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
E-mail: rambabuyadav256@gmail.com

तैयार करने में बेहतर भूमिका निभा सकती है। एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ एक मजबूत प्रयास की जरूरत है। ग्राम पंचायत के माध्यम से कृषि योजनाओं का कार्यान्वयन अथवा कृषि क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार ग्रामीण विकास में सहायक हो सकता है यह जानने हेतु इस शोधपत्र में ग्राम पंचायत एवं कृषि के ग्रामीण विकास में योगदान का पता लगाने का प्रयास किया गया है। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और राजनीतिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ग्राम पंचायत एवं कृषि किस प्रकार ग्रामीण विकास में सहायक है, यह इस शोधपत्र का प्रमुख केंद्र बिंदु है।

बीज शब्द - ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायत, कृषि योजना, पीआरआई, योजनाओं का कार्यान्वयन, ग्राम पंचायत एवं कृषि, सतत विकास।

प्रस्तावना

कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। ग्रामीण पोषण सुरक्षा, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ भोजन की गारंटी देने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत कृषि भूमि क्षेत्र (157.35 मिलियन हेक्टेयर) के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और मसालों, दालों, दूध, चाय, काजू और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, गन्ना, कपास और तिलहन उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विभिन्न उत्पादन और मांग सम्बंधों के विनियोजन और सृजन में महत्पूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत सरकार ने कृषि के सतत विकास के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसमें 'परंपरागत कृषि विकास योजना' जैसे कार्यक्रम ऐसी ही एक प्रमुख पहल है। जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही सिंचाई तक बेहतर पहुंच के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' अथवा 'प्रति बूंद अधिक फसल' के माध्यम से जल दक्षता में वृद्धि, कृषि विस्तार के लिए 'आत्मा' योजना तथा एकीकृत राष्ट्रीय कृषि का निर्माण को लेकर पहल की जा रही है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए बीज-खाद अनुदान अथवा उनके बैंक खातों में सीधे किसान सम्मान निधि की राशि पहुंचाई जा रही है।[1]

बावजूद इसके, कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के सामने सिंचाई सुविधाओं की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और बेहतर कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर जागरूकता एवं जानकारी का आभाव जैसी चुनौतियां है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम स्तर पर कृषि योजनाओं को विकसित करने में उनके ज्ञान और स्वदेशी ज्ञान जो स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो, उसे अपनाने की जरूरत है।

इसमें पंचायत राज संस्थान की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत सबसे प्रभावशाली कार्य कर सकती है। पीआरआई के माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रक्रिया में लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के साथ वास्तविक ग्रामीण विकास निहित है। महात्मा गाँधी के अनुसार, पंचायतों के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायतों को इस प्रकार संगठित किया जाए ताकि कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर सकें। गाँधी जी के अनुसार "जब तक सत्ता सभी के द्वारा साझा नहीं की जाती तब तक लोकतंत्र एक असंभव चीज बन जाती है, लेकिन लोकतंत्र को भीड़तंत्र में परिवर्तित नहीं होने दें।" गाँधी जी ग्राम पंचायत की प्राथमिक इकाई से लेकर अखिल भारतीय पंचायत के स्तर तक सभी प्रकार की शक्तियों के विकेंद्रीकृत होने के पक्षधर थे।[2] भारतीय संविधान के भाग 9 में सूचीबद्ध 29 विषयों को गाँधी जी के विकेन्द्रीयकरण सिद्धांत के अनुरूप ही पंचायतों को सौपा गया है, जिसमें करीब 12 विषय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से सम्बन्धित है, जोकि ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों के बड़े दायित्व को तय करते हैं।[3]

शोध पत्र का उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य - ग्राम विकास में कृषि के महत्व एवं पंचायतों की भूमिका पता लगाना। ग्राम पंचायतों द्वारा कृषि योजना निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का वर्गीकरण करना। ग्रामीण विकास में कृषि एवं ग्राम पंचायतों के योगदान की समीक्षा करना।

शोध पद्धति

ग्रामीण विकास में कृषि एवं ग्राम पंचायतों के योगदान को समझने के लिए द्वितीयक स्रोतों से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। क्योंकि देश की लगभग 68 प्रतिशत आबादी की आजीवका कृषि से जुड़ी है, ऐसे में कृषि क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों की भूमिका ग्रामीण विकास में बहुत अहम है, जिससे इस अध्ययन का महत्व बढ़ जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्राम पंचायत के कृषि क्षेत्र में संवैधानिक दायित्व एवं कृषि के देश की अर्थव्यवस्था में प्रदर्शन का वर्णन करने हेतु द्वितीयक स्रोत्र के रूप में सरकारी और गैर-सरकारी विभागों/संगठनों के प्रतिवेदन, कार्यालयी अभिलेख, मंत्रालय की रिपोर्ट, रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्र, समाचार पत्रों के आलेख इत्यादि से सूचनाएं एकत्रित की गई हैं।

कृषि क्षेत्र में ग्राम पंचायत की भूमिका

भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के बाद, पंचायती राज संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रमुख चालक है। पंचायती राज व्यवस्था में एक या गाँव के समूह के लिए, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत वह प्राथमिक और बुनियादी इकाई है जो न केवल ग्रामीणों के राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गाँव में सभी विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करती है। वहीं कृषि ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने और रोजगार प्रदान करने के साथ विभिन्न लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों की रीढ़ है। इसलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रामीण विकास कृषि पर ही निर्भर है।

संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायत के सूचीबद्ध 29 विषयों के सम्बंध में कृषि विस्तार, भूमि सुधार एवं संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, लघु एवं कुटीर उद्योग इत्यादि 12 विषय प्रत्यक्ष रूप से कृषि से सम्बंधित हैं। वहीं, ग्राम पंचायत अपने विषयगत लक्ष्यों किसानों को बेहतर कृषि आगत (लागत उत्पाद) उपलब्धता, कृषि विस्तार और प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा, गुणवत्ता का उत्पादन तथा उत्पाद बिक्री के लिए बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित कराकर उनकी आय में सुधार के लिए सक्षम बनाते हैं।[4]

कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं। ग्रामीण विकास के लिए इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायतों के लिए सूचीबद्ध विषयों पर अनुच्छेद 243-छ विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपता है। ग्राम पंचायत का मुखिया कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत में किसानों का डेटाबेस तैयार करने, समन्वय तंत्र बनाने और एमआईएस (प्रबन्धन सूचना प्रणाली) के द्वारा योजना और निगरानी प्रणाली विकसित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे शक्तियों का अधिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावशाली रूप से होता है।[5]

पंचायत स्तरीय कृषि योजना निर्माण

पंचायती राज संस्थान की विकेन्द्रीकृत भूमिका में पंचायत स्तरीय कृषि योजना विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं -

1. **योजना टीम का गठन और क्षमता निर्माण -** सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में गठित की जाने वाली योजना टीम के लिए स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श किया जाता है। इसमें गाँव के युवा, महिलाएँ, सरकारी अधिकारी, पीआरआई के सदस्यों की भागीदारी होती है। टीम गठन के बाद विकेन्द्रीकृत नियोजन के विभिन्न पहलुओं जैसे दृष्टिकोण निर्माण, तथ्य संग्रह आदि पर गहन क्षमता निर्माण अभ्यास आयोजित किया जाता है।
2. **विकास के लिए दृष्टिकोण निर्माण -** इस चरण में सम्बंधित विभागों/हितधारकों से उचित परामर्श के साथ गांव की जरूरतों और दीर्घकालिक विकास आवश्यकताओं पर दृष्टि निर्माण किया जाता है। इसमें गुणात्मक इनपुट शामिल करने के लिए इस दस्तावेज़ तकनीकी सहायता संस्थानों (टीएसआई), ब्लॉक कृषि योजना इकाई

(बीएपीयू) और जिला कृषि योजना इकाई (डीएपीयू) के साथ साझा किया जाता है ताकि पंचायत स्तर के दृष्टिकोण को ब्लॉक और जिला स्तर के साथ जोड़ा जा सके।

3. **तथ्य संग्रह और क्षेत्रों की पहचान -** दृष्टिकोण निर्माण के बाद, ग्राम पंचायतों में तथ्य संग्रह की प्रक्रिया शुरू होती है। गाँव में घरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भूमि उपयोग पैटर्न, स्रोत सिंचाई, प्रमुख फसलें, औसत पैदावार और पारंपरिक कृषि पद्धतियां आदि विषय पर जानकारी इकठ्ठा की जाती हैं। तथ्य संग्रह एक प्रशिक्षित टीम द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें तथ्य विश्लेषण टीम का अगला कदम होना चाहिए। तथ्य संग्रह और उसके विश्लेषण के लिए पंचायत को विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए ताकि इसमें गुणवत्ता सुधार किया जा सके। तथ्य विश्लेषण के बाद, निष्कर्षों को टीम के साथ साझा किया जाता है ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विकासात्मक योजनायें बनाई जा सकें -

- मृदा अपरदन नियंत्रण एवं जल संरक्षण
- जल संचयन को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग एवं दक्षता को बढ़ावा।
- तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना।
- एकीकृत फसल प्रबंधन का विस्तार करना।
- गुणवत्तापूर्ण बीजों का संरक्षण करना।
- पंचायत स्तरीय कृषि योजना बनाना
- डेयरी, पोल्ट्री आदि को बढ़ावा देना।

4. **संसाधनों की पहचान एवं जरूरत मिलान -** केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं अथवा सांसद/विधायक निधि, विशेष प्रयोजन अनुदान, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों इत्यादि की पहचान के बाद, योजना टीम को एक साथ बैठकर संसाधनों के साथ जरूरतों का मिलान करती है। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत को ब्लॉक, जिला प्रशासन और तकनीकी संस्थानों से सहायता लेनी चाहिए।

5. **ग्राम सभा द्वारा कृषि योजनाओं का अनुमोदन -** ग्राम स्तर पर कृषि योजना तैयार होने के बाद अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में इस पर चर्चा की जाती है। योजना को लेकर ग्राम सभा द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार संशोधन किया जाता है, इसे लागू करने से पूर्व एक बार पुन: ग्राम सभा के सन्मुख प्रस्तुत किया जाता है।

6. **निगरानी रखना -** योजना स्वीकृत होने के बाद जब कार्यान्वयन के लिए ले ली जाती है, तो इसकी प्रगति की निगरानी करना अति आवश्यक है। इसमें ग्राम स्तर पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के लिए ग्राम पंचायत निगरानी समिति का गठन करती है। साथ ही ग्राम सभा की समय-समय पर बैठक में प्रस्तुति की जाती है। यदि सम्बंधित एजेंसी कार्य में देरी करती है तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इससे सम्बन्धित आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

7. **सामाजिक अंकेक्षण -** एक नियमित अंतराल में ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। इससे ग्राम सभा को कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करने और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। सामाजिक अंकेक्षण से पहले टीम के सदस्यों द्वारा गाँव के लोगों में इसका प्रचार-प्रसार जरुरी होता है ताकि समाज के सभी वर्गों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।[6]

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर समयानुसार कृषि योजना की मांग ग्राम पंचायत सदस्यों, महिलाओं, किसानों आदि विभिन्न हितधारकों की उचित भागीदारी ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है।

ग्रामीण आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जीवन-यापन के लिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत और 72.4 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि विभिन्न उत्पादन और मांग सम्बंधों के विनियोजन और सृजन की दृष्टि से विशेष भूमिका निभाती है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने, खनन और उत्खनन सहित) द्वारा स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धित वर्ष 1950-51 में 1,50,191 करोड़ रुपये और 2020-21 में 23,25,548 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। प्राथमिक क्षेत्र में (तालिका 1 के अनुसार) प्रति वर्ष 3.99 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई। दूसरी ओर, पिछले सात दशकों के दौरान द्वितीयक क्षेत्र द्वारा आरजीवीए में 6.51 प्रतिशत की उच्चतम वार्षिक चक्र वृद्धि दर (एसीजीआर) देखी गई, इसके बाद तृतीयक क्षेत्र (6.48 प्रतिशत) का स्थान रहा।[7]

तालिका 1

क्षेत्रवार कारक लागत पर वास्तविक सकल मूल्य जोड़ा गया (करोड़ रु.)

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीय श्रेणी क्षेत्र	कुल
1950-51	150191	40138	82591	279618
1960-61	204340	73555	123872	410279
1970-71	258665	126356	196158	589787
1980-81	305906	183970	300613	798506
1990-91	444880	325450	573465	1347889
2000-01	592227	570571	1185683	2348481
2010-11	828431	1262722	2827380	4918533
2020-21	2325548	3319280	6694347	12339175
एसीजीआर (प्रतिशत)	3.99	6.51	6.48	5.56

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, खंड 2, तालिका 1.3

चित्र 1
वास्तविक सकल मूल्य वर्धित में क्षेत्रवार हिस्सेदारी (प्रतिशत)

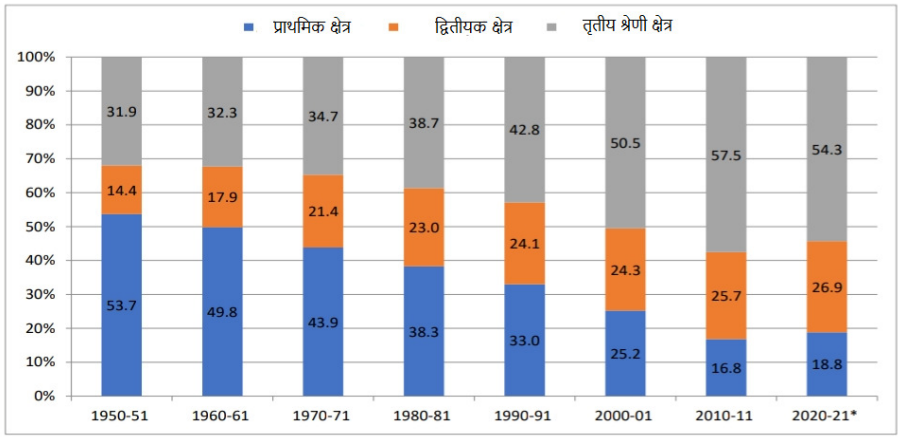

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, खंड 2, तालिका 1.3

भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों के कारण, सकल मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1951 में 53.71 प्रतिशत से लगातार घटकर 2020-21 में 18.85 प्रतिशत रह गया है (चित्र 1)। हालाँकि, प्राथमिक क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन और देश की बढ़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं सहित अन्य सभी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस कठिनाई के दौर में कृषि एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरी, यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान समग्र सकल मूल्य वर्धित करने में विशेष योगदान दिया।[8]

रोजगार सृजन में कृषि का योगदान

कृषि देश को भोजन, चारे और विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है। देश की ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के लिए आजीविका के स्रोत के रूप कृषि का बड़ा योगदान है। वर्तमान में रोजगार के अवसरों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भरता में जनसंख्या का अनुपात देश के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र का महत्व इससे पता चलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 313 मिलियन मुख्य श्रमिकों में से 166 मिलियन (56.6 प्रतिशत) कृषि से सम्बंधित गतिविधियों में लगे हुए थे। वर्तमान में देश के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं।[9]

तालिका 2
भारत में उद्योगवार रोजगार - 2018/19 (संख्या करोड़ में)

उद्योग	ग्रामीण	शहरी	कुल
कृषि	19.5	0.97	21.51
उत्पादन	2.56	3.67	5.9
निर्माण	4.04	1.63	5.71
खनन एवं उत्खनन	0.13	0.08	1.02
बिजली एवं पानी इत्यादि	0.13	0.19	0.29
व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट	2.59	3.53	6.12
यातायात, भण्डारण एवं संचार	1.31	1.72	3.03
अन्य सेवाएं	2.59	4.18	6.77
कुल	32.83	15.96	48.76

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, खंड 2, पृ. 363

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 (पीएलएफएस) में अनुमान लगाया गया है कि भारत में श्रम बल का आकार 51.82 करोड़ व्यक्ति (48.79 करोड़ नियोजित और 3.04 करोड़ बेरोजगार) है। कार्यबल पर सर्वेक्षण में उद्योग और गतिविधि से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में 21.51 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत थे। इस प्रकार, 42.5 प्रतिशत कार्यबल के साथ कृषि अभी भी देश में सबसे बड़ा नियोक्ता है (तालिका 2)। इसके अलावा कुल नियोजित व्यक्तियों में से लगभग 52 प्रतिशत नियोजित कार्यबल के साथ स्व-रोज़गार प्रमुख स्रोत है।[10]

कृषि व्यापार : आयात एवं निर्यात

आज, भारत अपनी आन्तरिक मांग के मामले में आत्मनिर्भर है, साथ ही कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक भी है। भारत से कृषि और सम्बद्ध उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियाँ, मसाले, चाय, कॉफी, तम्बाकू, चीनी, गुड़, काजू, कपास, मछली, मांस और प्रसंस्कृत भोजन इत्यादि का निर्यात वर्ष 1990-91 में 6,013 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 2,40,729 करोड़ तक पहुंच गया।[11] (तालिका 3 और चित्र 2)।

तालिका 3
भारत के कृषि व्यापार के पैटर्न (करोड़ रुपये)

वर्ष	कृषि निर्यात	कृषि आयात	कृषि व्यापार संतुलन	कृषि व्यापार (प्रतिशत)
1990-91	6013	1206	4807	499
1965-96	20398	5890	14508	346
2000-01	28657	12086	16571	237
2005-06	45711	15978	29733	286
2010-11	113047	51074	61973	221
2015-16	215396	140289	75107	154
2020-21	240729	147975	92754	163
एसीजीआर (प्रतिशत)	13.09	17.39	10.37	-3.66

स्रोत : (1) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सांख्यिकी एक नज़र-2020
(2) वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकाता

चित्र 2
भारत में कृषि व्यापार का पैटर्न और योगदान (करोड़ रुपये)

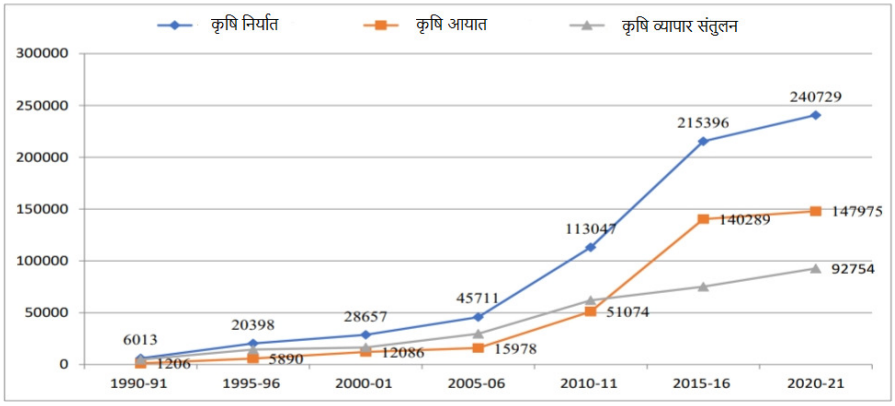

स्रोत : (1) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सांख्यिकी एक नज़र-2020
(2) वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकाता

पिछले 30 वर्षों के दौरान कृषि निर्यात में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें 13.09 प्रतिशत की वार्षिक चक्र वृद्धि देखी गई है। दूसरी ओर, वर्ष 2020-21 में रुपये 1,47,975 करोड़ कृषि आयात में 123 गुना से अधिक तीव्र वृद्धि देखी गई। जबकि वर्ष 1990-91 में रुपये 1,206 करोड़, यानी 17.39 प्रतिशत की वार्षिक चक्र वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ भारत का समग्र व्यापार संतुलन हमेशा नकारात्मक रहा है, वहीं कृषि वस्तुओं का व्यापार संतुलन पिछले तीन दशकों में लगभग 19 गुना बढ़ा है, जो विदेशी उत्पादन में कृषि के महत्व के साथ देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को भी दर्शाता है। हालाँकि देश में विविध कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित हस्तक्षेपों के द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ाने की बहुत अधिक गुंजाइश है।[12]

निष्कर्ष

भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। इसलिए ग्रामीण विकास में कृषि का विशेष योगदान है। दूसरा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद, पंचायती राज संस्थान ग्रामीण विकास का प्रमुख चालक है। पंचायती राज व्यवस्था में एक या अधिक गाँव के समूह के लिए गठित ग्राम पंचायत ग्रामीणों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायतों के लिए सूचीबद्ध विषयों पर अनुच्छेद 243-छ द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया

कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत में किसानों का डेटाबेस तैयार करने, समन्वय तंत्र बनाने और प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के द्वारा योजना और निगरानी प्रणाली विकसित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विकास एवं विस्तार में ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका है। वहीं कृषि ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने और रोजगार प्रदान करने के साथ विभिन्न लघु, माध्यम एवं बड़े उद्योगों की रीढ़ है। इसलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रामीण विकास कृषि पर ही निर्भर है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत ग्रामीण और 72.4 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि विभिन्न उत्पादन और माँग सम्बंधों के विनियोजन और सृजन में की दृष्टि से विशेष भूमिका निभाती है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन अथवा कृषि व्यापार, आयात-निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा नियोजन ही ग्रामीण विकास का प्रत्यक्ष परोक्ष परिचालक है। देश में विविध कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के लिए पंचायत स्तरीय कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्यात में बढ़ौतरी की जरूरत है।

सन्दर्भ

1. https://www.devalt.org/newsletter/dec16/of_4.htm
2. https://www.mkgandhi.org/articles/village_development
3. दहामा (1993) *एक्सटेंशन एंड रूरल वेलफेयर*, आगरा : राम प्रसाद एंड सन्स पब्लिशर्स, पृ. 41
4. शारदा, मुरलीधरन (2016) 'सशक्त लोगों और जवाबदेह पंचायत के लिए सक्रिय ग्राम सभा', *रिसर्च गेट*, पृ. 6, 8
5. मानकर, डी.एम., हिरेवेंकांगौदर, एल.वी. और मंजुनाथ, एल. (2008) *पंचायत सदस्यों द्वारा कृषि विकास*
6. https://www.devalt.org/newsletter/dec16/of_4.htm
7. आर्थिक सर्वेक्षण : 2020-21, खंड 2, तालिका 1.3
8. शर्मा, एच.एल. (2018) 'ग्रामीण विकास में सम्बद्ध क्षेत्र की भूमिका', *कुरुक्षेत्र*, 66(6), अप्रैल, पृ. 5-9
9. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, खंड 2, पृ. 363
10. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20
11. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सांख्यिकी एक नज़र-2020
12. एच.एल. शर्मा (2021), 'उद्यमिता : सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक', *कुरुक्षेत्र*, 69(12), अक्टूबर, पृ. 37-42

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 41-52)

अन्ना आन्दोलन - दिल्ली में बदलती चुनावी राजनीति और आम आदमी पार्टी का उदय

राकेश कुमार*

21वीं शताब्दी का दूसरा दशक भारतीय चुनावी राजनीति में परिवर्तनों का वर्ष रहा, जहाँ कुछ क्षेत्रों में राज्य स्तर पर तथा केन्द्रीय स्तर पर भी सत्ता में परिवर्तन हुआ और नए लोग सत्ता में आए। इनमें से एक नया दल जो अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने में कामयाब रहा, वह आम आदमी पार्टी (आप) है। एक नया दल जिसने 2013 में दिल्ली की चुनावी राजनीति में शानदार प्रवेश किया तथा 2014 में एक असफल वर्ष से गुजरा, और फरवरी 2015 में, जब दोबारा से दिल्ली विधानसभा के चुनावों में गया तो एक बड़ी चुनावी जीत हासिल करने में सफल रहा। वर्तमान में आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय दल बन चुका है। तथा वह राज्य जहाँ मुख्य तौर पर चुनावी राजनीति में भाजपा व कांग्रेस ही मुख्य खिलाड़ी हैं, वहाँ आप मजबूती से अपनी पहुँच बना रही है। इस शोध-पत्र में 'अन्ना आन्दोलन' (इंडिया अगेंस्ट करप्शन) तथा अन्ना आन्दोलन से आम आदमी पार्टी के उदय का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है। 'आप' पारंपरिक राजनीतिक प्रदर्शनों की सूची में नए समाधानों को शामिल करने में सक्षम रही है। दिल्ली में 'आप' न सिर्फ कांग्रेस के पारंपरिक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल रही है,

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ (उ.प्र.)
E-mail: rickey48590@gmail.com

अन्ना आन्दोलन- दिल्ली में बदलती चुनावी राजनीति और आम आदमी पार्टी का उदय

बल्कि वह मध्यम वर्ग के मतदाताओं तक भी पहुँचने में भी सफल रही है, जो किसी भी नए दल के लिए, दो मुख्य स्थापित दलों की उपस्थिति में मुश्किल कार्य हो सकता है।

बीज शब्द - आन्दोलन, आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार, जन लोकपाल विधेयक।

भूमिका

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, किसन बाबूराव हजारे जिन्हें अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने के लिए किया गया था। आंदोलन के उद्देश्यों और घटनाओं पर चर्चा करने से पहले, आन्दोलन के प्राथमिक नायक अन्ना हजारे के जीवन और इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जाना चाहिए, उनका लोक केंद्रित और लोगों द्वारा नियंत्रित दृष्टिकोण उनके लंबे समय से चले आ रहे रालेगांव सिद्धि में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से परिलक्षित होता है। जहाँ अन्ना हजारे महाराष्ट्र के राजनीतिक समाज के खिलाफ एक लम्बे भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन और उनके विरोध के 'गांधीवादी' तरीकों के लिए प्रसिद्ध थे। हजारे के दर्शन और सिद्धांतों ने ही इस 'नागरिक उभार' को शुरूआती पहचान दी, जो बाद में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए एक देशव्यापी आह्वान बन गया। उनका आमरण अनशन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए रैली स्थल बन गया और सरकार को लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अन्ना हजारे सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् 1970 के दशक के मध्य में रालेगांव सिद्धि में वापस आ गए, जो उस समय सूखे, गरीबी, अपराध और शराब की चपेट में था और शहरी मलिन बस्तियों की ओर लगातार पलायन कर रहा था। उन्होंने गांव में विकास कार्यों के लिए अपनी बचत का उपयोग किया जिसमें शराब पर प्रतिबंध, मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई और पेड़ों की कटाई में प्रतिबन्ध लगवाना शामिल था। उनका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना था। इसलिए, उन्होंने ग्रामीणों को स्वैच्छिक श्रम के लिए प्रेरित किया। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए नहरों और मेड़ों का निर्माण किया गया, जिससे पानी की कमी की समस्या का समाधान हुआ और गाँव में सिंचाई की संभावनाएँ भी बढ़ीं। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को गाँव के द्वितीय व्यवसाय के रूप में बढ़ावा दिया। उन्होंने गाँव के भीतर साक्षरता दर और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भी काम किया। उनके नेतृत्व में गांव में छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था। अन्ना के प्रयासों की बदौलत, एक बंजर गाँव रालेगाँव सिद्धि धीरे-धीरे ग्रामीण विकास के एक अनोखे मॉडल में तब्दील हो गया। इस उपलब्धि के कारण ही उन्हें 1992 में भारत सरकार से पद्म भूषण पुरस्कार मिला।

रालेगांव सिद्धि को रूपांतरित करने की इस प्रक्रिया के दौरान ही अन्ना को पहली बार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की समस्या का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उन्होंने जल्द ही सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से लड़ने और जन-समर्थक कानूनों की वकालत करने का संकल्प

लिया, और 'भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन' के बैनर तले एक अभियान शुरू किया। उनकी पहली कार्यवाही 1991 में (उस समय शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे), लकड़ी के व्यापारियों की ओर से काम कर रहे 42 वन अधिकारियों के खिलाफ थी जिसके कारण बड़े पैमाने पर निलंबन और दोषी अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ। 1995-96 में उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा सरकार का विरोध किया, जिसके कारण दो मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया। 2003 में, उन्होंने महाराष्ट्र में राकांपा-कांग्रेस सरकार में चार मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ न्यायिक जांच हुई (फ्रंटलाइन, 2011)।

अन्ना हजारे का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान 1997 से 2003 तक महाराष्ट्र में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की शुरुआत के लिए उनका संघर्ष था। उन्होंने 2003 में आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू की, जिसका समापन राज्य आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन से हुआ। हालांकि, प्रारंभिक कानून अप्रभावी था, उन्होंने अपना अभियान जारी रखा और कानून को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ नागरिक समिति की स्थापना में सफल रहे। इसके बाद, इसमें से अधिकांश प्रावधान राष्ट्रीय आरटीआई अधिनियम, 2005 का हिस्सा बन गए। उस समय हजारे की मांग वास्तव में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अभियान की शुरुआत थी। उस समय एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "मेरा उद्देश्य लोगों को जगाना और उन्हें जागरूक करना है कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। ज्ञान के बिना यह पूरा संघर्ष विफल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि लोग जागरूक हों ताकि उनकी पहुंच सरकारी रिकॉर्ड और फाइलों तक हो। प्रत्येक व्यक्ति को सूचना का अधिकार है। यह जन शक्ति का मार्ग है, इसलिए ही वह 2003 में भूख हड़ताल पर चले गए" (फ्रंटलाइन, 2011)।

आन्दोलन के उद्देश्य

आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद या राष्ट्रमंडल खेलों की गड़बड़ी जैसे उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार घोटालों का ही विरोध नहीं था, बल्कि यह उस नैतिक अपमान का भी विरोध था जो आम नागरिक रोजाना देखते हैं, जब उन्हें फाइलों को स्थानांतरित करने या सरकारी अधिकारियों के माध्यम से अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आंदोलन के पीछे का उद्देश्य एक ऐसे कानून की मांग करना था, जो वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी सरकारी अधिकारियों को तत्काल सजा दिलाने में मदद कर सके। इसके अलावा, आंदोलन के नेताओं ने यह भी मांग की थी कि लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में नागरिक समाज को भी शामिल करना चाहिए। जन लोकपाल विधेयक में केंद्र के स्तर पर जन लोकपाल तथा राज्य के स्तर पर जन लोकायुक्त नामक संस्थान बनाने का प्रस्ताव था। सभी मौजूदा भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता एजेंसियों का इन उपर्युक्त संस्थानों में विलय हो जाएगा। जन लोकपाल और जन लोकायुक्त सलाहकार निकाय नहीं होंगे, लेकिन सरकार पर निर्भरता के बिना पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थान होंगे। इन संस्थानों के निर्माण के पीछे मुख्य

उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्ट अधिकारियों को समयबद्ध जांच के माध्यम से दंडित किया जाए (गोस्वामी-बंद्योपाध्याय, 2012)।

आन्दोलन की रूपरेखा

30 जनवरी, 2011 को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर लोगों ने 60 से अधिक शहरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च निकाला। अन्ना हजारे, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश और वकील प्रशांत भूषण दिल्ली में रैली में शामिल थे। फरवरी 26, 2011 को अन्ना हजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में नागरिक समाज को शामिल करने का निर्णय नहीं लिया तो वह 5 अप्रैल से आमरण अनशन करेंगे। फरवरी 27, 2011 को 'भारत स्वाभिमान' के बैनर तले जंतर- मंतर से रामलीला मैदान में एक मजबूत लोकपाल बिल और विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए रैली निकाली गई (हिंदुस्तान टाइम्स, 2011)।

अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल, 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना 'अनिश्चितकालीन उपवास' शुरू किया, ताकि दंडात्मक कार्रवाई के साथ एक कठोर भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति के गठन की मांग को सुदृढ़ किया जा सके। लोकपाल और लोकायुक्तों (राज्यों में लोकपाल) को अधिक स्वतंत्रता देना, उनकी प्रारंभिक मांग को प्रधान मंत्री द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद यह आंदोलन शुरू किया गया था। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अन्ना की भूख हड़ताल का समर्थन किया। स्वामी रामदेव, स्वामी अग्निवेश और श्री श्री रविशंकर जैसे आध्यात्मिक नेताओं ने भी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को अपना समर्थन दिया। हालांकि, अन्ना ने किसी भी राजनेता के साथ मंच साझा नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनके समर्थन में सामने आई। विरोध प्रदर्शन रामलीला मैदान, नई दिल्ली से बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, शिलांग और कई अन्य शहरों में शुरू हो गया था। इन विरोध प्रदर्शनों के दबाब में, सरकार ने आगामी मानसून सत्र में विधेयक को संसद में पेश करने का निर्णय लिया। अंत में 9 अप्रैल, 2011 को, सरकार ने बिल मसौदा समिति में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल करना स्वीकार कर लिया (गोस्वामी-बंद्योपाध्याय, 2012)।

योग गुरु बाबा रामदेव के 'काला धन' विरोधी आन्दोलन के दौरान रामलीला मैदान दिल्ली में हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में 8 जून, 2011 को, एक दिन की भूख हड़ताल करते हुए, अन्ना हजारे ने सरकार को एक अंतिम प्रस्ताव दिया कि जन लोकपाल विधेयक 15 अगस्त, 2011 तक पारित किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो वह फिर 16 अगस्त, 2011 से एक और अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। जुलाई 2011 के अंत में, केंद्रीय

मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री के कार्यालय को लोकपाल के दायरे से बाहर रखते हुए लोकपाल विधेयक को मंजूरी दे दी और उच्च न्यायपालिका और संसद के अंदर संसद सदस्यों के आचरण को भी लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया, जिसने 16 अगस्त, 2011 से आमरण अनशन के अन्ना के फैसले को और मजबूत किया। 16 अगस्त 2011 की सुबह अन्ना हजारे को उनके करीबी सहयोगियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसके बाद सात दिनों के लिए जेल में भेज दिया गया। जिसके कारण पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लगभग सभी गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दलों और गैर-सरकारी संगठनों ने इस कार्यवाही का विरोध किया, पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की और सरकार पर 'अलोकतांत्रिक' दृष्टिकोण अपनाने का आरोप लगाया। हालांकि, पूरे भारत में विरोध का सामना करने के पश्चात्, दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे को एक सप्ताह के बाद रिहा करने का फैसला किया (दि हिन्दू, 2011)।

अन्ना की भूख हड़ताल और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद, 27 अगस्त 2011 को संसद में जन लोकपाल विधेयक पर एक बहस हुई। अन्ना हजारे ने तीन सिद्धांतों की मांग की थी - (1) नागरिक चार्टर, (2) निचली नौकरशाही लोकपाल के अधीन और (3) राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना। इन तीनों मांगो पर दोनों सदन सहमत दिखे यह अंततः अनशन के अंत का प्रतीक था, हालांकि अन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल कुछ समय के लिए अपना अनशन स्थगित कर रहे हैं तथा वह भारतीय संसद द्वारा एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित होने के बाद ही इसे समाप्त करेंगे।

भाकपा (भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी) के नेता गुरुदास दासगुप्ता ने सरकार को आगाह किया कि टीम अन्ना की धमकियों के मद्देनजर लोकपाल मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाए और किसी भी परिस्थिति में संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाए। दूसरी ओर, शिवसेना ने लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे का विरोध करते हुए कहा कि लोकपाल एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय होना चाहिए जो किसी के प्रति जवाबदेह न हो। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जोर देकर कहा कि सरकार को लोकपाल विधेयक में लोकपाल की सरंचना में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शामिल करना चाहिए। जिसे स्वीकार करते हुए सरकार ने लोकपाल विधेयक में अल्पसंख्यकों के आरक्षण को शामिल करने का फैसला किया। अन्ना के आंदोलन को संविधान के खिलाफ एक साजिश बताते हुए, लालू यादव ने कहा कि पूर्व सांसदों, न्यायपालिका के साथ-साथ प्रधान मंत्री को भी इसके तहत नहीं लाया जाना चाहिए। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकपाल विधेयक पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि विधेयक की भाषा और साथ ही विधेयक में शामिल धार्मिक कोटा दोनों ही असंवैधानिक हैं। इन तर्कों के बाद, सरकार ने अंततः अगस्त 2011 में पेश किए गए लोकपाल विधेयक को वापस ले लिया और 116 वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011' को फिर से पेश किया, जिसमें लोकपाल की संरचना में अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग

और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल था। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का सीबीआई पर नियंत्रण नहीं है और निचली नौकरशाही को सीधे नियंत्रण में नहीं लाया जाता है तो नया विधेयक किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि वह 27-29 दिसंबर तक तीन दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे तथा 'जेल भरो' आन्दोलन शुरू करेंगे (इकॉनोमिक टाइम्स, 2011)।

फरवरी 2012 में संसद के बजट सत्र के दौरान लोकपाल विधेयक को फिर से पेश किया गया, लेकिन इसे प्राथमिकता नहीं दी गई और विधेयक पारित किए बिना सत्र समाप्त हो गया। इन परिस्थितियों में, अन्ना हजारे ने एक बार फिर 25 मार्च, 2012 को जंतर मंतर पर एक दिन के उपवास पर बैठने का फैसला किया। लोकपाल आन्दोलन के अपने अंतिम उपवास, 3 अगस्त 2012 को उन्होंने व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए लड़ने के वादे के साथ उपवास तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद, टीम अन्ना ने घोषणा की कि उसने संघर्ष के रास्तों को बदलने का फैसला किया है, और एक गैर-जिम्मेदार प्रणाली पर बाहर से दबाव डालने की कोशिश करने के बजाय, वह एक राजनीतिक दल बनाकर तथा चुनाव लड़कर इसे भीतर से सुधारने का प्रयास करेगी। टीम अन्ना के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने के अपने फैसले पर टिप्पणी की - "हम श्री अन्ना हजारे और उनके सभी सहयोगियों, जो अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं, आह्वान करते हैं कि वे इस सरकार से अपनी उम्मीदों को छोड़ दें। इसके बजाय, हम उनसे अपनी ऊर्जा को एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत बनाने पर केंद्रित करने का आह्वान करते हैं जो लोकतांत्रिक, जवाबदेह, नैतिक और अहिंसक हो और सत्ता को लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत करने के लिए एक चुनावी क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम हो और देश की शक्ति संरचनाओं को अधिक जवाबदेह बना सके" (चौधरी, 2012)। इस प्रकार जनलोकलाप आन्दोलन को नेतृत्व करने वाली 'टीम अन्ना' के एक मुख्य नेता अरविन्द केजरीवाल की अगुवाई में कई अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एक राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी का निर्माण 26 नवम्बर 2012 में किया।

अन्ना हजारे के आंदोलन ने सरकार को लोकपाल विधेयक की प्रकृति और तौर-तरीकों पर बातचीत के लिए अन्ना के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए मजबूर किया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में लोकपाल संस्था की नियुक्ति की सिफारिश की, तब से, वर्ष 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 और 2001 में संसद में लोकपाल कानून पेश किए गए परन्तु सरकार संसद से इसे पारित करवाने में कामयाब नही हो पाई (झा, 2018)। अंत में, लोकपाल विधेयक, 2013 का आधिकारिक संस्करण, 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र और राज्यों में एक बहु-सदस्यीय भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान किया। लोकपाल में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य होंगे, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे और आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे। एक

चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। लोकपाल के नाम की सिफारिश करने के लिए बनी चयन समिति में पांच सदस्यीय पैनल शामिल होगा जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। लोकपाल के समक्ष कोई भी शिकायत कर सकता है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद के सदस्य और गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे जो दस लाख से अधिक विदेशी दान प्राप्त करते हैं और लोक सेवकों की सभी श्रेणियां शामिल हैं। लोकपाल प्रधान मंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवकों को सम्मिलित करेगा, लेकिन इसमें सशस्त्र बल और न्यायपालिका शामिल नहीं होगी। इसी तरह राज्य स्तर पर भी लोकायुक्त की संस्था होगी जो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच करेगी (झा,2018)।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय

आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक समाज आंदोलन 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' (आईएसी) से उभरी, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा था। 2011-12 के दौरान दिल्ली में आईएसी के विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था, और आन्दोलन में बड़ी संख्या में आम भारतीय नागरिकों ने भाग लिया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की अपनी मांग को स्वीकार करने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद, हालांकि, आंदोलन को एक विभाजन का सामना करना पड़ा, और नवंबर 2012 में, अन्ना हजारे के करीबी सहयोगी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक वर्ग ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया, जबकि अन्ना हजारे और उनके अन्य समर्थकों ने चुनावी राजनीति से बाहर रहने का फैसला किया। अपने गठन के बाद से, आप की रणनीति विचारधारा के बजाय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने या पार्टी आधारित राजनीति की पहचान करने की रही है। इसने मोहल्ला सभाओं (स्थानीय समितियों) के माध्यम से स्व-शासन (स्वराज) के सिद्धांत और शासन के विकेंद्रीकरण की भी वकालत की।

वायट के अनुसार, "आम आदमी पार्टी एक सजातीय सामाजिक समूह के लिए अपील नहीं करती है, और इसलिए एक खास वर्ग से लाभ नहीं उठाती है जो जाति या धर्म पर आधारित हो। इसके बजाय, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आधारित एक राजनीतिक या गैर-संरचनात्मक विभाजन विकसित करने का प्रयास किया" (वायट, 2015)।

अरविंद केजरीवाल अपेक्षाकृत एक युवा राजनेता हैं, जिनका जन्म 1968 में हरियाणा में हुआ था। वह एक मध्यमवर्गीय परिवार में पले-बढ़े, स्कूल में अपने शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर में प्रवेश प्राप्त किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने टाटा स्टील में इंजीनियरिंग की नौकरी प्राप्त की परन्तु उन्होंने सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा देने के लिए वह कंपनी छोड़ दी। भारतीय राजस्व सेवा

में चयनित होने के पश्चात 1994 में नई दिल्ली में आयकर विभाग में नियुक्त किए गए। सेवा में भ्रष्टाचार से उनका मोहभंग हो गया और उन्होंने इस मुद्दे पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सेवा में रहते हुए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने और नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में मदद करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन, 'परिवर्तन' का गठन किया। 2001 में उन्होंने सरकारी सेवा से विस्तारित अवकाश लिया ताकि वे 'परिवर्तन' के कार्य को विकसित कर सकें। इस अवकाश के दौरान, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) द्वारा चलाए जा रहे सूचना के अधिकार (आरटीआई) अभियान ने केजरीवाल की भागीदारी को आकर्षित किया, और उन्होंने आरटीआई कानून के समर्थन के लिए उत्तर भारत की यात्रा की। बाद में उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने स्वयंसेवी (वालंटियर) समर्थकों का एक नेटवर्क बनाया। केजरीवाल 2011 में व्यापक ध्यान में आए जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन कमेटी ने भ्रष्टाचार के मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए एक मजबूत एजेंसी, लोकपाल के लिए एक अभियान शुरू किया। केजरीवाल ने 2011 और 2012 में लोकपाल आन्दोलन से एक चर्चित चेहरा बन कर निकले (जिलानी, 2011)।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव

2 अक्टूबर 2012 को महात्मा गांधी जयंती के दिन अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 'व्यवस्था को बदलने और लोगों को सत्ता वापस देने तथा वैकल्पिक राजनीति प्रदान करने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया जाएगा। आप का औपचारिक रूप से 26 नवंबर 2012 को संविधान को स्वीकार किए जाने वाले दिन प्रारम्भ किया गया। दिसंबर 2013 में, अपने गठन के ठीक एक साल बाद, आप ने दिल्ली विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव लड़ा, और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए इसने 70 में से 28 सीटें जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बीजेपी ने 31 सीटें जीतीं, कांग्रेस जो पिछले 15 वर्षों से दिल्ली केंद्रशासित राज्य की सरकार चला रही थी, केवल आठ सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर खिसक गई। भाजपा द्वारा अल्पमत या गठबंधन सरकार बनाने से इनकार करने के बाद, आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। हालाँकि आप ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के कथित भ्रष्ट आचरणों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था, इसके बावजूद कांग्रेस के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने का फैसला किया और केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। परन्तु, यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस और भाजपा, आप के बहुप्रचारित 'जन लोकपाल' विधेयक को पेश करने में आप का समर्थन नहीं कर रहे है, उन्होंने केवल 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया (दिवाकर, 2015)। परिणामस्वरूप, दिल्ली में नए चुनाव होने तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके बाद, आप ने लोकसभा के राष्ट्रीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो अप्रैल-मई 2014 में हुआ। यह निर्णय पार्टी के लिए बहुत लाभदायक साबित नहीं

हुआ और आप ने देशभर की 432 सीटों पर चुनाव लड़ा किन्तु पंजाब की चार लोकसभा सीटों पर ही जीत हासिल कर सके।

जनवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा के लिए फिर से चुनाव की घोषणा की गई। 2014 के राष्ट्रीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली भाजपा केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता में थी। इसके बाद, इसने अक्टूबर-दिसंबर 2014 के दौरान हुए चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी सफलता हासिल की थी और दिल्ली विधानसभा के दोबारा चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया। आप की चुनावी रणनीति में खुद को भाजपा के एकमात्र विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रचारित करना और अरविंद केजरीवाल को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करना प्रमुख था। आप स्वयंसेवी (वालंटियर) की टीम ने 'पांच साल केजरीवाल' गीत पर गाते और नाचते हुए लगातार प्रचार करते थे। आप ने मतदाताओं का समर्थन मांगने के लिए ट्विटर और फेसबुक सहित सोशल मीडिया के साथ-साथ पारंपरिक डोर-टू-डोर अभियान का व्यापक उपयोग किया। इसने अपने पार्टी चिन्ह 'झाड़ू' का प्रभावी उपयोग 'समाज को साफ करने' के इरादे का प्रतीक के रूप में किया और गांधी 'टोपी' पार्टी के नेताओं और समर्थकों के लिए एक अहम् हिस्सा बन गई। आप ने प्रचार के अन्य तकनीकों जैसे नुक्कड़ नाटक, कला प्रतियोगिताओं, दीवार कला, संगीत वीडियो, और दिल्ली मेट्रो में अपने स्वयंसेवकों द्वारा यात्रियों के साथ नारेबाजी और दोस्ताना बातचीत का भी प्रयोग किया (ब्रह्मचारी,2015)।

आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान की रणनीतियाँ बहुत हद तक गैर-सरकारी संगठनों के काम करने के तरीके और कुछ प्रमुख वामपंथी पार्टियों के अभियान के समान हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता प्रकाश करात ने आप पर कई बार वाम दलों की नकल करने का आरोप लगाया। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) और जन नाट्य मंच (जनम) दिल्ली मे कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके नुक्कड़ नाटक दिल्ली के भीतर झुग्गियों और गांवों में भी पहुंच गए हैं। नुक्कड़ नाटक, विरोध गीत, भित्ति चित्र, अभिनव पोस्टर और नारेबाजी भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और उसके छात्र संघ चुनावों की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (डीएसयू) के वामपंथी कार्यकर्ता पोस्टर और भित्ति चित्रों के द्वारा हमेशा ध्यान खींचा करते है, प्रचार के यह तरीके आप के चुनावी अभियानों का प्रमुख हिस्सा थे (ब्रह्मचारी, 2015)।

आप ने अपने वित्तपोषण (फंडिंग) के लिए 'क्राउड सोर्सिंग' मॉडल अपनाया, जिसके तहत मोबाइल टेलीफोन के साथ-साथ पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से दान किया जा सकता था। इसने अन्य फंडिग के कई रचनात्मक तरीकों जैसे 'डिनर विद केजरीवाल', और 'सेल्फी विद मफलरमैन' (केजरीवाल) का भी इस्तेमाल किया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के विपरीत इसके फंडिंग स्रोत पूरी तरह से पारदर्शी है। अपने 'दिल्ली डायलॉग' प्रोजेक्ट के माध्यम से मतदाताओं के साथ परामर्श के आधार पर,

आप ने 70-सूत्रीय घोषणापत्र तैयार किया, जिसमें मुफ्त 'लाइफ लाइन' पानी, बिजली दरों में 50 प्रतिशत कटौती, मुफ्त वाई-फाई जैसे कई वादे शामिल थे। दिल्ली, महिला सुरक्षा के लिए क्लोज्ड सर्किट कैमरे लगाना, वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की दर में कमी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने (आम आदमी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र, 2015) जैसे लोकलुभावने वादें किए गए। इसके अतिरिक्त 'मोहल्ला सभा' (स्थानीय समितियों) का गठन करके स्वराज (स्व-शासन) के रूप में लोगों को निर्णय-निर्माण में भागीदार बनाने को अपने घोषणापत्र में शामिल किया गया। केजरीवाल ने भाजपा को अभिजात वर्ग और अमीरों की पार्टी के रूप में पेश करते हुए खुद को एक विनम्र आम आदमी के रूप में पेश किया। उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं से 2013 में सिर्फ 49 दिनों के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देनें के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। बीजेपी का अभियान काफी हद तक प्रधान मंत्री मोदी की लोकप्रियता और नेतृत्व को पेश करने पर केंद्रित था और चुनावी रैलियों में पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों की भागीदारी भी शामिल थी। चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले, भाजपा ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी डॉ. किरण बेदी को अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। प्रारंभ में, यह उनकी स्वच्छ छवि, पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव और आईएसी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में हजारे और केजरीवाल के करीबी सहयोगी होने के कारण एक 'मास्टर-स्ट्रोक' की तरह लग रहा था। हालाँकि, उनके चयन से भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो गया, जिन्होंने उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा। आप ने बेदी को 'अवसरवादी' बताते हुए उनका विरोध किया। अंत में, किरण बेदी राजनीतिक रूप से अनुभवहीन साबित हुईं, और मतदाताओं से जुड़ने में सक्षम नहीं रहीं। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आई, केजरीवाल को 'अराजकतावादी' और 'झूठे' के रूप में चित्रित करते हुए, भाजपा का अभियान और अधिक नकारात्मक हो गया। सामान्य तौर पर, 'असंतुष्ट जमीनी स्तर के कैडर, मोदी चेहरे पर पूर्ण निर्भरता और किरण बेदी की पार्श्व प्रविष्टि' (फिलिप, 2015) के कारण भाजपा का अभियान अप्रभावी साबित हुआ।

2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद, और 2014 के राष्ट्रीय चुनाव में अपनी अब तक की सबसे बुरी हार झेलने के बाद, 2015 के दिल्ली चुनाव की घोषणा के समय कांग्रेस पहले से ही एक कमजोर ताकत थी। इसने भी मतदान की तारीख से कुछ हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार अजय माकन की घोषणा की। हालांकि माकन को साफ-सुथरी छवि के तौर पर देखा जाता था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस आरम्भ से ही कमजोर प्रतीत हुई तथा चुनाव स्पष्ट रूप से भाजपा एवं आप के बीच ही देखा जाने लगा।

दिल्ली में 7 फरवरी 2015 को मतदान हुआ, और परिणाम 10 फरवरी को घोषित किए गए। चुनाव में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 673 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 13.3 मिलियन पात्र मतदाता थे। मतदान प्रतिशत 67.1 प्रतिशत रहा, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में तब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया, बीजेपी को सीटों के मामले में भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसका मत प्रतिशत लगभग बरकरार रहा (2015 में 32.2 प्रतिशत बनाम 2013 में 33.1

प्रतिशत)। दूसरी ओर कांग्रेस को 2013 के चुनाव में अपने प्रदर्शन की तुलना में अपने मत प्रतिशत में 14.9 प्रतिशत की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। अन्य छोटी पार्टियों का संयुक्त मत प्रतिशत 3.8 प्रतिशत रहा लेकिन इनमें से कोई भी पार्टी किसी भी सीट को जीतने में सफल नहीं हो पाई। अपने मत प्रतिशत को बनाए रखने के बावजूद बीजेपी की सीटें जीतने में असमर्थता का कारण गैर-बीजेपी वोटों का आप के पक्ष में एकत्र होना रहा। यह देखा जा सकता है कि 2013 के दिल्ली चुनाव से 15 प्रतिशत कांग्रेस वोट और 9 प्रतिशत अन्य पार्टियों के वोट 2015 में आप के पक्ष में समेकित हुए। इस प्रकार, 32 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली भाजपा 70 मे से केवल 3 सीटें जीतने में सफल रही। जबकि आप 54 प्रतिशत वोटों के साथ 67 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नही जीत पाई (लोकनीति-2013, 2015)।

2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा क्योंकि कोई अन्य पार्टी हाल के किसी भी राज्य या राष्ट्रीय चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। तथ्य यह है कि यह उपलब्धि एक छोटी और अपेक्षाकृत नई पार्टी द्वारा हासिल की गई थी। जबकि दिल्ली की राजनीति में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस और भाजपा का दबदबा रहा है, 2013 का चुनाव परिणाम भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच तीन-तरफा विभाजन था। जबकि, 2015 के विधानसभा चुनाव ने दिल्ली को फिर से दो-दलीय प्रतियोगिता में बदल दिया।

निष्कर्ष

दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले दोनों विधानसभा चुनावों (2015, 2020) में 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी 29 प्रतिशत मत हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी का उदय दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन से हुआ परन्तु दिल्ली में पार्टी की सफलता सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन का ही परिणाम नहीं था। यदि दिल्ली के चुनावी इतिहास में खासकर 1993 में दिल्ली विधानसभा गठन के पश्चात् से ही भाजपा, कांग्रेस के अतिरिक्त तीसरे दल के लिए भी एक जगह रही है। 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा 14 प्रतिशत मत हासिल करने में कामयाब रही थी, हालाँकि वह सिर्फ 2 सीटें की जीत पाई, परन्तु 34 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहाँ जीत का अंतर बसपा उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए मतों से कम था जिसमें 23 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। 2013 के विधानसभा चुनाव जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनावो में हिस्सा लिया तो 2008 के मुकाबले भाजपा को 4 प्रतिशत, कांग्रेस को 15 प्रतिशत तथा बसपा को 9 प्रतिशत का नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी 29 प्रतिशत मत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 प्रतिशत और कांग्रेस 9.25 प्रतिशत ही वोट हासिल कर पाई जबकि भाजपा को 2013 के मुकाबले सिर्फ 1 प्रतिशत वोट का नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी 54.34 प्रतिशत वोट हासिल करने में कामयाब रही (फारूकी, 2017)।

आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के बाद से अपने संगठन का विस्तार किया है जिसमे वह पंजाब राज्य में सरकार बनाने में भी कामयाब रही है। वही गुजरात तथा गोवा जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनावों में पार्टी अपनी उपस्तिथि दर्ज करने में कामयाब रही है। इन राज्यों में पार्टी 'दिल्ली मॉडल' को ही आधार बना कर चुनाव लड़ती रही है जिसका पार्टी को सकारात्मक परिणाम भी हासिल हुआ है, हालाँकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राज्यस्थान, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव में भाग लिया परन्तु एक सीट भी जीतने में कामयाब नही हो पाई है। पार्टी का गठन जिस भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन से हुआ उसके कई नेता अब पार्टी का साथ छोड़ चुके है तथा पार्टी राष्ट्रीय चुनावों में भी कमजोर प्रतीत हुई है। दिल्ली जहाँ पार्टी लगातार दो विधानसभा चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने में कामयाब रही है वहा भी राष्ट्रीय चुनावों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है।

सन्दर्भ सूची

ब्रह्मचारी, जी. (2015). आप, लेफ्ट एंड देयर पोलिटिकल कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 50(8), 21 फरवरी 2015.

चौधरी, सी. (8 अगस्त, 2012). इंडिया'स एंटी-करप्शन मूवमेंट एम्स फॉर पार्लियामेंट. ब्लूमबर्ग एशिया संस्करण. http://www.bloomberg.com/news/2012-08-07/india-s-anti-corruption-movement-aims-for-parliament.html

दिवाकर, आर. (2015). द सिक्सटीन्थ जनरल इलेक्शन इन इंडिया, अप्रैल-मई 2014. चुनावी अध्ययन, 37 (मार्च), 120-125. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.11.005

फारूकी, ए. (दिसंबर 18, 2017), चेंजिंग पार्टी सिस्टम इन दिल्ली एंड राइज ऑफ आम आदमी पार्टी (आप), सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च : नई दिल्ली https://cprindia.org/changing-party-system-in-delhi-and-the-emergence-of/

फिलिप्स, पी. (2015). कैन एन इलेक्शन बी टवीटिड टू विक्ट्री? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी 21. वॉल्यूम एल नंबर 8, पीपी. 10-13.

गोस्वामी, डी. और बंद्योपाध्याय, के. के. (2012). एंटी-करप्शन मूवमेंट इन इंडिया, सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए) इंडिया. पीपी. 11

हिंदुस्तान टाइम्स. (9 अप्रैल, 2011). https://www.hindustantimes.com/delhi/anna-hazare-s-anti-corruption-movement-timeline/story-u040ES2TdznbBAau2ecWOP.html

झा, आर.आर. (2018), इंडिया'ज एंटी-करप्शन अथॉरिटीजस : लोकपाल एंड लोक युक्ता. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 64(3), 502-517. https://doi.org/10.1177/0019556118788480

जिलानी, एम. (2011). द इन्सुर्जेंट, हाउ अरविंद केजरीवाल, द आर्किटेक्ट ऑफ अन्ना हजारे एंटी-करप्शन कैंपेन, ब्रोउट द रेंज ऑफ एन इंडीजेंटनेशन टू द गवर्नमेंट डोर. द कारवां. रिट्राईवीड सितम्बर 1, 2014. https://caravanmagazine.in/reportage/insurgent

लोकनीति-सीएसडीएस सर्वेक्षण. (2013 और 2015). नई दिल्ली.

वायट, ए. (2015). अरविंद केजरीवाल'स लीडरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी. कंटेम्पोरेरी साउथ एशिया, 23(2), 167-180. https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1025038

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 53-71)

सांस्कृतिक समाज : भारत में सांस्कृतिक व राजनीतिक अंत:क्रिया की सामाजिक अभिव्यक्ति

आशीष कुमार शुक्ल*

1984 में हिन्दी साहित्य की प्रख्यात विदुषी एवं लेखिका महादेवी वर्मा की एक रचना प्रकाशित होती है - 'भारतीय संस्कृति के स्वर',[1] यह रचना भारतीय संस्कृति के विविध प्रश्नों पर दृष्टिपात करते हुए इसकी पुरातनता, विलक्षणता एवं निरंतरता का बखान करती है। निश्चित रूप से यह रचना भारतीयता के श्रेष्ठ भाव से ओत-प्रोत है तथा पाठकों को भी उसी भाव में खींच कर ले जाती है। परंतु इस रचना की एक समस्या है कि यह भारतीय संस्कृति के इतिहास एवं वर्तमान के उस पक्ष को सामने नहीं लाती जो असुरक्षा जनित संघर्षों से भरा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण यह हो सकता है कि महादेवी वर्मा भारतीय संस्कृति के विविध प्रश्नों में राजनीति के प्रश्न को नहीं उठातीं। जबकि जिस समय यह रचना प्रकाशित हो रही थी वह समय भारत की संस्कृति और राजनीति की दृष्टि से संघर्ष एवं उथल-पुथल से भरा हुआ था। जिसके कई कारणों में एक प्रमुख कारण राजनीतिक सत्तालोलुपता थी, जो संस्कृति और सांस्कृतिक प्रश्नों को एक सत्ता तक पहुँचने की सीढ़ी की तरह प्रयोग किए जा रही थी। अत: यह आलेख समकालीन समय में भारत के सांस्कृतिक द्वंद्व और उससे जुड़े प्रश्नों की पड़ताल करता

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: vaidik.sanskriti@yahoo.com

है। साथ ही इसमें उस प्रक्रिया को भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार संघर्षों से घिरी भारतीय संस्कृति राजनीति के संपर्क में आती है जहाँ उसे लामबंदी के एक यंत्र की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस आलेख में आंकड़ों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि भारत का यह समकालीन सांस्कृतिक विमर्श किस प्रकार से 'सांस्कृतिक पुनर्रेखण' के माध्यम से भारत में एक 'सांस्कृतिक समाज' की निर्मिति कर रहा है।

बीज शब्द - संस्कृति, सांस्कृतिक राजनीति, सांस्कृतिक पुनर्रेखण, सांस्कृतिक समाज।

बहुसंख्यकता या बहुलता?

रजनी कोठारी का मानना है कि भारत की अस्मिता राजनीतिक अथवा आर्थिक ना होकर अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक रही है। भारत को एक ऐसी सभ्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न उतार-चढ़ावों को देखने के पश्चात भी स्थायी रही क्योंकि इसकी मूल अस्मिता सांस्कृतिक है। अत: यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारतीय गणतंत्र की स्थापना होने तक जिसने हमें एकजुट किया हुआ था वह कुछ निश्चित मूल्यों तथा सांस्कृतिक मानकों द्वारा गूँथी गई सभ्यता थी, जो पहले बहुलवादी हिंदू धर्म की विस्तृत धारा के भीतर, तत्पश्चात बहु-सांस्कृतिक तथा बहु-जातीय समाज तथा वर्तमान में बहुराष्ट्रीय समाज में परिलक्षित होती है।[2] परंतु इस बहुलवादी समाज में संस्कृतियों के मध्य निरंतर सामंजस्यता तथा श्रेष्ठता का द्वंद्व देखा जाता रहा है। विशेष रूप से स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक विमर्श को समझते हुए मेरे समक्ष पहली चिंता यह आती है कि भारतीय संस्कृति को किस रूप में जाना जाए? दरअसल इस चिंता के केंद्र में 'एकरूपता बनाम सामासिकता' का द्वंद्व है। भारत विविध संप्रदायों, जातियों, जातीयताओं का देश है और यह विविधता विभिन्न संस्कृतियों के रूप में भी दिखाई पड़ती है। परंतु भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो क्या इसे बहुसंख्यक संस्कृति मानी जाए? अथवा भारत में सदियों से विभिन्न पंथों, जातियों एवं जातीयताओं के लोग एक साथ निवास करते आए हैं, तो इसे एक बहुलवादी, मिली-जुली, सामासिक संस्कृति माना जाए? वर्तमान भारतीय राजनीति के सांस्कृतिक विमर्श का यदि सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप के विषय में गहरे मतभेद हैं। यद्यपि ये मतभेद दीर्घकाल से भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं परंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान इनकी गहनता तथा गंभीरता बढ़ती गई या यूँ कहें कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा बढ़ाई गई। स्वातंत्र्योत्तर भारत में संस्कृति के स्वरूप के संबंध में प्रश्न अधिक दृढ़ता से उठाए जाने लगे। भारत का दक्षिणपंथी या हिंदू राष्ट्रवादी विमर्श अपने हिंदुत्व तथा हिंदू राष्ट्र के आग्रहों से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति का पर्याय मान रहा था तथा सभी से ऐसा मानने की अपेक्षा लिए हुए था। भारत का उदार वामपंथी सेकुलर विमर्श, जिसका भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, भारत को एक सामासिक संस्कृति घोषित कर रहा था। ऐसे में भारतीय राज्य के समक्ष संकट था कि वह भारतीय संस्कृति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करे। यह प्रश्न

भारतीय राज्य के भीतर राष्ट्रवाद के संघर्ष का प्रश्न भी हो गया था।[3] इस ऊहापोह में आधुनिक-वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नेताओं ने भारत को सामासिक संस्कृति का प्रतिरूप माना तथा उसी प्रकार से व्यवहार किया।[4] परंतु इससे संस्कृति का यह द्वंद्व समाप्त नहीं हो जाता है। संस्कृति के प्रश्न वही रहते हैं तथा अपने सांस्कृतिक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए ये भारत की राजनीति, विशेषकर चुनावी राजनीति, को आज भी गहरे से प्रभावित करते देखे जा सकते हैं।

भारतीय संस्कृति में हिंदू सांस्कृतिक दावेदारी

भारत के दक्षिणपंथी तथा हिंदूवादी संगठन इस विचार को पोषित करते हैं। सावरकर द्वारा हिंदू शब्द को दी गई सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को आधार बनाकर ये संगठन भारतीय संस्कृति तथा हिंदू संस्कृति को समकक्ष रखते हैं। इनका मानना है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी धर्म/पंथ का हो, भारत को अपनी पितृभूमि तथा पुण्यभूमि स्वीकार करना चाहिए तथा उस सांस्कृतिक अस्मिता को स्वीकार करना चाहिए जो हिंदू है। जो ऐसा करना स्वीकार नहीं करता उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हिंदू महासभा के नेता भविष्य के हिंदू भारत के नागरिक बनने के लिए मुसलमानों को अपने भीतर कुछ सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्वीकार करने की बात करते हैं। उनके अनुसार मुसलमानों को रामायण तथा महाभारत को अपने महाकाव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, राम, कृष्ण, शिवाजी आदि को अपना नायक मानना चाहिए, तथा समस्त ऐतिहासिक मुस्लिम व्यक्तित्वों को आक्रांता मानते हुए अस्वीकार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसे नामों को भी छोड़ देना चाहिए जो मुस्लिम अभिव्यक्ति देते हैं तथा इनके स्थान पर हिंदू नामों को स्वीकार करना चाहिए। यदि भारत के मुसलमान जीवन से मृत्यु तक हिंदू जीवनशैली, हिंदू विधियों, तथा परंपराओं को स्वीकार करते हैं, तो वे अपनी मुक्ति के लिए किसी भी उपासना पद्धति को अपनाएं, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है।[5] इस अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू मानकों से पृथक होना गैर-भारतीयता का सूचक होगा।[6] यह विचार मुख्यत: तीन मान्यताओं पर बल देता है -

1. भारतीय संस्कृति तथा हिंदू संस्कृति पर्यायवाची हैं

इस विचार के अनुसार भारत में समुदायों के नामकरण की परंपरा नहीं रही है। परंतु आज जिसे हिंदू कहा जाता है वह वही जीवनशैली है जो भारत में शताब्दियों से विकसित होती आई है, तथा जिसे यहाँ निवास करने वाले लोग अपनी संस्कृति के रूप में स्वीकारते आए हैं। ऐसे में भारतीय समाज की मूल अस्मिता हिंदू ही है। हिंदू धर्म में अनेक मत और संप्रदाय रहे हैं, उनमें विरोध और विद्वेष भी रहा है। पर साथ ही सब संप्रदायों की मूल प्रेरक शक्ति वही आध्यात्म की भावना रही है, जो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है।[7] इस पक्ष का मानना है कि किसी भी समाज का मूल ही उस समाज के सांस्कृतिक विमर्श को निर्धारित करता है।

अत: भारतीय संस्कृति का मूल हिंदू संस्कृति ही है। इस विचार के उन्नायक सावरकर के अतिरिक्त सभी दक्षिणपंथी संगठनों और दलों तथा कई प्रभावशाली भारतीय नेताओं ने भी भारतीय संस्कृति के हिंदूवादी पक्ष पर विचार व्यक्त किए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. राजमन्नार ने अगस्त 1955 के अपने एक अभिभाषण में कहा कि 1947 में भारत द्वारा प्राप्त राजनीतिक स्वतंत्रता का सांस्कृतिक उन्नति की अनुपस्थिति में कोई वास्तविक अर्थ नहीं होगा। जहां तक भारतीय संस्कृति (जिससे मेरा अभिप्राय हिंदू संस्कृति है) का सरोकार है, इसकी अनिवार्य विशेषता यह थी कि यह धर्म से पूर्ण रूप से प्रभावित थी। प्रारंभिक काल से भारत में एक संस्कृति थी जो पूर्ण रूप से धार्मिक थी।[8] चूंकि ये संगठन भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति का पर्याय मानते हैं अत: इनके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत की अभिव्यक्ति भी हिंदू राष्ट्र के रूप में ही होती है।

2. भारत में इस्लाम एवं ईसाइयत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आक्रांता के रूप में स्थापित हुए हैं

इनका मत है कि भारत में इस्लाम एवं ईसाइयत ने स्वयं को एक संस्कृति के रूप में नहीं अपितु एक पंथ के रूप में स्थापित किया है, जिन्होंने सदैव ही स्वयं को भारत की सनातनी संस्कृति से अलग रखा है। भारत में इनका आगमन यहाँ बसने के उद्देश्य से नहीं अपितु यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर इसे अपने अधीन करने के उद्देश्य से हुआ था। इसी कारण ये स्वयं को भारत की दीर्घकालीन सनातनी संस्कृति से पृथक और श्रेष्ठ मानते आए हैं। हिंदू संस्कृति के पक्षकारों के मतानुसार मुस्लिम तथा ईसाई सदैव से एक प्रकार की शासकीय मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं, जिसने उनमें शेष भारतीयों की अपेक्षा श्रेष्ठता का भाव बनाए रखा है। भानुप्रताप शुक्ल लिखते हैं - "भारत भूमि के एक भाग पर मुस्लिम राष्ट्र-राज्य का निर्माण कर लेने के बाद भी भारत का मुस्लिम नेतृत्व भारत पर अपनी शासकीय मानसिकता से उबर नहीं पा रहा है। संस्कृतिविहीन इस्लाम से जुड़ा भारत का मुसलमान यहाँ की सार्वभौम संस्कृति के साथ जुड़ने से कतराता है। वह आज भी स्वयं को अंग्रेजों का उत्तराधिकारी, अंग्रेजी शासन का विकल्प और हिंदुओं को अपनी प्रजा मानता है।"[9]

3. भारतीय समाज की बहु-सांस्कृतिकता इस समाज की नैसर्गिक स्थिति ना होकर कृत्रिम स्थिति है

चूंकि यह विचार भारतीय संस्कृति तथा हिंदू संस्कृति को पर्यायवाची मानता है, अत: इसके अनुसार भारतीय समाज को बहु-सांस्कृतिक समाज की उपमा देना उचित नहीं। भारत में सदैव से ही एक बहुलवादी परंतु समरूप संरचना विद्यमान रही है। भले ही यहाँ विभिन्न जातियाँ, उप-जातियाँ, पांथिक मत, विद्यमान रहे हों जो इस समाज को एक बहुलवादी समाज में प्रदर्शित करते हैं, परंतु इन सभी की मूल अस्मिता सदा से हिंदू ही रही है। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचारकों द्वारा सदैव इस बात का समर्थन किया जाता रहा है कि भारत में रहने

वाले प्रत्येक व्यक्ति का सांस्कृतिक इतिहास एक ही है - 'हिंदू'। सावरकर द्वारा दी गई हिंदुत्व की परिभाषा 'आसिंधु-सिंधु पर्यंता, यस्य भारत भूमिका। पितृभू पुण्यभूश्चेव, सा वै हिंदू रीति स्मृतः।।' को आधार बनाते हुए भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू मानना तथा उससे हिंदुसम आचरण की अपेक्षा की जाती रही है। भारत की बहुलता के प्रश्न पर हिंदुत्व के उन्नायकों, विशेषकर आरएसएस, द्वारा निरंतर दोहराया जाता रहा है - 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु' अर्थात सत्य केवल एक ही है, उस तक पहुँचने के मार्ग भिन्न हैं। यदि इन दोनों मतों को एक साथ समझने का प्रयास किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो इस भारत भूमि को अपनी पुण्य-भूमि और पितृ-भूमि मानता है, उसकी चाहे उसकी पूजा पद्धति, मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग तथा मानसिक शांति के उद्देश्य से आध्यात्मिक रुचि जो भी हो परंतु उसकी जड़ एक ही है - हिंदुत्व। इसलिए यह पक्ष भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हिंदू होने का या 'बहुसंख्यक' हिंदुओं की अस्थाओं का सम्मान करने का आग्रह रखता है।

भारतीय संस्कृति की सामासिकता

यद्यपि हिंदूवादी तथा दक्षिणपंथी संगठन निरंतर भारत को हिंदू संस्कृति तथा हिंदू राष्ट्र से प्रतिस्थापित करते रहे हैं, परंतु ना केवल मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों द्वारा अपितु कई प्रभावशाली हिंदू नेताओं ने भी इस विचार को आलोचित किया। महात्मा गाँधी ने अपने भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विचार को संकीर्ण रूप देना स्वीकार नहीं किया। भारतीय संस्कृति, उनके अनुसार ना तो हिंदू संस्कृति है तथा ना मुस्लिम संस्कृति, तथा ना कोई अन्य। यह इन सभी का मिश्रण रही है।[10] नेहरू भी भारतीय संस्कृति की सामासिकता के विषय में स्पष्ट विचार रखते हैं। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति के समरूप मानना त्रुटिपूर्ण है। वे कहते हैं कि यह सही है कि प्राचीन समय में भारत में हिंदू संस्कृति ही रही थी, परंतु समय के साथ भारत पर विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। भारत की जीवन-शैली, खान-पान, वेषभूषा पर लंबे समय तक इस्लामिक प्रभाव रहा परंतु भारतीयता की छाप उस पर भी स्पष्ट थी। तथा इस संपर्क से एक नई सामासिक संस्कृति का उदय हुआ, जो ना हिंदू थी तथा ना ही मुस्लिम। वह शुद्ध रूप में संश्लेषण का परिणाम रही जो भारतीय सांस्कृतिक विकास की विशेषता है।[11] इसे 19वीं शताब्दी में पहली बार 'गंगा-जमुनी तहजीब' शब्द समूह से अभिव्यक्त किया गया,[12] जिसका तात्पर्य भारत में विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से हिंदू-मुस्लिम, के मध्य सामाजिक अंतर्संबंध है। हालांकि हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष की ओर से लगातार इसको नकारा जाता रहा है।[13]

भारतीय संस्कृति के संबंध में सामासिकता का विचार भारत में आने वाली उन समस्त संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति को समृद्धता देने वाले कर्ता के रूप में संबोधित करता है, जिन्हें दक्षिणपंथ निरंतर आक्रांता मानता रहा है। यद्यपि इसने कभी भारतीय समाज की बहुलता के विचार को आलोचित नहीं किया। उसके अनुसार भारत में रीतियों, परंपराओं,

मान्यताओं की बहुलता सदैव विद्यमान रही है, परंतु इसी स्थान पर यह बहुलता तथा बहु-सांस्कृतिकता में भेद करता है। संघ परिवार भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को उसकी एकरूपता में देखता है, जिस पर विचारकों की आपत्ति है। इनके अनुसार भारतीयता की खोज करते-करते एक राष्ट्रीय मुख्यधारा का गढ़ा जाना विघटनकारी परियोजना है, क्योंकि इस परियोजना में अन्य परंपराओं, संस्कृतियों तथा अस्मिताओं में विलय के आह्वान से लेकर दमन तक सबको उचित माना जा रहा है।[14] नामवर सिंह के अनुसार भारतीय संस्कृति सदैव से ही विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण रही है। यह पक्ष भारतीय संस्कृति को एक धर्म की संस्कृति, विशेषकर हिंदू संस्कृति, कहे जाने का विरोध करता है।[15] अभय कुमार दुबे भारत में हिंदू बहुसंख्यकता को मात्र एक संख्यात्मक तथ्य भर मानते हुए बहुलता को भारतीय समाज की प्राकृतिक स्थिति मानते हैं, जिसमें समरूपता का कोई स्थान नहीं है। उनके अनुसार, "भारतीय सभ्यता एक मिली-जुली सामासिक सभ्यता है, और इसका यह मिला-जुलापन इतना अधिक है कि इसे प्रमुख रूप से हिंदू सभ्यता कहना भी उचित नहीं होगा।... इस विविधता-बहुलता के बावजूद भारतीय सभ्यता को हिंदू कहना एक तरह कि बौद्धिक दुष्टता है जिसका परिणाम बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिकता में निकल सकता है।"[16]

स्वतंत्रता के पश्चात भारत का वामपंथी धड़ा इस विचार का समर्थक तथा पोषक रहा है। इनके द्वारा लिखित भारत का समस्त इतिहास मिली-जुली संस्कृति का इतिहास रहा है, जिसमें सदैव से एकता तथा सौहार्द्र का भाव रहा है। इसने सदैव हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रस्तावित 'एकरूपता' को भयावह परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें अल्पसंख्यक संस्कृतियों की अस्मिता समाप्त हो जाएगी। इनके अनुसार बहुसंख्यक होने के नाते यह हिंदुओं का दायित्व है कि वे पंथनिरपेक्ष हो तथा अल्पसंख्यकों को भी वैसा बनने में सहायता करें।[17]

सांस्कृतिक संघर्ष की सांगठनिक एवं राजनीतिक अभिव्यक्ति

स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राजनीति आमूल-परिवर्तनवादी आंदोलनों के कमजोर होने से संस्कृति और सांस्कृतिक विषयों की ओर मुड़ने लगी। ऐसे में संस्कृति की भी राजनीतिक व्याख्या की जाने लगी। परंतु यह कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं था। भारतीय संस्कृति के विषय में एकरूपता बनाम सामासिकता के उपरोक्त द्वंद्व का प्रभाव संस्कृति एवं राजनीति की अंत:क्रिया में भी देखने को मिलता है। यह अंत:क्रिया कुछ ऐसे प्रश्नों को सामने लाती है जिनकी उत्पत्ति का कारण ही सांस्कृतिक द्वंद्व होता है। ये प्रश्न संस्कृति को राजनीति का विषय बनाते हुए उसकी समरसता को टकराव में परिवर्तित करते हुए दिखाई देते हैं। भारत एक बहु-सांस्कृतिक राज्य है अथवा नहीं? यदि है, तो एक बहु-सांस्कृतिक राज्य के भीतर किस संस्कृति की प्रधानता होगी तथा कौन अधीनस्थ? किस संस्कृति को राज्य की संस्कृति के रूप में चित्रित और प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा किसे छिपा दिया जाना चाहिए? किस संस्कृति के इतिहास का स्मरण किया जाना चाहिए तथा किसे सीमांत बना दिया जाए? किस

सामाजिक जीवन को प्रक्षेपित किया जाए किसे नहीं? किन स्वरों को सुना जाना चाहिए तथा उन्हें सुने जाने के आधार क्या होंगे? दूसरी ओर इन समस्त प्रश्नों के केंद्र में 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की संकल्पना की उपस्थिति देखी जा सकती है जिसे हिंदुत्व की भांति ही बहुसंख्यक समाज की एक उग्र अभिव्यक्ति मानी जाती रही है। ऐसा नहीं है कि इन प्रश्नों का संबंध केवल भारत से ही है। विश्व के किसी भी बहु-सांस्कृतिक समाज में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य समन्वय एवं संघर्ष के इन प्रश्नों की उपस्थिति देखी जा सकती है।

उपरोक्त प्रश्न भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक संस्कृतियों के मध्य सांस्कृतिक अस्मिता संबंधी संघर्ष को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हुए। यद्यपि इस संघर्ष के मूल को हम मध्यकाल में देख सकते हैं जहाँ से भारत में हिंदू बनाम मुस्लिम का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। यह सांस्कृतिक संघर्ष अल्पसंख्यक संस्कृतियों के भीतर सांस्कृतिक स्वायत्तता के विचार को उत्पन्न करता है, जिसका लाभ लेते हुए राजनीति संस्कृति का सत्ता प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग करने लगती है। किसी भी देश में सांस्कृतिक विमर्श के भीतर उपस्थित संघर्ष उस देश की विभिन्न संस्कृतियों के मध्य एक प्रकार की प्रतियोगी भावना का विकास करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्कृति स्वयं को उस देश की राष्ट्रीय संस्कृति से सबसे अधिक घनिष्ठता से जोड़ने का प्रयास करती दिखाई देती है। यह प्रयास केवल स्वयं को सर्वोपरि बनाए रखने का ही नहीं होता वरन् इसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियाँ अपने को किसी अन्य संस्कृति के सोपानिक प्रभाव से बचाए रखने का प्रयास भी करती हैं। यह स्थिति बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक संस्कृतियों के मध्य विशेष रूप से देखी जा सकती है। जहाँ भी संस्कृतियों के मध्य संख्यात्मक दुराव अधिक होता है वहाँ गुणात्मक विशेषताओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। यद्यपि बहुसंख्यक संस्कृति स्वयं के समावेशी होने का दावा करते हुए अन्य संस्कृतियों के प्रति प्रेमभाव एवं स्वीकार्यता दिखाती है, परंतु इसके पश्चात भी अल्पसंख्यक संस्कृतियों के भीतर बहुसंख्यक संस्कृति के प्रति एक भय अथवा आशंका निरंतर बनी रहती है कि कहीं वे बहुसंख्यक संस्कृति की स्वीकार्यता और समावेशिता का ग्रास ना बन जाएँ, जिससे कि उनके पृथक-स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इस आशंका को भीखू पारिख 'नागरिकता बनाम सामाजिक स्वीकार्यता' के बीच देखते हैं। पारिख के अनुसार किसी भी बहु-सांस्कृतिक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों को मात्र नागरिकता देना ही काफी नहीं होता, वहाँ उनकी स्वीकार्यता का होना भी आवश्यक है। स्वीकार्यता के अभाव में उनमें बाहरी होने का भाव निरंतर बना रहता है और यह भाव उनकी नागरिकता के साथ-साथ उस समाज या राज्य के प्रति उनकी निष्ठा को भी कमजोर कर सकता है।[18] 'किसी भी देश में अल्पसंख्यक संस्कृतियों के मध्य बाहरी होने का यह भाव उन्हें स्वयं को सुरक्षित रखने की चुनौती देता है तथा इस दिशा में प्रयास करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। यह उत्प्रेरक एक बहु-सांस्कृतिक समाज में संस्कृतियों के मध्य संघर्ष उत्पन्न करता है।' यद्यपि राजनीतिक स्तर पर अल्पसंख्यक संस्कृतियों की इस व्यग्रता को राजनीतिक दलों द्वारा भी ना केवल प्रोत्साहन दिया जाता है,

अपितु उसे प्रचारित भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह संघर्ष केवल अल्पसंख्यक संस्कृतियों की असुरक्षा से उत्पन्न होता है। बहुसंख्यक संस्कृति भी उन अधिकारों के प्रति प्रतिक्रियावादी[19] हो जाती है जो एक बहु-सांस्कृतिक समाज में समुदायों को उनके अल्पसंख्यक होने की एवज में दिए जाते हैं। या तो वह इन विशिष्ट अधिकारों को समाप्त करने के लिए दबाव डालती है या मांग करती हैं कि वे अधिकार उन्हें भी दिए जाएँ। बहुसंख्यक संस्कृति के प्रति अल्पसंख्यक संस्कृतियों का भय और व्यग्रता तथा अल्पसंख्यकों के विशिष्ट अधिकारों के प्रति बहुसंख्यक संस्कृति का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपने संरक्षण एवं संवर्द्धन का सरोकार उत्पन्न करता है, जो उन्हें दो दिशाओं में प्रेरित करता है -

1. सामुदायिक संरक्षण की ओर

जहां अपनी सुरक्षा के लिए संस्कृति अपने संबद्ध समुदाय की ओर देखती है। इस स्थिति में समुदाय अपनी संस्कृति के संरक्षण के प्रश्न पर लामबंद होता है। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति विशेष से जुड़ा जनसमूह संगठित होने में ही अपनी अस्मिता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का विकल्प खोजता है, जिसकी अभिव्यक्ति पांथिक-सांस्कृतिक संगठनों के रूप में दिखाई देती है।[20] एक ऐसा संगठन जिसका लक्ष्य प्रथमत: अपनी संस्कृति की रक्षा करना तथा उसके पश्चात उसका प्रचार-प्रसार करना होता है।

2. राजनीतिक संरक्षण की ओर

जहां संस्कृति राजनीति का आश्रय लेने का प्रयास करती है। यही संस्कृति तथा राजनीति के मध्य संबंधों का प्रस्थान बिन्दु है, जिसे सांस्कृतिक राजनीति का उद्‌गम स्थल भी माना जा सकता है। राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्थाएं एवं सरकारें संस्कृति को संरक्षण देने का कार्य करती है। यहाँ राजनीतिक दलों का निहित सत्ता स्वार्थ उन्हें संस्कृति के प्रश्नों को मुखरता से उठाने को बाध्य करता है। राजनीतिक संस्थाएँ तथा सरकारें औपचारिक संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व ग्रहण करती हैं।

संरक्षण के इन दोनों बिन्दुओं पर लामबंदीकरण की दोहरी प्रक्रिया का आरंभ होता है। एक, सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक अस्मिता के क्षरण का भय दिखाकर लोगों को अन्य संस्कृतियों के विरुद्ध लामबंद करने की प्रक्रिया, तथा दो, राजनीतिक दलों द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक निष्ठा का परिचय देते हुए उस संस्कृति से संबद्ध जनसमूह को अपने पक्ष में करने का प्रयास। लामबंदीकरण की यह प्रक्रिया चुनावों के समय और अधिक तीव्र होती दिखाई देती है।[21] चूंकि दोनों ही प्रक्रियाओं में एक सामान्य तथ्य संस्कृति की रक्षा होता है अत: सांस्कृतिक संगठन उस राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समर्थन देना प्रारम्भ करते हैं जो उसे सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देता है। इस पूरी प्रक्रिया में संस्कृति समाज को बांधे रखने वाली शक्ति के साथ-साथ उसे खंडित करने वाली कर्त्ता के रूप में देखी जा सकती है। समाज में सांस्कृतिक अंत:क्रियाओं से उत्पन्न व्यग्रताओं को स्पष्ट करते हुए

श्यामा चरण दुबे कहते हैं कि सांस्कृतिक समरसता या सांस्कृतिक एकीकरण की धारणा ने विभिन्न संस्कृतियों के भीतर अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति भय व्याप्त कर दिया। इस भय की स्थिति ने भारत में ना केवल सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग को तीव्र किया है अपितु इसकी प्राप्ति और पूर्ति के लिए उन्हें परस्पर संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है।[22] संस्कृति एवं राजनीति के मध्य इस अंत:क्रिया की इस परिघटना को प्रक्रियागत रूप में इस प्रकार से समझा जा सकता है -

चित्र 1

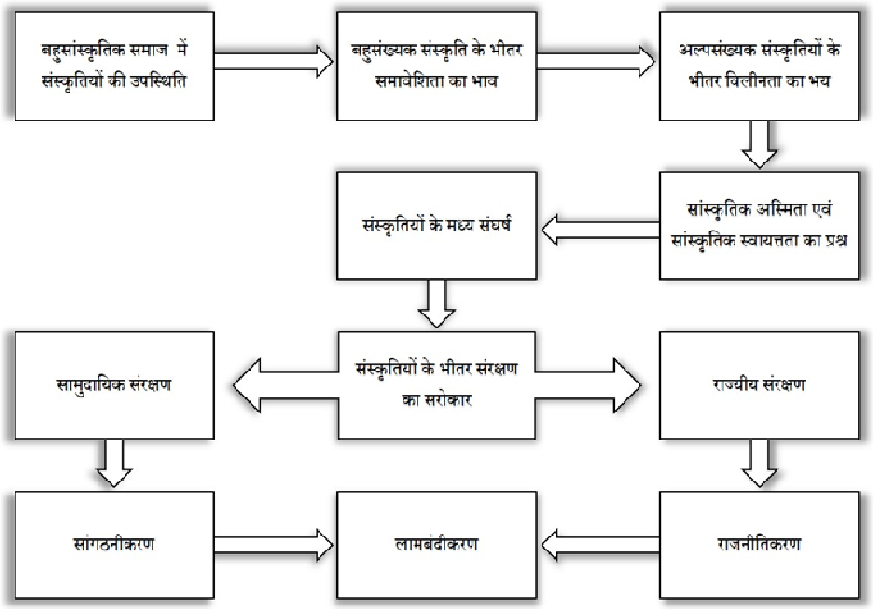

संस्कृति की प्रकृति में परिवर्तन तथा इस परिवर्तन से उत्पन्न सांस्कृतिक संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे - विभिन्न समुदायों के भीतर सांस्कृतिक प्रभुत्व की आकांक्षा, उनके द्वारा परस्पर सांस्कृतिक प्रतीकों की अनुचित व्याख्या, समुदायों के मध्य 'हम' बनाम 'अन्य' की निर्मिति, वैचारिक मतभेद, लोगों द्वारा सामुदायिक-सांस्कृतिक नेतृत्व का अंधानुकरण आदि। इन समस्त कारणों में नेतृत्व का अंधानुकरण लोगों में आलोचना करने और सहने की तार्किकता का ह्रास कर देता है। इससे समुदायों के मध्य असहिष्णुता व्याप्त हो जाती है, जो आगे चलकर सामुदायिक-सांस्कृतिक संघर्षों को जन्म देती है। एक समाज में संस्कृतियों के मध्य संघर्ष उन्हें इस प्रकार से राजनीति के अधीन कर देता है कि उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबंधित नीतियों का निर्धारण, निर्माण तथा नियमन राजनीतिक संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा किया जाने लगता है।[23] राजनीतिक दल विभिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न समुदायों से संबंधित संस्कृति के प्रश्नों को उठाते हुए अपने राजनीतिक हितों के साधन का

प्रयास करते दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वास्तव में संस्कृति एवं राजनीति के मध्य संबंधों की कड़ी सांस्कृतिक संगठन तथा राजनीतिक दल हैं जो एक दूसरे की निहित आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं।

भारतीय संस्कृति के विषय में उपरोक्त प्रतिस्पर्धी विमर्शों को समझने के पश्चात उनका मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। कौन सा सांस्कृतिक स्वरूप भारत के विषय में सत्य के अधिक निकट है - हिंदू संस्कृति या सामासिक संस्कृति? यदि इन दोनों में से एक को चुनना हो तो अधिकांश लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया भारत की सामासिकता के पक्ष में दिखाई देती है। इसका एक कारण यह भी संभव है कि भारत का इतिहास-लेखन अधिकांशत: वामपंथ के प्रभाव में रहा है तथा वामपंथी पक्ष ने सदैव भारत को सामासिक संस्कृति माना है। यद्यपि धर्म कुमार वामपंथ द्वारा लिखित इस इतिहास को मिथक की संज्ञा देते हुए इसकी आलोचना करती हैं। उनके अनुसार भारत के वामपंथी 'सेकुलरों' ने भारतीय इतिहास में हिंदू-मुसलमानों के बीच जिस एकता को दिखाने का प्रयास किया है वह कभी वैसा नहीं रहा। अपने लेख में भारत से संबंधित वामपंथी सेकुलरों की छ: मान्यताओं को उजागर करते हुए वे कहती हैं कि इन सभी मान्यताओं के मध्य किसी प्रकार की समानता नहीं है तथा ना ही इनके मध्य कोई संबंध दिखाई पड़ता है। इनका प्रतिमान बहुत प्रभावशाली है परंतु ऐतिहासिक शोध तथा लेखन को इसने बहुत क्षति पहुंचाई है।[24]

एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत का अध्ययन करने वाले डोनाल्ड ईगन स्मिथ लिखते हैं कि भारत को भले ही सामासिक संस्कृति माना जाए परंतु हिंदूपन सदैव से इस संस्कृति की सर्वाधिक शक्तिशाली एवं व्यापक अभिव्यक्ति रही है। जो लोग भारतीय संस्कृति के सामासिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं वे इस मूलभूत तथ्य की अवहेलना कर देते हैं। सांस्कृतिक संश्लेषण तथा सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के अपने उद्देश्यों के उत्साह में वे यह धारणा स्थापित करने लगते हैं कि विभिन्न पक्षों के मुख्य तथा समान सिद्धांतों की समान मात्रा से भारत का यह सांस्कृतिक मिश्रण तैयार हुआ है। परंतु, हिंदुत्व ने भारतीय संस्कृति को अनिवार्य गुण प्रदान किए हैं इसे नकारा नहीं जा सकता।[25] भारतीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है, जो न्यूनाधिक रूप में हमारी सभ्यता तथा इतिहास के साथ सम-व्यापी है। अत: हिंदू धर्म हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन, हमारी चिंतन प्रक्रिया में गहरे से समाविष्ट है तथा धर्म और राजनीति के क्षेत्र में किसी भी दार्शनिक अभिवृत्ति को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। भारतीय संस्कृति की सामासिकता की वास्तविकता एवं महत्व से सहमत होते हुए हमें इसके हिंदुसम आधार एवं आचरण को भी स्वीकार करना होगा।[26] परंतु यह स्वीकारोक्ति उस सीमा तक ही हो सकती है, जहाँ तक यह विशुद्धता के लक्ष्य को प्राप्त करते-करते विशिष्टता, बहिष्कार तथा अनन्यता की ओर ना बढ़ चले।

सांस्कृतिक पुनर्रेखण?

भारत की सांस्कृतिकता विभिन्न समय-कालों में परिवर्तित होती रही है। यहाँ सांस्कृतिकता से अभिप्राय है - 'सांस्कृतिक होने का गुण'। एक व्यक्ति जिस संस्कृति को स्वीकार करता है वह उसका गुण बन जाती है और यही उसकी सांस्कृतिकता कही जा सकती है। यहाँ सांस्कृतिकता का संदर्भ इस कारण लिया गया है क्योंकि औपनिवेशिक काल की अवधि में भारत में जिस प्रकार का सांस्कृतिक परिवर्तन देखा गया उसने भारतीयों के सांस्कृतिक गुणों को भी परिवर्तित कर दिया। उपनिवेशवाद के कारण भारत के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति वि-संरेखण हुआ है, जहाँ अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित भारतीयों का सांस्कृतिक अभिविन्यास पूर्व से पश्चिम होता देखा। यह वह समय था जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा, संस्कृति, समाज की आलोचना प्रारंभ की गई तथा इसके प्रति भारतीयों विशेषकर उच्च-वर्गीय युवाओं के भीतर हीन भाव उत्पन्न किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा भारतीय संस्कृति को औपनिवेशिकता के प्रभाव से बाहर निकाल कर इसकी पुनर्स्थापना किए जाने पर बल दिया जाने लगा था। भारतीय चुनावी राजनीति में भी भारतीय संस्कृति के विषय महत्वपूर्ण होने लगे थे। जिस सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की बात विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सांस्कृतिक संगठनों द्वारा विगत सात दशकों में की जा रही है, क्या वास्तव में लोगों ने उसे महत्व देना प्रारम्भ किया या लोग अभी भी अपने विवरणों में ही स्वयं को तथा अपने राजनीतिक व्यवहार को सीमित किए हुए है। इसे चित्र 2 के माध्यम से समझा जा सकता है।

चित्र 2

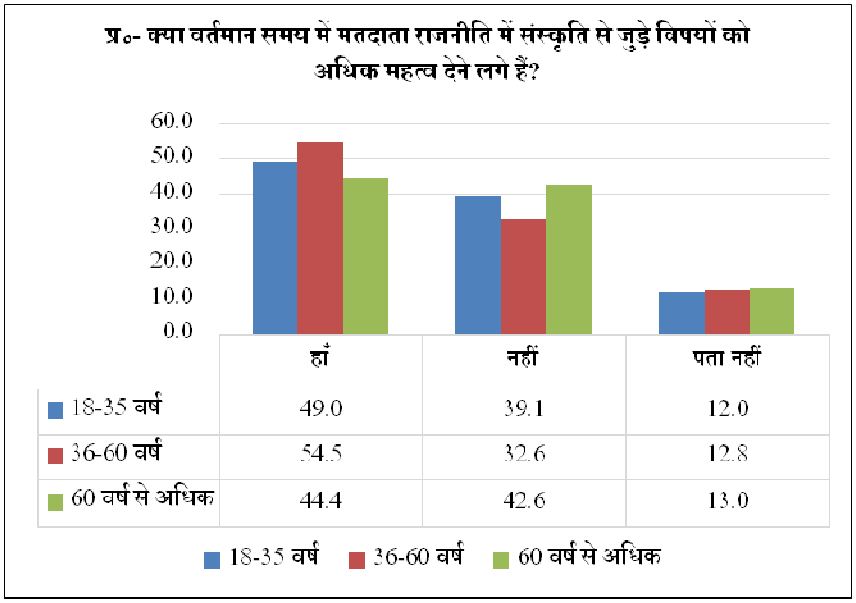

स्रोत: लेखक द्वारा पीएचडी शोध कार्य के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर

यद्यपि भारत के समसामयिक सांस्कृतिक विमर्श में संस्कृति के संबंध में सभी की अपनी-अपनी दावेदारियाँ हैं। इन दावेदारियों के मध्य जातिगत, पांथिक, सामुदायिक द्वंद्व की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का समसामयिक सांस्कृतिक विमर्श भारत की बहुसंख्यक संस्कृति के इतिहास तथा बहुसांस्कृतिक इतिहास के मध्य अन्योन्य-क्रिया का परिणाम है। यह अन्योन्य-क्रिया भारतीय समाज को एक नए कलेवर में ढाल रही है जिसकी अभिव्यक्ति 'सांस्कृतिक समाज' के रूप में देखी जा सकती है।

सांस्कृतिक समाज

भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में समाज को दो भागों में विभाजित करके उनकी भूमिका को अवलोकित और विश्लेषित करने का कार्य किया गया। एक, राजनीतिक समाज[27] के रूप में जहाँ सरकार द्वारा नागरिकों की माँगों की पूर्ति राजनीतिक हानि-लाभ की गणना के आधार पर की जाती है। यह समाज अल्पावधिक लाभ-हानि के आधार पर निरंतर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएँ परिवर्तित करता रहता है। यह राजनीतिक समाज परिवार और समुदाय, आकस्मिकता और रणनीति, संख्या और लोकतंत्र तथा कानूनी अस्पष्टता पर आधारित है। दूसरा, नागरिक समाज, जो विशिष्टवर्गीय पक्ष को प्रस्तुत करता है। इसमें समाज का वह वर्ग सम्मिलित है जो सत्ता के गलियारों में राजनीतिक समाज के भविष्य की निर्मिति करता है। समाज के उपरोक्त दोनों ही प्रतिरूप निश्चित रूप से लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में प्रभावी रहे हैं। परंतु इन दोनों समाजों के मध्य व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को नियमित तथा नियंत्रित करने वाले सांस्कृतिक तत्व को कहीं अनदेखा किया गया जो किसी भी प्रकार के विभेद से परे व्यक्तियों को एक-सूत्रीय संरचना में एकाश्म करता है। किसी भी प्रकार की जटिलताओं से परे यह संरचना समकालीन भारतीय राजनीति में नवीन प्रवृत्तियों के उभार के रूप में प्रत्यक्ष हो रही है। ये नवीन प्रवृत्तियाँ शासन तथा जनता दोनों बिंदुओं पर स्पष्टत: देखी जा सकती हैं।

यह भारतीय समाज का एक ऐसा रूप है जो अपने भीतर सामान्य तथा विशिष्ट दोनों वर्गों को समान आधार पर सम्मिलित करता है। एक ऐसा प्रतिरूप जो नागरिकों को राजनीतिक हानि-लाभ अथवा सत्तात्मक अभिवृत्तियों से इतर सांस्कृतिक संदर्भ में देखता है तथा उसी आधार पर अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। इसके लिए व्यक्ति मात्र राजनीतिक इकाई ना होकर एक सांस्कृतिक इकाई है, इसकी अस्मिता भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के रूप में परिलक्षित होती है। राजनीतिक समाज जहां जीवन यापन की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित होता है, तथा नागरिक समाज आधुनिकीकरण को प्रमुखता देता है वहीं सांस्कृतिक समाज अस्मिता को अधिक महत्व देता दिखाई देता है।

सांस्कृतिक अस्मिता के धारक इन व्यक्तियों से निर्मित इस 'सांस्कृतिक समाज' के प्रति राज्य अपना व्यवहार संवैधानिक नियमों, प्रावधानों के आधार पर नियमित करता दिखाई

दे रहा है। 'सांस्कृतिक शासन' के रूप में राज्य के इस व्यवहार की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। यद्यपि मार्क्स, नीत्शे, डेनियल लर्नर, डेनियल बेल आदि का मानना था कि आधुनिकता के कारण धर्म/पंथ का पतन होगा। परंतु वास्तव में आधुनिक युग में पांथिक और आध्यात्मिक विश्वास तथा मान्यताएँ धूमिल नहीं हुई हैं अपितु पंथ तथा उससे संबंधित भावनात्मक विषयों पर सामाजिक तथा राजनीतिक विमर्श महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। संख्यात्मक दृष्टिकोण से इस तथ्य की पुष्टि चित्र 2 के माध्यम से देखी जा सकती है।

भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आधुनिकीकरण का प्रभाव बढ़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय अस्मिता तथा राष्ट्र की ऐतिहासिक परंपरा का प्रभाव भी बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सांस्कृतिक आधुनिकीकरण एक समन्वित रूप ग्रहण करते हुए पारंपरिक मूल्यों के साथ बना हुआ है। भारत की पारंपरिक धारा इतनी पुरातन है कि आधुनिकता कभी भी पारंपरिकता को विस्थापित नहीं कर सकती, अपितु समन्वित रूप में दोनों ही सुदृढ़ होंगी। भारत में 21वीं सदी के समाज में धर्म, संस्कृति, पांथिक मान्यताएँ आदि व्यक्तिगत आस्था तथा विश्वास के विषय ना होकर सामुदायिक सांस्कृतिक अस्मिता के विषय बनते देखे जा सकते हैं, जिनकी एक स्पष्ट तथा व्यापक राजनीतिक अभिव्यक्ति भी है। व्यक्तिगत आस्था से सामुदायिक सांस्कृतिक अस्मिता में यह संक्रमण समाज के परिवर्तित स्वरूप का निष्कर्ष है। जैसे-जैसे सांस्कृतिक अस्मिता गहराती जाएगी वैसे-वैसे 'सांस्कृतिक समाज' आकार लेता जाएगा।

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि भारत सदैव से ही एक सांस्कृतिक इकाई रहा है, जिसकी जड़ें इसके प्राचीन साभ्यतिक इतिहास में निहित हैं। परंतु भारत के प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग ने कभी इसे पुनर्व्याख्यायित करना आवश्यक नहीं समझा। संभवत: यह उनके पंथनिरपेक्षीय सहिष्णु समाज की परियोजना के साथ समायोजित नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही जिसने भी भारत की इस प्राचीन साभ्यतिक-सांस्कृतिक अस्मिता को पुष्ट करने का प्रयास किया उसे इस प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग ने ना केवल हेय दृष्टि से देखा अपितु अनौचित्यपूर्ण घोषित किया। इस वर्ग ने भारत में किसी ऐसी समाज की कल्पना को सार्थक नहीं समझा जिसका निष्कर्ष धर्म अथवा संस्कृति हो सकते हों। प्रारंभिक 'अभिभावक सरकारों' ने भी इसी मान्यता के आधार पर एक पंथनिरपेक्ष समाज का निर्माण करने का असफल प्रयास किया था। असफल इस कारण क्योंकि ये सरकारें स्वयं ही तुष्टीकरण की धारा को प्रोत्साहित करती दिखाई दे रही थीं। यहाँ अभिभावक सरकार प्रत्यय का प्रयोग विशिष्ट संदर्भ में किया गया है। 1947 में जिस भारत का जन्म हुआ था, इन सरकारों के ऊपर इस भारत को सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से पल्लवित करने का उत्तरदायित्व था। इस समय ये सरकारें जैसा व्यवहार करतीं, वह भारत के राजनीतिक नेतृत्व का मानक व्यवहार बनता तथा उसका प्रभाव भारत की राजनीतिक रूपरेखा निर्धारित करता। इन अभिभावक सरकारों ने धार्मिक-सांस्कृतिक विषयों में जिस प्रकार का व्यवहार किया उसने एक ओर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को धूमिल किया तथा दूसरी ओर विभिन्न उप-संस्कृतियों का

राजनीतिक स्वार्थ हेतु दोहन किया। परिणामस्वरूप विविध सांस्कृतिक संगठनों को अपनी विशिष्ट संस्कृतियों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ा। जिसने संस्कृति तथा राजनीति की अन्योन्यक्रिया को जन्म दिया।

वर्तमान में भारत में जो नया नेतृत्व उभार ले रहा है वह भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति जागरूक है तथा साथ ही भारत की पारंपरिक संस्कृति में भी गर्व प्रकट करता है। उसका सामाजिक-राजनीतिक आह्वान भारत के उन नागरिकों के प्रति होता है, जो भारत की पारंपरिक संस्कृति में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को देखते हैं। यह नेतृत्व जिस विचार परिवार से संबद्ध है वह विचार परिवार दशकों से प्रगतिशील, उदार एवं पंथनिरपेक्ष वामपंथी आलोचना के केंद्र में रहा। परंतु उसने सदैव भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का कार्य किया। उसके इस कार्य में भारत में कार्यरत सांस्कृतिक संगठन महत्वपूर्ण रूप से सहयोगी बन रहे हैं। ये संगठन जहां एक ओर अपनी संबद्ध मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं आदि को संरक्षित करने के प्रति गंभीर हैं वहीं भारतीय नागरिकों की समान सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति भी सजग हैं। यद्यपि सभी संगठन ऐसा करने के इच्छुक हैं इसमें संदेह है, परंतु कुछ संगठन भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिस सांस्कृतिक समाज के अस्तित्व की बात की जा रही है, वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी संरचना है, परंतु विकसित होने की प्रक्रिया में अवश्य है। भारत का समकालीन राजनीतिक नेतृत्व इस संरचना के प्रति गंभीर है तो इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि 'सांस्कृतिक समाज' किसी सरकारी परियोजना का भाग है। अपितु इसकी निर्मिति में व्यक्ति, धार्मिक-सांस्कृतिक संगठन, राजनीतिक संगठन, राज्य, राजनीति आदि सभी सम्मिलित हैं। यह एक स्वत:स्फूर्त आवेग की भाँति है, जो विभिन्न माध्यमों से उत्प्रेरित हो रहा है।

भारत का सांस्कृतिक समाज भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। ब्रिटिश शासनकाल में पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के प्रभाव में भारतीय संस्कृति से जिस प्रकार का वि-संरेखण हुआ, स्वतंत्र भारत में उसे पुनर्स्थापित किए जाने की माँग निरंतर की जाती रही है। राजनीतिक प्रक्रिया में संस्कृति तथा सांस्कृतिक विषयों की निरंतर उपस्थिति ने राजनीतिक दलों को संस्कृत्युन्मुख राजनीति करने को प्रेरित भी किया और बाध्य भी। निरंतर सशक्त होती सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों में भी देखने को मिल रहा है। इनमें वे सभी राजनीतिक दल सम्मिलित हैं जिन पर या तो तुष्टीकरण करने अथवा उग्र होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। यद्यपि इनके विषय भिन्न है, सांस्कृतिक सरोकार भिन्न हैं परंतु जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रीय किसी ना किसी रूप में संस्कृति राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के कार्यक्रमों का अभिन्न भाग बन गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव तथा उसके पश्चात विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में संस्कृति का विषय महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है।

भारत में, विशेषकर 2014 के पश्चात से, जिस प्रकार का राष्ट्रीय सांस्कृतिक विमर्श चला है उसने ना केवल व्यक्तिगत अस्मिताओं का ह्रास किया है, अपितु एक राष्ट्रीय

अस्मिता को पोषित भी किया है। निश्चित रूप से इस विमर्श के पीछे संघ परिवार की बड़ी भूमिका रही है, जिसने समय के साथ अपने हिंदुत्व के प्रत्यय तथा हिंदू राष्ट्र की परिधि को अधिक व्यापक करते हुए इसे अधिक समावेशी रूप में प्रस्तुत किया है।[28] यद्यपि इस विमर्श पर निरंतर एकरूपता को पोषित करने का आरोप लगता रहा है। यह कहा जाता रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति का यह विमर्श वास्तव में सांस्कृतिक समतलीकरण का प्रयास है जिसमें बहुलतावाद पर बहुसंख्यकवादी प्रभुता को आरोपित किया जा रहा है। परंतु, संघ ने गोलवलकर की 'हम' तथा 'अन्य' की मान्यता को भी परिस्थितिजन्य मानते हुए समकालीन परिस्थितियों में उसे त्यागने का आग्रह किया है। दूसरी ओर संघ परिवार की राजनीतिक शाखा भाजपा ने भी 2014 में सरकार में आते ही जिस प्रकार से 'सबका साथ, सबका विकास' तथा 2019 में 'सबका विश्वास' को लक्षित किया है उसने भारतीय राजनीति में निश्चित रूप से इस 'सब' की सामूहिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में जो सांस्कृतिक समाज आकार ले रहा है उसमें सामाजिक मिश्रितता का पुट है, जो सामाजिक विभेद से परे हैं।

इस समाज का राजनीतिक व्यवहार का निर्धारण सांस्कृतिक प्रश्नों के इर्द-गिर्द होता है। यह सांस्कृतिक प्रश्नों पर सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित करता है तथा संवैधानिक रीति-नीति से ही उनका समाधान भी प्राप्त करना चाहता है। निकट वर्षों में इसके उदाहरण स्पष्ट है। मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति को भारतीय संस्कृति की मूल भावना के विपरीत मानकर वैधानिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए सामाजिक विधायन किया गया। राम-मंदिर के विवाद का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया गया। एक देश का बहुसंख्यक समुदाय अपनी आस्था के प्रश्न का निर्धारण वैधानिक सीमाओं में रहते हुए करता है, देश का राजनीतिक नेतृत्व, जिस पर उस बहुसंख्यकवादी होने का आरोप लगता है, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए विधायन करता है, यह भारत में सांस्कृतिक समाज की निर्मिति को आधार प्रदान करता है जिसकी संसदीय लोकतंत्र तथा इसकी संस्थाओं में आस्था है।

सांस्कृतिक समाज की धारणा से निकट से जुड़ा हुआ प्रत्यय सांस्कृतिक अभिशासन है। संकुचित अर्थों में सांस्कृतिक अभिशासन का अभिप्राय देश की सांस्कृतिक इकाइयों पर सरकार के नियंत्रण से है। परंतु वृहत् अर्थों में सांस्कृतिक अभिशासन मानव अधिकारों के सम्मान, सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्द्धन, तथा सहभागी लोकतंत्र पर आधारित होता है। इसमें सरकारें राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयों को सांस्कृतिक आधार प्रदान करते हुए विधायन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। 2014 के पश्चात सरकार द्वारा बनाई गई अधिकांश नीतियों की एक सांस्कृतिक व्याख्या अवश्य होती है। इस रूप में इसे सांस्कृतिक विधायन की संज्ञा भी दी जा सकती है।

राज्य तथा सरकार की कार्यशैली में सांस्कृतिकता का यह प्रभाव आकस्मिक ना होकर प्रक्रियागत है। विगत सात दशकों में देश में कार्यरत विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों ने

जिस प्रकार से चुनावी राजनीति, मत व्यवहार, नीति निर्माण प्रक्रिया पर अपना प्रभाव बनाए रखा है, उसने विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस परिवर्तन को इस शोध-कार्य के माध्यम से समझने और विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि जैसा कि प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन प्रत्ययों को इस आलेख में दिया गया है, आवश्यक नहीं कि वे सार्वभौमिक हों, अथवा पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हों। परंतु यह अवश्य है कि इन प्रत्ययों ने भारतीय समाज में आकार लेना अवश्य प्रारम्भ कर दिया है। संभव है आने वाले समय में इनकी निर्मिति सामाजिक विज्ञान के अन्य सिद्धांतों की भाँति पूर्णता को प्राप्त कर ले या यह भी संभव है कि सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन होने कारण इनके स्वरूप में भी परिवर्तन हो अथवा इनकी निर्मिति की प्रक्रिया अवरोधित हो, परंतु चूंकि भारत निर्विवाद रूप से एक सांस्कृतिक इकाई है अत: यह सांस्कृतिक विमर्श समाप्त नहीं होगा। सांस्कृतिक शक्तियाँ इस विमर्श को गति प्रदान करने का प्रमुख माध्यम हैं जो विगत सात दशकों में सशक्त हुई हैं। कुछ सांस्कृतिक संगठन ऐसे भी हैं जिनका अभिविन्यास सांस्कृतिक से अधिक पांथिक है, परंतु वे भी निरंतर स्वयं को भारतीय सांस्कृतिक विमर्श में सम्मिलित करने का प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं।

अत: भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया तथा उसके मध्य सांस्कृतिक विमर्श दूरगामी संयोजन है, जिसके विभिन्न पक्षों को विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। धर्म एवं राजनीति के विषय में ग्राम्शी का अवलोकन है कि तीन तत्व - धर्म, राज्य एवं दल स्थायी हैं, तथा ऐतिहासिक राजनीतिक विकास की वास्तविक प्रक्रिया में तीनों एक ही मार्ग पर एक-दूसरे से मिलते हैं। परंतु भारत के संबंध में एक चौथे तत्व संस्कृति को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। भारत के राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में धर्म, राज्य और दल की अंत:क्रिया में संस्कृति भी एक स्थायी तत्व के रूप में अपना प्रभाव डालती है। संस्कृति का यह स्थायित्व सांस्कृतिक संगठनों द्वारा राजनीतिक एवं चुनावी विषयों को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक संगठनों द्वारा राजनीति में सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार का लामबंदीकरण किया जाता है उससे संस्कृति को राजनीति के साथ अंत:क्रिया करते हुए अपने को राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में स्थायी तत्व के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया में संस्कृति भारतीय राजनीति में मात्र लामबंदीकरण का एक यंत्र ही नहीं है अपितु इसके द्वारा की जाने वाली अन्योन्य क्रिया भारतीय समाज को सांस्कृतिक समाज के रूप में पुनर्परिभाषित करने का कार्य भी कर रही है।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. महादेवी वर्मा (1984), *भारतीय संस्कृति के स्वर*, राजपाल एंड संस, नई दिल्ली.
2. रजनी कोठारी (1990), *पॉलिटिक्स एंड द पीपल: इन सर्च ऑफ ह्यूमन इंडिया* (संस्क. 2), अजंता पब्लिकेशन, नई दिल्ली. पृ. 480-481.
3. संस्कृति के इस विमर्शीय संघर्ष में कांग्रेस के उस सेकुलर राष्ट्रवाद को के सामने चुनौती पेश की जिसे कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय ईजाद किया था। हालांकि इसे हिंदू महासभा और

मुस्लिम लीग पहले ही नकार चुके थे, लेकिन 1947 के बाद कांग्रेस का यह सेकुलर राष्ट्रवाद धार्मिक बनाम सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के कुचक्र में उलझता हुआ दिखाई दिया।

4. यद्यपि नेहरू ने पंथनिरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र के आधुनिक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए उसी के अनुसार व्यवहार करने का निर्णय लिया। परंतु व्यवहार में ऐसा हुआ हो यह कहना संदेहास्पद है। दक्षिणपंथ के समर्थक नेहरू पर निरंतर पंथनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण का आरोप लगते रहे हैं। परंतु यहाँ संदेह का कारण यह नहीं है। क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों को नेहरू का विपक्षी मानकर उन्हें इस आरोप से मुक्त किया जा सकता है। परंतु नेहरू की पंथनिरपेक्षता को सोमनाथ मंदिर, हिंदू कोड बिल, समान नागरिक संहिता आदि विषयों पर स्वयं कांग्रेस के भीतर से चुनौतियों व आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा तो यह संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध कराता है।

5. डोनाल्ड ईगन स्मिथ (1967), *इंडिया एज़ ए सेकुलर स्टेट,* प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यू जर्सी. पृ. 375.

6. मैनेजर पांडेय तो इस दावे को भारतीय संस्कृति के समाजशास्त्र की निर्मिति के संकट के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार भारत में संस्कृति के विषय में बात करते हुए आप भावावेश से मुक्त नहीं हो सकते। इसकी एक बानगी इस रूप में देखी जा सकती है कि कुछ लोग संस्कृति और धर्म को पर्याय के रूप में देखते हैं तथा उनका प्रयास होता है कि दूसरे भी ऐसा ही मानें। इनके लिए संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र जैसे प्रत्यय एक ही है जिसे वे हिंदुत्व कहते हैं। देखें : मैनेजर पांडेय (2013), *भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा,* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली. पृ. 23.

7. सत्यकेतु विद्यालंकार (1979), *भारतीय संस्कृति का विकास,* श्री सरस्वती सदन, मसूरी. पृ. 13.

8. डोनाल्ड ईगन स्मिथ. (1967) : 375-376

9. भानु प्रताप शुक्ल (1992), *राष्ट्र,* जानकी प्रकाशन, दिल्ली.पृ. 13.

10. जवाहरलाल नेहरू (2004), *द डिस्कवरी ऑफ इंडिया,* पेंगुइन बुक्स इंडिया प्रा लि, नई दिल्ली. पृ. 398.

11. *वही* : पृ. 289.

12. राम पुनियानी (2021), *क्या गंगा-जमुनी तहजीब कल्पना मात्र है,* 18 अक्तूबर, https://:www.deshbandhu.co.in/editorial/is-ganga-jamuni-tehzeeb-just-a-fantasy-99025-2, देखने की तारीख : 8 मई 2022.

13. सितंबर 2021 में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे बयान देते हैं कि भारत में गंगा-जामुनी तहजीब एक मिथक है। यहाँ एक ही संस्कृति है और अन्य सभी को उस एक संस्कृति में समाहित हो जाना चाहिए। जिस तरह संगम में यमुना गंगा में पूरी तरह विलीन हो जाती है उसी तरह सभी संस्कृतियों को विराट हिंदू संस्कृति में विलीन होना होगा। हालांकि अपने इस बयान में परांडे अपनी वैचारिकी के उस लचीलेपन को भी सामने रखते हैं जिसे विगत कुछ वर्षों में विकसित किया गया है। उनके अनुसार विलीनीकरण का यह तात्पर्य कतई नहीं कि मुस्लिम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान करना होगा तथा उसी के अनुरूप व्यवहार करना होगा। *टाइम्स ऑफ इंडिया* (2021), 'नो प्लेस फॉर गंगा-जमुनी तहज़ीब, हिंदू कॉज़ हैज़ टू बी प्राइम', 7 सितंबर, http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/no-place-for-ganga-jamuni-tahzeeb-hindu-cause-has-to-be-prime-vhp/articleshow/85990057.cms, देखने की तारीख : 7 मई 2022.

14. मैनेजर पांडेय (2013): पृ. 220.

15. नामवर सिंह तो संस्कृति को ही एकवचन शब्द नहीं मानते। उनके अनुसार संस्कृतियाँ होती हैं, संस्कृति नहीं। इसलिए संस्कृति सदैव ही बहुवचन होती है। उनके अनुसार भारत में विभिन्न संस्कृतियों को समतल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस रूप में सांस्कृतिक बहुलता वाले इस

देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वयं संकट का कारण बन गया है। इसके अतिरिक्त वे बाहर से भी सांस्कृतिक विविधता पर खतरे को स्पष्ट करते हैं कि विश्व बाजार के चलते एक ऐसी संस्कृति उदित हुई है जिससे सांस्कृतिक विविधता और बहुलता को संकट है। अर्थात भारत की सांस्कृतिक विविधता को संकट अंदर तथा बाहर दोनों ओर से है। देखें : नामवर सिंह (2004), *सांस्कृतिक बहुलतावाद का विमर्श,* डॉ राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला 1996-1998, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली. पृ. 39-56.

16. अभय कुमार दुबे (2019), *हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति,* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली. पृ. 11-12

17. धर्म कुमार (1994), 'लेफ्ट सेकुलरिस्ट्स एंड कम्युनलिज़्म', *इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 29(28). पृ. 1803-1809

18. भीखू पारिख (2005), 'बहु-सांस्कृतिकता का स्वरूप', *शोधार्थी,* 1(4). पृ. 19-22.

19. अल्पसंख्यकों पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि "हमें इस प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा देना होगा जिससे भारत का अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, वर्ग सशक्त हो सके तथा विकास के लाभों में समान भागीदार बन सके। उनका देश के स्रोतों पर पहला अधिकार है।" *टाइम्स ऑफ इंडिया,* 9 दिसंबर 2006. जब किसी देश राष्ट्रीय नेतृत्व अथवा संवैधानिक मुखिया एक समुदाय विशेष के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है तो शेष समुदायों के मध्य उनके प्रति अविश्वास व नकारात्मकता उत्पन्न होती है। और बात जब भारत की हो तो यहाँ एक सामान्य समझ यह है कि राजनीतिक प्रयोग की दृष्टि से अल्पसंख्यक के माने मुस्लिम समुदाय है। परिणामस्वरूप मनमोहन सिंह के इस बयान को मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण से जोड़ा गया। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने मुखर होकर इस राजनीति का प्रतिकार किया।

20. इस संदर्भ में सतीश सबरवाल (2008), *स्पाइरल्स ऑफ कंटेशन : व्हाई इंडिया वाज़ पार्टीशंड इन 1947,* रौटलेज से उद्धृत करते हुए अभयकुमार दुबे कहते हैं कि भारत में बाहर से आए मुसलमानों को भय था कि कहीं विशाल हिंदू धर्म उन्हें अपने में विलीन ना कर ले। इस कारण उन्होने मतांतरण के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाने का कार्य किया, कि संभवत: ऐसा करने से वे हिंदू प्रभाव से बच सकेंगे। उनका तर्क है कि बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन ने मुसलमानों के भीतर इस भय को बढ़ावा दिया जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप तबलीगी जमात जैसे संगठनों का उदय हुआ। देखें अभय कुमार दुबे. (2019) : पृ. 203.

21. श्यामाचरण दुबे के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात भारत में परंपरा, जिसे संस्कृति व जातीय अस्मिता का पर्याय बना दिया गया है, के राजनीतिक अर्थों में परिवर्तन आया है। सत्ता को ही अपना चरम लक्ष्य मानने वाले राजनीतिक समूह परंपरा के नए आश्रयदाता बनकर सामने आए हैं। वे अपने राजनीतिक कौशल का प्रयोग करते हुए परंपरा पर मनचाही व्याख्याएँ थोपकर उसकी अभिव्यक्ति में हेर-फेर करते हैं। ये समूह समाज में अंतर्विरोधों को बढ़ाते हैं तथा परंपराओं में परस्पर विद्वेष, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को आश्रय देते हैं। देखें : श्यामचरण दुबे (2005), *समय और संस्कृति,* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.: पृ. 16. इसकी एक बानगी पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में देखी जा सकती है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बंगाल की संस्कृति बनाम बाहरी संस्कृति का विषय पर मतदाताओं को लामबंद करने का प्रयास किया गया। 2022 में चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को 80 बनाम 20 का चुनाव बताए जाने तथा सुविधानुसार उसकी व्याख्या किए जाने को भी ऐसे ही एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं।

22. *वही,* 17.

23. श्यामाचरण दुबे कहते हैं कि संस्कृति अपने संबंध में सचेत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। राजनीतिक निर्णय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी दिशा निर्धारित करते हैं: *वही:* 80-81.

24. धर्म कुमार अपने लेख में भारतीय इतिहास के उस पक्ष को आलोचित करती दिखाई देती हैं जो भारत में सदैव से 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' का पक्षधर रहा है। इनके अनुसार भारतीय इतिहास के विषय में वामपंथी इतिहासकारों की छः मूल मान्यताएँ रही हैं - एक, ब्रिटिश शासन से पूर्व, मध्य-कालीन भारत में हिंदू तथा मुसलमानों के मध्य सद्भावना थी। दो, इसके आधुनिक स्वरूप में संप्रदायवाद के बीज का रोपण जान-बूझकर औपनिवेशिक शासन द्वारा किया गया है। तीन, हिंदू-मुस्लिम संबंधों के मध्य औपनिवेशिक काल में नकारात्मक परिवर्तन देखा गया। चार, वर्तमान समय में भारत के समक्ष सबसे बड़ा संकट हिंदू संप्रदायवाद है तथा बहुसंख्यक होने के नाते एक पंथनिरपेक्ष समाज के निर्माण का उत्तरदायित्व हिंदू समाज पर है। पाँच, हिंदू संप्रदायवादियों ने इतिहास की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है जिसे उपनिवेशवादियों द्वारा आगे बढ़ाया गया तथा हिंदू अंधराष्ट्रवादी लेखकों द्वारा अलंकृत किया गया। छः, 'इतिहास के राजनीतिक दुरुपयोग' ने 'इतिहासकारों' के हस्तक्षेप को अनिवार्य कर दिया है। जब-जब सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों पर अपनी दावेदारी की जाएगी, तब-तब इतिहासकारों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। *वही.*

25. डोनाल्ड ईगन स्मिथ. (1967) : पृ. 379.

26. मणिशंकर अय्यर (2007), 'पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इन इंडिया', *इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टर्ली,* 34(1).

27. पार्था चटर्जी (2003), *बियोंड द नेशन? ऑर विदिन?*, केरोलीन इलियट (सं.), सिविल सोसाइटी एंड डेमॉक्रसि: ए रीडर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, पृ. 140

28. संघ परिवार की इस बदलती व बढ़ती परिधि की ओर अभय कुमार दुबे (2019) भी ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके अनुसार 60-70 के दशक के संघ एवं आज के संघ में बहुत अंतर है। परंतु संघ विरोधी मानसिकता निरंतर इस परिवर्तन की अवहेलना करते हुए आज भी संघ की आलोचना के उसी पुराने रवैये को अपनाए हुए है। यही कारण है कि इस प्रकार की मानसिकता का राजनीतिक दायरा निरंतर संकुचित होता जा रहा है तथा संघ अपनी सामाजिक अभियांत्रिकी (सोशल इंजीनियरिंग) के माध्यम से निरंतर अपना सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक प्रसार किए जा रहा है।

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 72-89)

भारत में मद्यनिषेध और महात्मा गाँधी की विचार दृष्टि

आशुतोष शरण* एवं सुनील महावर†

प्रस्तुत आलेख भारत में विभिन्न राज्यों के द्वारा मद्यनिषेध हेतु किए गए प्रयासों एवं गाँधीजी के मद्यनिषेध संबंधी विचारों का विश्लेषण करने का प्रयास है। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व में मद्यनिषेध गाँधीजी के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया और कुछ राज्यों ने अपने यहाँ मद्यनिषेध हेतु सख्त कानूनों का भी निर्माण किया। ये प्रश्न निरंतर उठते हैं कि क्या यह किसी भी राज्य के नागरिकों के लिए उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी तो नहीं है? गाँधीजी द्वारा प्रदत्त नैतिक मूल्यों, राज्य की भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य समन्वय कैसे स्थापित किया जाए? क्या यह राज्य और व्यक्ति के लिए नैतिक रूप से न्यायपूर्ण होगा? क्योंकि यह राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से राज्य के विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करें। क्या किसी भी सरकार का मद्यनिषेध को लागू करने का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करने तथा सामाजिक शांति एवं लोगों के आर्थिक एवं नैतिक विकास से है? मद्यनिषेध लागू करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य में शराब के

*शोध छात्र, गाँधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार)
E-mail: ashupkd13@gmail.com
†प्रोफेसर, गाँधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार)
E-mail: msuniljpr@gmail.com

गोरखधंधे तेजी से प्रफुल्लित होने लगे, नकली शराब का निर्माण एवं बिक्री की जाने लगी, जिससे शराबी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या इन गोरखधंधों पर काबू पाने में प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार के शिकार तो नहीं होंगे? यदि राज्यों में बिना किन्हीं राजनीतिक कारणों के मद्यनिषेध हेतु प्रयास किए गए हैं तो क्या नागरिकों पर इसके सकारात्मक या नकारात्मक रूप से पड़ने वाले प्रभावों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है? गाँधी विचार दृष्टि के मद्देनजर मद्यनिषेध हेतु किये गए प्रयासों को विश्लेषित किया जाता है तो उपर्युक्त प्रश्नों का उठाना स्वाभाविक है, प्रस्तुत आलेख में इन्ही प्रश्नों के हल खोजने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द - गाँधी, नैतिकता, कल्याणकारी राज्य, मद्यनिषेध, रचनात्मक कार्यक्रम।

शराब का अत्यधिक सेवन किसी भी समाज को विनाश की ओर ले जा सकता है, यह एक ऐसी बुराई है जिससे न केवल शराब पीने वाला व्यक्ति वरन् उसका परिवार और समस्त समाज प्रभावित होता है। वह अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है साथ ही अपने परिवार को भी संकट में डालता है। गाँधीजी समाज को इस रोग से मुक्त करना चाहते थे और समूल रूप से मद्यनिषेध के पक्षधर थे यह उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का एक प्रमुख भाग था। उनका मानना था कि शराब व्यक्ति को नैतिक, आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। राज्य को इसे आवश्यक बुराई मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गाँधीजी के मद्यनिषेध संबंधी विचार से प्रेरित होकर इसको भारतीय संविधान में जगह तो प्रदान की गई, परंतु इसे अभी तक पूर्णत: प्रभावी नहीं बनाया जा सका है। भारत में व्यक्ति के शराब व्यसन के कारण समाज दूषित हो रहा था, पारिवारिक हिंसा बढ़ रही थी तथा इसके साथ ही व्यसनी व्यक्ति अपना अस्तित्व खो रहा था। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए गाँधीजी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से ही पूर्ण मद्यनिषेध को महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और स्वंतत्र भारत के नवनिर्माण में 'मद्यनिषेध' को मुख्य केंद्र में रखा।

शराब अरबी भाषा का शब्द है, जो शर अर्थात 'बुरा' और आब अर्थात 'पानी' के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है 'बुरा पानी'। नाम के अनुरूप इसका प्रभाव भी बुरा है, जो विष के समान है। शराब मादक द्रव्य की श्रेणी में आती है, मादक द्रव्य वह पदार्थ है जो मन और शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है। ऐसी मान्यता है कि इसके सेवन के पश्चात व्यक्ति तनाव मुक्त महसूस करता है। व्यक्ति शराब का व्यसन शिष्टाचार की कमी, आर्थिक संपन्नता एवं विपन्नता दोनों ही परिस्थितियों, मानसिक तनाव, परिवारिक कलह, उत्सव के अवसर, शौक, मनोरंजन तथा दोस्तों के दबाव आदि के कारण करता है। मदिरापान का व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावित कर देती है। इसके नशे में व्यक्ति इतना चूर हो जाता है कि उसके सोचने-समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। भारत के सन्दर्भ में यह तथ्य लागू होता है, शराब का अप्रतिबंधित, अमर्यादित और अधिक उपयोग भारत में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याओं का एक जटिल कारण है।

शराब के बारे में चंद्रसेन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शराब ऐसा पदार्थ है, जिसे जीभ पर रखते ही मन मलिन हो जाता है, जी ऐंठ जाता है। खूब हंसो, खूब बको, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें असत्य भाषण करने का साहस आ जाता है, वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने लगता है, बुद्धि मलिन होती है, कष्ट और व्याधि बढ़ती है। यह समस्त अपराधों की जननी है, उज्ज्वल मन का भयानक अंधकार है, जिसकी तीक्ष्ण ज्वाला शीतल हृदय पर सदैव धधक-धधक कर दहकती रहती है। व्यक्ति इसके प्रभाव में होकर अपने माता-पिता, स्त्री, भगिनी, भ्राता और बच्चों का हंसते-हंसते वध कर सकता है (चंद्रसेन, 1990)। बौद्ध ग्रंथों में भी शराब के बारे में कहा गया है, इसके सेवन से व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो देता है। शराब एक ऐसा पदार्थ है, जिसमें समस्त ज्ञान और विवेक नष्ट कर देने की शक्ति है, इसका सेवन करने के पश्चात व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण न रख पशु की भांति व्यवहार करने लगता है (चंद्रसेन, 1990)।

क्लिटनवेन त्राफट ने शराब के संदर्भ में कहा है कि, "मैं आग हूं, मैं भस्म करती हूं और नशा करती हूं। मैं रोग हूँ और असाध्य हूँ, मैं चिंता हूँ, राजाओं की चमकीली पोशाक, प्रतिष्ठित पुरुषों के भारी-भारी वेश, सजीली रानियों के रेशमी वस्त्र मेरी अमिट भूख मिटाया करते हैं। मेरा नाम जब भयंकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब मैं थोड़ी देर के लिए सुलगती हूं। मेरी ज्वाला अचानक धधक उठती है और सर्वस्व को भस्म करना शुरू कर देती है, यहां तक कि कुछ भी नहीं छोड़ती। मैं अग्नि का समुद्र हूं, कोई जिह्वा मुझसे प्यास नहीं बुझा सकती। मैं वह अग्नि हूं जो कभी जल से शांत नहीं होती" (चंद्रसेन, 1990)। शराब को एक ऐसा धीमा जहर माना जा सकता है जिसका व्यक्ति अधिक से अधिक सेवन कर सकता, इसका त्वरित असर तो व्यक्ति के सुध-बुध खोने से होता है किन्तु दीर्घकाल में यह उसका जीवन नष्ट कर देती है।

हानिकारक होने के बावजूद शराब के सेवन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में नशीले पदार्थों के सेवन का प्रमाण ऋग्वेद काल से मिलता है, इसका वर्णन सोमरस के नाम से किया गया है। ऋग्वेद में एक ओर जहां सोमरस एवं सुरा के प्रचुर संदर्भ हैं वही सुरापान की तुलना क्रोध एवं धूर्त जैसी कुप्रवृत्तियों से की गई है। इसे सभी बुराइयों का मूल बताया गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में सुरापान की निंदा करते हुए अंधकार एवं असत्य से इसकी तुलना की गई है किंतु इसके साथ ही इसे एक औषधि के रूप में मान्यता भी दी गई है (तिवारी, 2007)। प्राचीन काल में मादक पदार्थों का सेवन न तो व्यक्ति को विनाश के पथ पर ले जाता था और न ही समाज को, इसमें धर्म और नैतिकता उन्हें सीमा से बाहर नहीं जाने देती थी। यद्यपि शराब का सेवन कई दशकों तक धनी वर्ग के लोगों में ही अत्यधिक रूप से देखा जाता था, विगत कुछ दशकों में मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग भी शराब के भंवर जाल में फंसकर शराब के आदी हो चुके हैं। नशीले पदार्थों का प्रभाव समाज के युवाओं में अत्यधिक दिखाई देता है। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की ज्वलंत समस्या है।

शराब के पक्ष में दिए जाने वाले वे सभी तर्क निराधार हैं जो इसे उपचार हेतु दवा के रूप में प्रयुक्त करने को उचित मानते हैं। वस्तुत: शराब में एक भी अच्छा गुण नहीं है और

इसके दुष्परिणाम अत्यधिक है। इसका सीधा असर व्यक्ति, समाज और संस्कृति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शराब धीमे विष के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्ति के शरीर को धीरे-धीरे खोखला कर देती है। शराब के संबंध में एक विद्वान डॉक्टर का कहना है कि "जिस तरह समुद्र के खारे पानी की भाप शीघ्र तैयार होकर इंजन को झड़प से चलाती है और पीछे वह रुक जाता है, इसी तरह नशीली चीजें शरीर के सांचे को वेग से चलाती है और ताकत तथा स्फूर्ति नजर आती है, मगर बाद में शरीर और सांचे दोनों का नाश हो जाता है" (सागर, 1941)।

शराब की लत

लत शब्द अधिकांशत: शारीरिक निर्भरता को दर्शाता है। लत एवं शारीरिक निर्भरता वह स्थिति है जिसमें शरीर को अपने कार्य संचालन के लिए द्रव्य का निरंतर सेवन चाहिए। द्रव्य के बंद कर देने से शरीर के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप होता है तथा द्रव्य में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रतिरूप के अनुसार बंद होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं (देवी, 2011)। मादक द्रव्य व्यसन को परिभाषित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेषज्ञ समिति ने लिखा है कि "मादक द्रव्य की लत अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन उन्माद कि वह दशा है, जो किसी नशीली वस्तु के निरंतर उपयोग से उत्पन्न होती है और जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों की ही हानि होती है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018)। मद्यपान की लत ऐसी चीज है जिसे एक बार सेवन करने के पश्चात व्यक्ति धीरे-धीरे उसका आदि होता चला जाता है और वह मकड़ी की जाल की तरह शराब की दुनिया में फंसकर कर बर्बाद हो जाता है। शराब की लत के बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि "आदमी को आज शराब का एक प्याला अपर्याप्त मालूम पड़ता है, कल दूसरा, परसों तीसरा। एक दिन ऐसा आता है जब वह शराब को इसलिए पीता है कि पिए बिना जी नहीं सकता, तब आदमी दु:ख के सागर में डूब जाता है" (प्रसाद, 2018)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में 6.4 लीटर प्रतिवर्ष औसतन व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2025 तक विश्व में (6.4-7) लीटर प्रतिवर्ष औसतन व्यक्ति शराब की खपत का अनुमान लगाया है। वहीं डब्ल्यूएचओ की बेसिक स्टेटस रिपोर्ट (2018) के अनुसार भारत में शराब का सेवन करने वाली कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत व्यक्ति भारी मात्रा में शराब का व्यसन करते हैं और इनमें (15-19 वर्ष) की संख्या 25.2 प्रतिशत है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि शराब के नशे की समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018)। यदि शराब की लत के दुष्परिणामों की बात करें तो यह ज्ञात होता है कि "60 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण शराब का सेवन है, जो वैश्विक बीमारी का अनुमानित 4 प्रतिशत है (ब्राण्ड एवं अन्य, 2007) डब्ल्यूएचओ की 2018 रिपोर्ट के अनुसार शराब व्यसन के कारण विश्व में 2016 में अनुमानत: 30 लाख मौतें हुई हैं" (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018)। एक अध्ययन में यह पाया

गया है कि "शराब का सेवन मानसिक रूप से विकृत संतानों का एक प्रमुख कारण है" (डेवोर एवं क्लोनिन्गर, 1989)।

बेंगलफोर्ड ने शराब की लत के बारे में कहा है कि "केवल मद्यपान के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जितने लोगों को अपराधों में पकड़ा गया है, जितने विवाह टूटे हैं और उद्योगों को जितनी हानि हुई है उतनी हानि और सब बुराइयों को मिलाकर भी नहीं हुई" (लॉस ऐन्जेलिस टाइम्स, 1970)। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि शराब की लत के कारण व्यसनी व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है, कभी-कभी पागलपन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक शराब पीने के कारण व्यक्ति विक्षिप्त-सा हो जाता है उसका लिवर धीरे-धीरे कार्य करना बंद कर देता है और अंतत: उसकी मृत्यु तक हो जाती है। वस्तुत: शराब की लत व्यक्ति, परिवार और समाज को बर्बाद कर देती है।

मद्यनिषेध

मद्यनिषेध से तात्पर्य शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के उपभोग, निर्माण तथा बिक्री के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, कानून द्वारा प्रतिबंधित करना है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व के अंतर्गत अनुच्छेद-47 में मद्यनिषेध को शामिल किया गया है। भारत में गाँधी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मद्यनिषेध होती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध (नशा मुक्ति/निवारण) दिवस मनाया जाता है जिससे दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत और उससे होने वाली मौत से बचाया जा सके। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए शोध, अनुसंधान, आंकड़े और तथ्यों को साझा करना है जिससे नशे की लत में फंसे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र स्वयं इस दिन पर लोगों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो सके।

प्राचीन भारत में मद्यनिषेध का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि "शुक्राचार्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मद्यनिषेध की आवाज उठाई थी" (चंद्रसेन, 1990)। अपस्तम्ब और गौतम ने भी मद्यनिषेध हेतु कठोर से कठोर नियम बनाने पर जोर दिया था। बौद्ध कालीन जातक ग्रंथ, इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथ कुरान के साथ-साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी शराब को वर्जित किया गया है। मध्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अकबर और औरंगजेब आदि शासकों के शासनकाल में भी मद्यनिषेध नीति को लागू किया गया था।

वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मद्यनिषेध हेतु सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 26 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के अवसर पर 'नशा मुक्त भारत अभियान' वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। इस वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि "नशीली दवाओं के दुरुपयोग और

अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के विशेष अवसर पर हम किसी भी रूप में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करने और दुनिया को यह संदेश देने के लिए एक साथ आए हैं कि भारत इस बुराई से लड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने की पहल और समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण और परिणामों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है" (प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, 2021)। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 11 देशों अफगानिस्तान, ब्रूनेई, डारुस्लम, ईरान, लिबिया, मालदीव, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान तथा यमन में शराब का प्रयोग वर्जित है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018)।

गाँधीजी के मद्यनिषेध संबंधी विचार

मद्यनिषेध के संबंध में गाँधीजी ने कहा था कि "यदि मुझे एक घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए, तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद करवा दिया जाए" (गाँधी, 2019)। कुछ अमीर लोगों के शराब के शौक के कारण सम्पूर्ण समाज को दूषित नहीं किया जा सकता। गाँधीजी शराब को चोरी और व्यभिचार से भी अधिक निंदनीय मानते हैं। वे कहते हैं कि "मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हो। अगर भारत में मद्यनिषेध जारी करने के लिए शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं यह कीमत चुकाकर शराबखोरी को बंद करूंगा" (गाँधी, 2019)। गाँधीजी ने कहा था कि "जो राष्ट्र शराब का शिकार है, उसके सामने विनाश मुंह बाए खड़ा है। इतिहास में शराब से विनाश के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 21 में से 16 मानव सभ्यताओं के नष्ट होने का कारण शराब मानी जाती है। रोम, यूनान, मिस्र की सभ्यताएं शराब के कारण मिट्टी में मिल गई। जाट, मराठा, राजपूत और मुस्लिम शासकों के पतन का कारण शराब मानी जाती है। शराब का ठेका लोकतंत्र के लिए कलंक और अभिशाप दोनों हैं" (प्रसाद, 2018)।

गाँधीजी कहते थे कि मदिरापान अवगुण कम परंतु बीमारी अधिक है। इस बीमारी के कीटाणु सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन में है, क्योंकि पश्चिम का अमीर शराब पीता है और पीकर जीता है, किंतु इसके विपरीत विकासशील देश का बहुसंख्यक गरीब शराब पीता है और शराब पीकर मर जाता है। नशीले पदार्थों के प्रचलन में तीव्र गति से हुई वृद्धि के कारण ही आज सभी देश मानसिक रोग, दुर्घटनाओं, अकाल मृत्यु एवं अपराधों की वृद्धि के कारण जीवन मूल्यों और नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने में उलझे हुए हैं। गाँधीजी का मानना था कि शराब का सेवन हमारे आरोग्य शरीर में कई रोग पैदा करता है और यह हमारे मन और संपत्ति का भी हरण कर लेता है। नशे में धुत व्यक्ति कुछ समय के लिए पाप-पुण्य, अच्छाई-बुराई, माता, पत्नी एवं बेटी में भेद करना भी भूल जाता है। इस प्रकार व्यक्ति नशीले पदार्थों का गुलाम बन जाता है और वह पृथ्वी का भार मात्र बनकर रह जाता है। गाँधीजी कहते हैं कि

शराब को विश्व के लगभग सभी ग्रंथों में दूषित माना गया है, लेकिन फिर भी कोई इसे पीने से परहेज नहीं करता। शराब से न जाने कितने घर मिट्टी में मिल गए। आगे वे कहते हैं, कुछ लोगों का यह मत है कि शराब का सेवन दवा की भांति किया जा सकता है, किंतु असलियत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शराब के भंडार कहे जाने वाले यूरोप के डॉक्टरों का भी यही मत है। पहले अनेकों बीमारियों में शराब का इस्तेमाल दवा के लिए किया जाता था, परंतु वह अब बिल्कुल बंद हो गया है। शराब का दवा के रूप में इस्तेमाल की दलील देना ही गलत है। शराब के पक्षपाती यह दिखाते हैं कि जब शराब दवा के काम आ सकती है तो उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाना बुरा क्यों हो सकता है? परंतु विष को भी तो दवा की भांति ही इस्तेमाल में लिया जाता है, तो उसे कोई भी पीने की भांति सोचता तक नहीं। यह हो सकता है कि शराब दवा के रूप में लाभ पहुंचाती हो, परंतु उससे लाभ के अपेक्षाकृत हानि अत्यधिक है, इसलिए इसका उपयोग वर्जित किया जाना चाहिए। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं, जो डॉक्टरों एवं वैद्यों की सलाह पर भी शराब का सेवन नहीं करते।

गाँधीजी ने 18 फरवरी 1934 को हरिजन में लिखा कि, "मैं यह कहना चाहता हूं कि शराब का नशा करना लगभग आत्महत्या करने जैसा है, क्योंकि एक पुरुष या एक महिला जो नशीले पेय लेती हैं कुछ समय के लिए अपनी आत्मा को मार देते हैं। निश्चित रूप से आत्मा की मृत्यु शरीर की मृत्यु से भी बदतर है" (हरिजन, 1934)। महात्मा गाँधी ने मद्यनिषेध को केवल नैतिकता से ही नहीं जोड़ा बल्कि देश की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, अपराध, सामाजिक जीवन एवं विकास के विभिन्न पहलुओं से जोड़ कर देखा था। उन्होंने कहा था कि "देश की स्वतंत्रता के बाद भी यदि देश में शराब चलती है तो यह देश के लिए एक शर्मनाक कलंक होगा" (गाँधी, 2019)। गाँधीजी का मानना था कि "शराब और नशीली दवाओं की बुराई कई मायनों में मलेरिया और इसी तरह की बुराई से भी बदतर है; मलेरिया तो केवल शरीर को घायल करता है, जबकि शराब शरीर और आत्मा दोनों को बहा देती है" (यंग इण्डिया, 3-3-'27)। वस्तुत: गाँधीजी शराब के सेवन को पूर्णतया प्रतिबंधित कर देना चाहते थे। वे जिस तरह के स्वराज की स्थापना करना चाहते थे वह सत्य और अहिंसा पर आधारित नैतिक समाज में ही हो सकता है, इसके लिए मनुष्य का नैतिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है और मनुष्य के नैतिक उत्थान हेतु उसका शराब की लत से दूर रहना आवश्यक है।

वैश्विक स्तर पर मद्यनिषेध के प्रयास

शराब की लत के दुष्परिणामों और नकारात्मक प्रभावों के मद्देनज़र विश्व में अनेक देशों ने इस पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रयास किये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1920 से 1933 में शराब के निर्माण, बिक्री एवं सेवन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया था। तत्कालीन समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 18वां संशोधन किया गया जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं सेवन को केवल औषधीय बनाया गया। मद्यनिषेध के परिणामस्वरूप अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस कानून का

अपमान किया जाने लगा और अवैध स्रोतों से शराब का निर्माण एवं बिक्री की जाने लगी जिसके फलस्वरूप अपराध विकसित होने लगा। अंतत: 1933 में 18वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया। यूरोप के नार्वे और फिनलैंड में बीसवीं सदी के प्रारंभ में मद्यनिषेध को लागू किया गया था। किन्तु शराब को प्रतिबंधित करने के निर्णय को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिल सका और फलत: बड़े पैमाने पर तस्करी की जाने लगी। अंतत: निषेध को हटा लिया गया और शराब को विस्तृत प्रतिबंधों के तथा उच्च करों के साथ बिक्री की अनुमति प्रदान की गई।

रूस में जार शासन के दौरान 31 जुलाई 1914 को पूर्ण मद्यनिषेध को लागू किया गया। जार शासन के खिलाफ खूनी विद्रोह के बाद जब नया शासन आया और कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो कम्युनिस्ट शासन ने भी लेनिन के कार्यकाल में मद्यनिषेध कानून को 1925 तक जारी रखा। 1914-25 तक 11 वर्षों की मद्यनिषेध का क्या असर पर पड़ा यह जानने लायक है। तत्कालीन मनोचिकित्सक इवान वेडेंस्की और डॉक्टर एलेगक्जेंडर मॉडेल्सन ने एक सामाजिक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ यह बताया गया कि "मद्यनिषेध के कारण मनोरोगियों की संख्या घट गई और पागल खाने से भी लगभग समाप्त हो गई" (प्रसाद, 2018)। चंद्रसेन ने अपनी पुस्तक में स्वीडन में मद्यनिषेध हेतु लागू किए गए अनोखे कानून का वर्णन किया है जिसे 'गोथनबर्ग सिस्टम' के नाम से जाना जाता है। स्वीडन निवासी विश्व भर में प्रसिद्ध शराबी थे, 42 लाख गैलन शराब 3 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष पीते थे। शराब बनाने, बेचने और पीने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, खुले आम शराब का सेवन किया जाता था, परिणामस्वरूप देश में हाहाकार मच गया। अंत में "गोथनबर्ग की म्युनिसिपल काउंसिल ने एक बिल पास कर ठोस नियम बनाया जिसके अनुसार शराब पीने वालों का नाम और पता दर्ज कर उन्हें शराब खरीदने का लाइसेंस दिया गया तथा साथ ही शराब खरीदने की मात्रा को भी निर्धारित कर दिया गया। शराब की पुरानी दुकानों के स्थान पर कॉफी-गृह और वाचनालय खोले गए। जिन व्यक्तियों को शराब पीकर नशा होता था उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इन शराब की दुकानों पर स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सस्ते मूल्य पर की गई जिसकी कीमत शराब के एक प्याले से बहुत कम थी। तत्पश्चात धीरे-धीरे शराब पीने वाले व्यक्ति सस्ते मूल्य पर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन से पेट भरने लगे और शराब की बुरी आदतों को त्याग दिया" (चंद्रसेन, 1990)।

भारत में मद्यनिषेध के प्रयास

बीसवीं शताब्दी में भारत में मद्यनिषेध की स्थिति देखें तो यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने मद्यनिषेध की शुरुआत की थी। गाँधीजी ने स्वराज्य की लड़ाई में जिन रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया था उसमें 'मद्यनिषेध' एक महत्त्वपूर्ण अंग था। गाँधीजी जब 1917 में बिहार के चंपारण आए थे और नीलहों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी दौरान गाँधीजी ने चंपारण के मोतिहारी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित बडहरवा लखन सेन आश्रम से नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाया था। यहाँ गाँधीजी ने

गांव में एक बांस का खंभा लगवाया और लोगों से नशीले पदार्थों को उसी पर लटकाने की अपील की एवं नशा छोड़ने का आग्रह भी किया। कई लोगों ने नशीले पदार्थों एवं शराब की बोतलों को वहां पर लटकाया और नशा भी त्याग दिया। गाँधीजी के यहाँ से चले जाने के पश्चात लोगों ने धीरे-धीरे पुन: नशा करना प्रारंभ कर दिया।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सम्मेलन 1 जनवरी 1921 को हुआ जिसमें कांग्रेस के उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई, जिसमें मद्यनिषेध कार्यक्रम को असहयोग आंदोलन का प्रमुख अंग माना गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान शराब की दुकानों एवं भट्टियों का विरोध किया गया तथा लोगों से नशा न करने का आग्रह किया गया। मद्यनिषेध स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। कांग्रेस की नीतिगत घोषणा में मद्यनिषेध का महत्त्वपूर्ण स्थान था, परंतु गाँधीजी की कांग्रेस से जैसी उम्मीदें थी, वैसी प्रतिबद्धता कांग्रेस ने नहीं दिखाई। भारत अधिनियम, 1935 के अंतर्गत भारत में चुनाव हुए, उस चुनाव घोषणा-पत्र में मद्यनिषेध को एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया, तत्पश्चात कांग्रेस ने नौ प्रांतों में विजय हासिल की। जब प्रांतों में स्थानीय सरकार का गठन हुआ, तभी गाँधीजी ने मंत्रिमंडल को चेतावनी देते हुए कहा था कि, "मद्यनिषेध से लाखों व्यक्तियों को नई जिंदगी हासिल होगी, इससे उन्हें ठोस रूप में नया नैतिक और मौलिक बल प्राप्त होगा। आजादी हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाना महंगा नहीं है, लेकिन अगर हम शराब और नशेबाजी के शिकार बने रहें, तो हमारी आजादी, खाली गुलामों की आजादी होगी। तमाम सूबों में पूर्ण मद्यनिषेध करने के लिए कोई भी कीमत क्या बहुत ज्यादा है" (प्रसाद, 2018)।

1947 में स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दिनों से, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक समान मद्यनिषेध नीति अपनाने के लिए तैयार करने की मांग की। मद्रास और बॉम्बे (तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के वर्तमान राज्यों) सहित कई राज्यों ने 1948 से 1950 की अवधि के दौरान मद्यनिषेध की शुरुआत की गई (ग्राण्ट, 1998)। स्वतंत्र भारत के संविधान में गाँधीजी के मद्यनिषेध विचार को शामिल करते हुए नीति-निर्देशक तत्त्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में जगह प्रदान की गई। इसे कार्यान्वित करने तथा इस आदर्श को ठोस रूप देने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 1954 में एक 'मद्यनिषेध जांच कमेटी' नियुक्त की। इस कमेटी की प्रमुख सिफारिश यह थी कि मद्यनिषेध कार्यक्रम को देश की विकास योजना का एक अभिन्न अंग मान लिया जाए। इस सिफारिश को 31 मार्च 1956 में लोकसभा ने स्वीकार कर लिया और उसी आधार पर देश भर में मद्यनिषेध आंदोलन चलाया गया (श्रीवास, 2008)। देशभर में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण मद्यनिषेध का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 से एक राष्ट्रव्यापी 12 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया था जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध, शराब के विज्ञापनों पर रोक, श्रमिक बस्तियों में शराब की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध, वेतन के दिन को मद्यनिषेध का दिन (शुष्क दिवस) घोषित करना आदि सम्मिलित था। मद्यनिषेध के संबंध में राष्ट्रीय नीति स्थिर करने के लिए जनता

पार्टी की सरकार के द्वारा केंद्रीय मद्यनिषेध समिति (1977) गठित की गई। समिति ने चार साल में चरणबद्ध तरीके से मार्च 1983 के अंत तक पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने की सिफारिश की थी। किंतु जनवरी 1980 में केंद्र में इंदिरा गाँधी की नई सरकार ने मद्यनिषेध की नीति को व्यवहारिक रूप में बिल्कुल ही उलट दिया। 1993 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी मद्यनिषेध को प्रोत्साहन देने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया था। उस समय केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया कि मद्यनिषेध से राज्य सरकारों को होने वाली राजस्व क्षति के आधे हिस्से की भरपाई केंद्र सरकार करेगी लेकिन केंद्र सरकार असफल हो गई।

आजादी के लगभग 75 वर्ष हो जाने के बावजूद भी नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद-47 को राज्यों ने लागू नहीं किया है। गाँधीजी ने भारत की आजादी के दौरान जिस प्रकार मद्यनिषेध आंदोलन को चलाया था और आजाद भारत में नशा मुक्त समाज की कल्पना की थी, वह अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। "गाँधीजी ने कहा था कि अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक शराब है" (गाँधी, 2019)। यदि गाँधी की इस युक्ति पर बल दिया जाये तो यह ज्ञात होता है कि हम भारत को अंग्रेजों से तो आजाद करा चुके परंतु हम इस शराब से भारत को अभी तक आजाद नहीं करा पाए हैं।

वर्तमान भारत में मद्यनिषेध के स्थिति

वर्तमान समय में भारत के गुजरात, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं उत्तराखंड (कुछ शहर) तथा लक्ष्यद्वीप में मद्यनिषेध लागू है। इसके साथ ही केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के थानेटा पंचायत में भी मद्यनिषेध लागू है। यहां के लोगों द्वारा मद्यनिषेध की मांग पर जिला कलेक्टर के द्वारा चुनाव कराया गया जिसमें 2307 महिलाओं एवं पुरुषों ने अपना मत दिया जिसके बाद यहां मद्यनिषेध लागू की गई (ईटीवी भारत, 2021)। यहां यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु (1937-71), हरियाणा (1996-98) तथा आंध्र प्रदेश (1995-97) राज्यों में मद्यनिषेध हेतु प्रयास किए जा चुके हैं।

बिहार में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। बिहार में शराब व्यसन के कारण समाज में महिला उत्पीड़न, पारिवारिक हिंसा तथा अपराधीकरण आदि की समस्याएं अत्याधिक रूप से बढ़ गई थी तथा इसके साथ ही जहरीली शराब पीने के कारण मृत्यु दर साल-दर-साल बढ़ती जा रही थी। इन सभी समस्याओं से पीड़ित बिहार की महिलाओं ने मार्च 2013 में सार्वजनिक रूप से शराब का विरोध करना शुरू किया। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर के कोनार गांव में मद्यनिषेध की मांग महिलाओं के द्वारा की गई। उस दिन गांव में पुरुषों के बीच व्याप्त शराब के उपयोग एवं इसके गंभीर परिणामों के विरोध में लगभग 60 महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरी।

उपर्युक्त घटनाओं एवं शराब से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव

से पहले मद्यनिषेध हेतु महिलाओं से वादा किया और मद्यनिषेध दिवस को चिन्हित करने हेतु अधिकारिक घोषणा की। इसके पश्चात बिहार सरकार ने 26 नवंबर 2015 को मद्यनिषेध दिवस के मौके पर जीविका दीदियों के एक कार्यक्रम में बिहार में सभी प्रकार के देसी शराब की बिक्री 1 अप्रैल 2016 से बंद करने की घोषणा की। इसके पश्चात लोगों की मांगों को देखते हुए सरकार ने 5 अप्रैल 2016 से देशी एवं विदेशी शराब की बिक्री को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया। बिहार ने मद्यनिषेध के समर्थन में 21 जनवरी 2017 को 11292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसमें लगभग दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया (आज तक, 2021)। इससे पहले 1977 में भी कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने मद्यनिषेध को लागू किया था लेकिन शराब माफिया और अन्य प्रभावशाली लोगों के दबाव में सरकार को मद्यनिषेध के निर्णय को वापस लेना पड़ा।

वर्तमान समय में यदि बिहार में मद्यनिषेध को देखें तो यह ज्ञात होता है कि बिहार में अवैध रूप से शराब की होम डिलीवरी एवं ग्रामीण स्तर पर देसी/चुलाई गई शराब एवं मद्यनिषेध कानून की वास्तविक रूप में ग्रास रूट पर लागू करने में संलिप्त भ्रष्टाचार के कारण बिहार के लोग वैयक्तिक रूप से मध निषेध कानून को स्वीकार नहीं कर सके हैं। "अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा के बावजूद भी शराब न केवल स्थानीय रूप से निर्मित होती है बल्कि इसकी सभी किस्में भी उपलब्ध होती है। यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो प्रतिबंध के कमजोर बिन्दु के रूप में विकसित हुई है। इस काली अर्थव्यवस्था के लाभार्थी कथित तौर पर मंत्रियों से लेकर स्थानीय स्तर तक हैं" (रंजन, 2022)। यदि हम मद्यनिषेध के सकारात्मक पहलुओं को देखे तो एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि मद्यनिषेध के बाद बिहार में अपराधिक मामलों के अंतर्गत "अपहरण के मामलों में 66.6 प्रतिशत, हत्या के मामलों में तथा डकैती के मामलों में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, 2018)। यद्यपि बिहार में लागू मद्यनिषेध का विस्तृत अध्ययन होना अभी शेष है।

गुजरात भारत का वह राज्य है जहाँ मद्यनिषेध सबसे लंबे समय से लागू है। जब महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात 1960 में पृथक राज्य बना था तभी से ही यहां मद्यनिषेध लागू है। यहां के लोगों को सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से विशेष हेल्थ परमिट के आधार पर ही शराब मुहैया कराई जाती है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 1997 से 2015 तक पूर्ण मद्यनिषेध लागू था। तत्पश्चात ललथनहवला के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शराब की बढ़ती तस्करी, मिलावटी शराब की बिक्री और राजस्व नुकसान का हवाला देते हुए 2015 में मद्यनिषेध खत्म कर दिया था। परंतु तीन साल बाद नवंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में मद्यनिषेध सबसे बड़ा मुद्दा बना और 2019 में मिजो नेशनल फ्रंट ने सत्ता में आने के बाद फिर से मद्यनिषेध को लागू किया जो वर्तमान में भी लागू है। मणिपुर में भी शराब निषेध अधिनियम, 1991 लागू है। शराब और मादक पदार्थ के इस्तेमाल पर रोक लगाने की लोगों की मांग पर राजकुमार रणवीर सिंह सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1991 से मद्यनिषेध लागू किया गया। नागालैंड में शराब निषेध

अधिनियम, 1989 लागू है। राज्य में शराब की बिक्री एवं खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिसंबर 2016 में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में वित्त वर्ष 2017 से मद्यनिषेध लागू करने का आदेश दिया था। इसके पश्चात अगस्त 2019 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि अधिनियम में मद्यनिषेध को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है लेकिन सरकार लगातार शराब की दुकानों को बढ़ाते ही जा रही है, इस आलोक में न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से शराब बंदी को लागू करे। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को सरकार द्वारा अभी तक लागु नहीं किया जा सका है। लक्ष्यद्वीप भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां शराब बंदी लागू है। यहां 1979 से ही शराब बंदी को लागू किया गया है। यहां शराब की बिक्री एवं खपत पर पूर्णत: प्रतिबंध है।

उपर्युक्त राज्यों में मद्यनिषेध का सामान्य रूप से अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध कानून लागू तो कर दिया गया है किंतु यह प्रभावी रूप से सफल नहीं हो सका है। समाचार पत्रों में आए दिन इस कानून के उल्लंघन के मामले स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहे हैं। शराब व्यसनी अधिक रुपया खर्च कर होम डिलीवरी के माध्यम से शराब प्राप्त करते हैं और नशा करते हैं। इससे शराबी व्यक्ति की सुविधाएं और अधिक बढ़ गई है। राज्य में शराब के गोरख धंधे तेजी से फल-फूल हो रहे हैं। विदेशी शराब से अधिक देसी शराब/ चुलाई गई शराब की बिक्री एवं उत्पादन अत्यधिक रूप से बढ़ा है। यह गैरकानूनी होने के साथ-साथ जहरीली भी है। मद्यनिषेध के सकारात्मक प्रभाव कुछ सीमा तक जरूर दिखाई दे रहे हैं। व्यसनी शराब पीकर गाली-गलौज, झगड़ा, अपराध आदि करते थे, उस संख्या में कुछ कमी आई है। किन्तु वास्तव में ऐसा हुआ है इसका वैज्ञानिक अध्ययन अभी शेष है।

मद्यनिषेध का राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य रूप से अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि राज्य एक ओर जहां शराब को आय का सबसे बड़ा साधन मानते हैं वहीं दूसरी ओर इस आय से राष्ट्र का विकास करने की बात करते हैं, परंतु राज्य अपने नागरिकों को उसके विकास में शराब की दुकानों को खोलकर अवरोधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में गाँधीजी ने 21 सितंबर 1947 को 'हरिजन' में लिखा था कि "अन्य सार्वजनिक सेवाओं एवं देश के बच्चों की शिक्षा पर नशीली मादक चीजों की बिक्री से प्राप्त आय को खर्च करना एक अपराध है। जाने-अनजाने सरकार यह अपराध करती है। इसलिए सरकार को राष्ट्र-निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे राजस्व के प्रलोभन से ऊपर उठना चाहिए। अगर सरकार शराब से प्राप्त आय को छोड़ देती है तो वह आसानी से राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए अन्य स्रोतों को को खोज लेगी। आप विश्वास करें कि इससे जो सरकारी आय की हानि होगी, उसका समाज पर नगण्य प्रभाव होगा" (हरिजन, 1947)।

गाँधीजी भारत को शराब रूपी जहर से बचाना चाहते थे, इसके लिए मद्यनिषेध ही एक कारगर उपाय हो सकता था। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा? किन्तु जब मानव को नैतिक रूप से स्वतंत्रत करना हो और एक ऐसे जीवन की ओर प्रवृत्त करना हो जिससे उसे आत्मिक शांति प्राप्त हो तो मद्यनिषेध उचित ही प्रतीत होती है। गाँधी एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसमें मानव को सच्चा स्वराज प्राप्त हो और ऐसा स्वराज नशे से मुक्त समाज में ही हो सकता है। उनके द्वारा कल्पित समाज की संरचना में किसी भी तरह के व्यसन का कोई स्थान नहीं है और चूंकि शराब सबसे अधिक सामान्य मादक द्रव्य है इस पर प्रतिबंध लगाना ही उचित होगा। इससे न केवल स्वयं व्यक्ति का ही नैतिक विकास होगा वरन् उसका परिवार एवं पारिवारिक जीवन भी संपन्न होगा। गाँधीजी का मानना था कि शराब को प्रतिबंधित करने में महिलाओं का योगदान अहम हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि महिलाओं के पास स्वभाविक रूप से बेहतर शक्ति है। गाँधी साक्षर एवं निरक्षर दोनों महिलाओं को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहते हैं। गाँधीजी ने यह देखा था कि महिलाओं द्वारा आंदोलन को सफल बनाने और शराब की आदत को छोड़ने के लिए सफलतापूर्वक अपील की गई थी और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए थे। ज्ञातव्य है कि बिहार में मद्यनिषेध में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मद्यनिषेध के जो प्रयास किए गए हैं उनसे प्राप्त अनुभवों को देखने पर ज्ञात होता है इसके अनेक सकारात्मक परिणाम मिले हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे परिणाम भी है जो इसके नकारात्मकता को दिखाते हैं। दोनों तरह के परिणामों पर दृष्टिपात करने के बाद यह विश्लेषण किया जा सकता है की भारत में मद्यनिषेध कितनी आवश्यक है।

यदि इसके सकारात्मक परिणामों की बात करें तो एक उदाहरण के रूप में अभी हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख का जिक्र किया जा सकता है। इस लेख में बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका में मेडिकल रिसर्च काउंसिल के अल्कोहल अनुसंधान निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रॉमा यूनिट में प्रतिबंध के एक सप्ताह में प्रवेशित 500 उच्च ताप वाले व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति 1 दिन में ठीक हुए मिले जो शराब से संबंधित वाले ट्रॉमा में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे (द वाशिंगटन पोस्ट, 2020)। अन्य सकारात्मक परिणामों की बात करें तो, मादक द्रव्य व्यसन के कारण व्यसनी व्यक्ति के सोचने-समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगता है तथा उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति हृदय रोग, अल्सर, कैंसर, यकृत-विकृति, गुर्दों की कार्यशीलता में कमी आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और व्यक्ति का वैयक्तिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वस्तुत: मद्यनिषेध से शराब व्यसनी व्यक्ति इन सभी दुर्गुणों से मुक्त हो सकता है एवं उसका वैयक्तिक विकास संभव हो सकता है। व्यसनी व्यक्ति के कारण उसके समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामान्यत: शराब व्यसन के पश्चात व्यक्ति झगड़ा, गाली-गलौज आदि करता है, जिसके कारण सामाजिक वातावरण दूषित, प्रभावित एवं अशांत हो जाता है। समाज में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व पर

भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह समाज के विकास में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। सामाजिक विकास इसलिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्वस्थ्य व्यक्ति/समाज से ही स्वस्थ्य राज्य/राष्ट्र का निर्माण संभव है। व्यक्ति जब शराब का आदि हो जाता है तो उस पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और वह आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। सामान्यत: यह देखा जाता है कि यदि व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं तो वह कर्ज लेकर शराब का व्यसन करता है। ऐसे व्यक्ति यदि थोड़ा बहुत आय अर्जित भी करते हैं तो वह उसे शराब में ही नष्ट कर देते हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। मद्यनिषेध के संबंध में हरियाणा के मद्यनिषेध मंत्री प्रो. गणेशी लाल ने कहा था "मद्यनिषेध गरीबी की मौत और समृद्धि की जननी है" (प्रसाद, 2018)। इस प्रकार मद्यनिषेध व्यसनी व्यक्ति के आर्थिक बोझ को कम करते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

समान्यत: यह देखा जाता है कि व्यसनी व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाता है जिसके कारण पारिवारिक हिंसा होती है। व्यक्ति शराब पीने के पश्चात अपने माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी तथा बच्चों आदि के साथ झगड़ा, मारपीट, गाली-गलौज आदि करता है जिसके कारण परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। विशेष रूप से महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा मामले निरंतर देखे जाते हैं। मद्यनिषेध इस तरह की पारिवारिक हिंसा और अशांति से निजात दिलाने में सहायता प्रदान कर सकती है, साथ ही महिला को भी उचित सम्मान प्राप्त हो सकता है। शराब शिष्टाचार, संयम, विवेक, मर्यादा, अनुशासन जैसे मानवीय गुणों को नष्ट कर अराजकता उत्पन्न करती है। कई बार चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म आदि जैसी आपराधिक घटनाएं व्यक्ति शराब व्यसन करने के पश्चात ही अत्यधिक रूप से करते हैं। यदि मद्यनिषेध को सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाता है तो आपराधिक घटना में कमी देखी जा सकती है। पंचायत चुनाव/विधानसभा चुनाव/आम चुनाव में आमतौर पर यह देखा जाता है कि चुनाव में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार मतदाताओं के बीच शराब वितरित करते हैं और व्यक्ति का मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। मद्यनिषेध लागू होने से मतदान में वास्तविक प्रतिनिधित्व का चयन किया जा सकता है। मद्यनिषेध का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव हो सकता है इससे न केवल व्यक्ति वरन् उसका परिवार एवं समाज भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, तथापि इसके कुछ नकरात्मक परिणाम भी दृष्टिगोचर होते हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में मद्यनिषेध लागू था किन्तु एक अध्ययन में यह पाया गया कि जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, आसाम, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा केरल में गैर कानूनी रूप से शराब की होम डिलीवरी एवं तस्करी की जा रही थी (घोष एवं अन्य, 2020)। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि मद्यनिषेध लागू होने से शराब का अवैध निर्माण तथा बिक्री की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देसी या चुलाई गई शराब के उत्पादन एवं बिक्री अत्यधिक रुप से की जा सकती है। सरकार को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। शराब व्यसनी को शराब नहीं

मिलने के कारण मानसिक पीड़ा हो सकती है। शराब व्यवसाय में शामिल व्यवसायियों के लिए बेरोजगारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय तस्करी तथा कालाबाजारी की संभावना हो सकती है। ये परिणाम निरंतर उन राज्यों में दिखाई देते हैं जहाँ पर मद्यनिषेध को लागू किया गया है तथापि सार्वजनिक हित में इन परिणामों को नियंत्रित किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि शराब पर प्रतिबन्ध होने के लाभ अधिक हैं और हानि कम, ऐसी स्थिति में भारत में शराब पर क्रमिक रूप से प्रतिबन्ध लगाना उचित रहेगा। किन्तु नीति-निर्माताओं के समक्ष इस मार्ग में अनेक चुनौतियाँ हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद-47 में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में मद्यनिषेध को शामिल तो किया गया है, परंतु इसे लागू करने हेतु राज्यों को आवश्यक रूप से बाध्य नहीं किया गया है। यह राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, यदि कोई राज्य इस कानून को लागू करता भी है तो पड़ोसी राज्यों में शराब की उपलब्धता के कारण मद्यनिषेध वाले राज्यों में शराब की कालाबाजारी शुरू हो जाती है जिससे मद्यनिषेध की सफलता में बाधा उत्पन्न होने लगती है। मद्यनिषेध लागू होने के बाद प्रशासन कानून को शक्ति पूर्वक लागू कराने में अपनी उदासीनता दिखाता है जिससे शराब का अवैध रूप से निर्माण, बिक्री एवं उपयोग किया जाने लगता है और इस कार्य में संलिप्त व्यक्ति निर्बाध रूप से अपने कार्य को अंजाम देते है। शराब राज्य सरकार की आय का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है। आबकारी विभाग से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है इसलिए सरकार का यह मानना है कि यदि राज्य में मद्यनिषेध को लागू कर दिया जाता है तो इस राजस्व की क्षति को अन्य स्रोतों से पूर्ति करना आसान कार्य नहीं है। इस कारण सरकार मद्यनिषेध को अनिवार्यत: लागू नहीं कर पाती, इसके विपरीत शराब की बिक्री के लिए प्रोत्साहन ही करती है। इस संदर्भ में हरियाणा के स्वामी ओमानंद ने ठीक ही कहा है कि "जनता शराब पीना नहीं चाहती, सरकार जबरन शराब पिलाना चाहती है।"

मद्यनिषेध हेतु समाज में जागरूकता का अभाव प्रतिबिंबित होता है। शराब के दुष्परिणामों से परिचित होने के बावजूद भी लोग इसके विरूद्ध अपनी आवाज नहीं उठाते। मद्यनिषेध कानूनों को लागू कराने में समाज प्रशासन का सहयोग नहीं कर पाता। इसके लिए समाज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इसके विरोध में अपने समाज के लोगों में जन-जागरूकता फैलानी चाहिए। जब किसी राज्य में मद्यनिषेध को लागू किया जाता है तो शराब का अवैध निर्माण एवं होम डिलीवरी बिक्री अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। इसका महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि इस कार्य में संलिप्त व्यक्ति को अत्यधिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, उन्हें किसी अन्य व्यवसाय में कम निवेश पर अत्यधिक लाभ नहीं मिल पाता है जिससे इस व्यवसाय में व्यक्ति प्रशासनिक एवं कानूनी जोखिमों को उठाते हुए भी इस कार्य को आसानी पूरा कर लेता है। इस कारण से मद्यनिषेध के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। सरकारी तंत्र स्वयं मद्यनिषेध के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। राजनेता, अधिकारी, बड़े व्यवसायी, सरकारी ठेकेदार तथा पुलिसकर्मी आदि स्वयं मद्यपान के पोषक एवं पक्षधर है।

इसके साथ ही यदि किसी राज्य में राज्य सरकार द्वारा लोगों की मांग पर या इसे आवश्यक बुराई मानते हुए मद्यनिषेध लागू करती भी है तो प्रशासन तंत्र स्वयं अपनी निजी एवं आर्थिक लाभ के लिए शराब के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों की मदद करता है और साथ ही उनके कार्यों के लिए प्रश्रय भी देता है।

जैसा की दृष्टिगत है मद्यनिषेध के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है। इसे सफलतापूर्वक लागु करने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। यह कानून समस्त राज्यों के लिए दिशा-निर्देश का कार्य करेगा, इसके आलोक में राज्य अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप राज्य कानूनों का निर्माण कर सकेंगे। एक मद्यनिषेध दस्ते का अलग से गठन किया जाए जो समय-समय पर स्थानीय क्षेत्रों में दौरा करे तथा मद्यनिषेध में आ रही सामाजिक समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराये। इससे मद्यनिषेध में आ रही कठिनाइयों का हल खोजा जा सकता है। शराब से होने वाले नुकसान का आम जन के बीच प्रचार-प्रसार उचित माध्यम से किया जाए। इस हेतु नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे लोगों में मद्यनिषेध के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक मद्यनिषेध को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकेगा। शराब की दुकानों के स्थान पर नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे आदतन शराब पीने वाले व्यक्ति को इसे छोड़ने के पश्चात होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके तथा समुचित सहायता प्रदान की जा सके। मद्यनिषेध कानून का समय-समय पर अवलोकन किया जाना चाहिए। जिससे मद्यनिषेध कानून को सफलतापूर्वक लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके तथा कानून में समुचित संशोधन किए जा सके। शराब पर प्रतिबंध लगाने से पहले राज्य सरकारों द्वारा इससे होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई हेतु राजस्व के अन्य स्रोतों की खोज कर ली जानी चाहिए, इससे कानून को अधिक प्रभावी रूप में लागू किया जा सकेगा। इस हेतु जिन राज्यों में यह कानून वर्तमान में लागू है वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन वस्तुपरक रूप से किया जाए और राजस्व स्रोतों की खोज की जाए।

निष्कर्ष

वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में विश्व के प्रत्येक देश और देश का प्रत्येक प्रदेश/राज्य अपने आप को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। परंतु शराब के उत्पादन एवं बिक्री सामाजिक कल्याण की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। राज्य एक ओर समाज कल्याण की बात करता है और वहीं दूसरी ओर अत्यधिक राजस्व प्राप्ति की दलीलें देकर शराब की बिक्री कर समाज को गर्त में डुबोता है। ऐसे में राज्य को कल्याणकारी राज्य की संज्ञा देना विडंबना ही कहा जा सकता है। गाँधीजी ने भारत में जिस नशामुक्त समाज की कल्पना की थी, वह अभी तक साकार नहीं हो सका है। मद्यनिषेध को संविधान में केवल जगह मात्र प्रदान की गई है, इसे प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया है। कई राज्य सरकारों के द्वारा मद्यनिषेध को

लागू तो किया गया है, किंतु इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। राज्यों को यह लगता है कि आबकारी विभाग उनके आय का सबसे बड़ा स्रोत है, परंतु यदि ऐसा हो कि एकाएक सभी शराबी व्यसन करना छोड़ दे तो वे क्या करेंगे? निश्चित ही वे एक नए आय के विकल्प को चुनेंगे। गाँधीजी ने कहा था कि जिस राष्ट्र में व्यक्ति शराब की आदत के शिकार हैं, उसके सामने विनाश खड़ा है। इस बुराई के कारण कई साम्राज्यों का पतन हो चुका है। इस युक्ति से सीख लेते हुए राज्यों को अपना आवश्यक कर्तव्य मानते हुए राज्य/राष्ट्र सेवा के प्रति संविधान में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व में शामिल 'मद्यनिषेध' को सख्ती पूर्वक लागू किया जाना चाहिए।

यदि हम वर्तमान में मद्यनिषेध को देखें तो ज्ञात होता है कि सभी राज्यों में व्यापक रूप से सामाजिक-आर्थिक विभिन्नताओं तथा भारतीय राजनीति की केंद्रीयकृत प्रणाली के कारण भारत में मद्यनिषेध कानून का क्रियान्वयन अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। साथ ही सरकार भी मद्यनिषेध को लागू करने में सरकारी राजस्व नुकसान का दिखावा करती है। राज्य का काम होता है नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना साथ ही उनके वैयक्तिक विकास का कार्य करना न कि अपने आर्थिक लाभ हेतु लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना। यदि हम सरकार की आर्थिक लाभ की ही बात करें तो सरकार महंगे कपड़े, मोबाइल, टेलीविजन, कार, बाइक एवं शौक सुविधाओं वाली चीजों एवं फास्ट फूड पर अतिरिक्त कर लगाकर राजस्व कमी की पूर्ति कर सकती है। गाँधीजी ने कहा था कि "हमें निम्नतम आवश्यकताओं में अधिकतम सुख को प्राप्त करना चाहिए।" हम गाँधी के पुण्यतिथि/जन्म दिवस के अवसर पर ही मदिरापान का सेवन न करने का संकल्प लेते हैं न कि अपने जीवन से इसे दूर करने का संकल्प। हमें शराब की बुराइयों को देखते हुए अपने आप में जागरूक होकर मद्यनिषेध के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। यदि मद्यनिषेध को पूरे भारत में सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो भारत को 'गाँधी के सपनों जैसा भारत' बनाने में योगदान साबित होगा और स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत का निर्माण हो सकेगा।

संदर्भ

आज तक (2021), विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए नीतीश की अगुआई में बिहार ने बनाई मानव श्रृंखला : Retrieved 12.15.2021 from : https://www.aajtak.in/india/bihar/story/human-chain-formed-in-bihar-to-spread-awareness-on-addiction-433200-2017-01-21

ब्रांड, डी.ए., सैसाना, एम., रिन, एल.ए., पेनोनी, एफ. एवं लॉनफेल्स, ए.बी. (2007, अप्रैल 24), कम्पेरेटिव एनेलिसिस ऑफ अल्कोहल कन्ट्रोल पॉलिसीज़ इन 30 सेंचुरीज़, *पीएलओएस मेडिसीन,* 36. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040151

चंद्रसेन. (1990). *मद्यनिषेध: नशे का व्यसन.* दिल्ली: शारदा प्रकाशन.

डेवर, ई.जे. एवं क्लोनिंजर, सी.आर. (1989), जेनेटिक्स ऑफ अल्कोहोलिज्म. *एन्यूअल रिव्यू ऑफ जेनेटिक्स,* 23, 19-36. Retrieved 12. 15. 2021, from https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ge.23.120189.000315

देवी, मनीषा.(2011). युवाओं में मादक द्रव्य व्यसन एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. वाराणसी: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ (पीएच. डी शोध प्रबंध).

ईटीवी भारत (2021.04.11). बिहार के बाद राजस्थान के थानेटा में मद्यनिषेध, लोगों की मांग पर कलेक्टर ने लिया अहम फैसला : Retrieved from : https://www.etvbharat.com/hindi/bihar/state/patna/villagers-voted-and-get-liquor-ban-implemented-in-thaneta-village-of-rajasmand/bh20210411095329289

गाँधी, एम.के. (2019). *मेरे सपनों का भारत.* नई दिल्ली: राजपाल एंड संस.

घोष, ए. एवं अन्य (2020, नवम्बर), एक्सटेंडेड लॉकडाउन एंड इंडियाज़ अल्कोहल पॉलिसी : अ क्वालिटेटिव एनेलिसिस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ड्रग पॉलिसी,* 85, 5-6. doi:https://doi.org/10.1016/ j.drugpo.2020.102940

ग्रांट, एम. (1998). अल्कोहल एंड इमर्जिंग मार्केट्स : पेटर्न्स, प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सेस. यूएसए : ब्रूनर/माज़ेल (इंटरनेशनल सेन्टर फॉर अल्कोहल पॉलिसीज़)

हरिजन. (1934, 02 18).

हरिजन. (1947, 09 21)

लॉस ऐन्जेलिस टाइम्स. (1970, 03-05)

प्रसाद, धनेश्वर. (2018). *मद्यनिषेध एक फौलादी फैसला.* दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.

प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (2021, 06 26). सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय. Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1730645

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (2018.06.18). https://www.firstpost.com/india/alcohol-ban-bihar-buying-better-clothes-eating-better-and-nutritious-food-finds-state-commissioned-study-4529541.html

रंजन, आर. एवं सिंह, ए.के. (मार्च, 2022). फार्स, फेलेसिज़ एंड फेल्यूअर : मेपिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ लिकर बेन इन बिहार. *इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली.* अंक 57(12).

सागर, आनंद. (1941). सप्त व्यसन परिहार. कोटा: आनंद सागर भंडार प्रकाशन. 12. 20, 2021, Retrieved from https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.444933/page/n1/mode/2up

श्रीवास, धर्मेन्द्र कुमार. (2008). युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन. झाँसी: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय. (पीएच. डी. शोध प्रबंध).

द वाशिंगटन पोस्ट. (2020, 05 09). साउथ अफ्रीकाज़ अल्कोहल बेन ड्यूरिंग लॉकडाउन रिवील्स इट्स डेडली ड्रिंकिंग हेबिट्स. Retrieved 12 15, 2021, https://www.washingtonpost.com/world/africa/south-africa-coronavirus-lockdown-alcohol-ban/2020/05/09/a2b964a2-8eef-11ea-9322-a29e75effc93_story.html

तिवारी, संतोष. (2007). युवाओं में मादक द्रव्य व्यसन का उनके परिवार पर प्रभाव एक सामाजिक अध्ययन. वाराणसी: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ. (पीएच. डी शोध प्रबंध).

विश्व स्वास्थ्य संगठन (2018). ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एंड हेल्थ. विश्व स्वास्थ्य संगठन. Retrieved 12 15, 2021, from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

यंग इंडिया, 3-3-'27.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 90-96)

पूर्व माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

संजीव कुमार शुक्ला*

शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता सिखाना है। देखने में आता है कि सामान्य विद्यार्थियों का समायोजन भी बदलती हुई परिस्थितियों में प्रभावित होता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को भी अपना समायोजन स्थापित करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे वह कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। चूँकि समायोजन शिक्षा पर आधारित होता है, और शिक्षा रुचि से प्रभावित होती है। इसलिए शोधार्थी ने सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन के अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया। प्रस्तुत शोध आलेख अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के माध्यम से इनकी शैक्षिक रुचि और समायोजन सम्बधी समस्याओं को जानकर उनका उचित निर्देशन कर सकता है। इससे इनकी उपलब्धि में वृद्धि होगी तथा इनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को जानकर इन्हें उभारा जा सकेगा, जो समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकार इन विद्यार्थियों में निहित क्षमताओं का उचित विकास करके, इन्हें समाज के तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।

*सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, श्री गाँधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर (उ.प्र.)
E-mail: sanjeevshukla35@gmail.com

प्रस्तावना

शिक्षा प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी हमारे मन मस्तिष्क में शिक्षा रूपी दिव्यपुंज प्रज्वलित हो सकता है। यहाँ पर स्वस्थ शरीर से हमारा तात्पर्य है कि हमारे शरीर की सभी ज्ञानेंद्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ उचित रूप से कार्यरत हों जिसमें सभी शक्तियाँ उसके विकास के लिए वातावरण में समायोजन के लिए विद्यमान हैं। यथा बोलने के लिए वाणी, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख तथा सोचने के लिए दिमाग और कार्य करने के लिए हाथ-पैर आदि। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कुछ व्यक्तियों में ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के संचालन का अभाव होता है, इसी अभाव के कारण व्यक्ति को दिव्यांग की संज्ञा दी जाती है।

दिव्यांग बालकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या समायोजन की होती है। चूँकि ये विद्यार्थी देखने, बोलने, सुनने तथा हाथ-पैर द्वारा करने वाली अन्य क्रियाओं को करने में अक्षम होते हैं, इसलिए ये अपने विचारों, भावनाओं, संवेगों आदि का आदान-प्रदान नहीं कर पाते। ये बालक सामान्य बालकों के साथ खेलना, बोलना, पढ़ना-लिखना तो चाहते हैं, परन्तु उनका सहयोग ना मिल पाने के कारण ये अपनी इच्छाओं का दमन करने लगते हैं जिससे इनमें तनाव तथा कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है। घर-परिवार एवं समाज के लोग भी इनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं करते, इसके कारण इनके कुसमायोजन का स्तर बढ़ जाता है। जो इनकी शैक्षिक रुचि को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समायोजन अति आवश्यक है। इस शोध का उद्देश्य सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना है, अत: हमें देखना है कि इन विद्यार्थियों के समायोजन के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता है अथवा नहीं।

शैक्षिक रुचि तथा समायोजन पर पूर्व में भी शोध अध्ययन किये जा चुके हैं। त्रिपाठी (2009) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि उनकी उपलब्धि को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। ग्रीनवर्ज़ और गिलबर्ट (2014) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में लैटिन तथा अंग्रेजी माध्यम का प्रभाव, शैक्षिक रुचि पर जानने का प्रयास किया। इन्होंने पाया कि लैटिन तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि सामान्य रूप से संबंधित है।

इसके साथ ही सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि तथा समायोजन से संबंधित देश में भी अध्ययन किए जा चुके हैं जिनमें श्रीवास्तव (2007) ने अपने अध्ययन में पाया कि उच्च बुद्धि की छात्राओं की शैक्षिक रुचि निम्न बुद्धि की छात्राओं की संस्कृति की अपेक्षा उत्तम है। श्रीवास्तव (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से कम पाई गयी। सैनी (2005) ने अपने अध्ययन में पाया कि विकलांग एवं सामान्य विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं योग्यता परस्पर मध्यम रूप से संबंधित होती है।

उपरोक्त शोध अध्धयनों से यह स्पष्ट होता है कि अभी तक सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि तथा समायोजन पर शोध अध्ययन हुए हैं परंतु पूर्व माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन पर अध्ययन कार्य नहीं किया गया। इन विचारों ने शोधार्थी को सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन पर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। प्रस्तुत शोध इस दिशा में किया गया एक प्रयास है।

अध्ययन के उद्देश्य

उक्त शोध पत्र के अध्ययप के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक रुचि का तुलनात्मक अध्ययन करना। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के संवेगात्मक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

उक्त अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नानुसार हैं -

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक रुचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिसीमांकन

प्रस्तुत अध्ययन सीतापुर जनपद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक ही सीमित रखा गया है। प्रस्तुत अध्ययन में 12 से 18 आयु वर्ष के मध्य के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को सम्मिलितकिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में दिव्यांग विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित, अस्थि दिव्यांग एवं मानसिक न्यूनता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में समायोजन के अग्रलिखित तीन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है - क. सामाजिक समायोजन, ख. संवेगात्मक समायोजन, एवं ग. शैक्षिक समायोजन।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पूर्व माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अत: इस उद्देश्य की

प्राप्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग गया है। शोधार्थी ने जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव किया, और वहाँ के सीतापुर जनपद को लिया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा सम्भाव्य न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में पूर्व माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों का चुनाव इस प्रकार किया गया है -

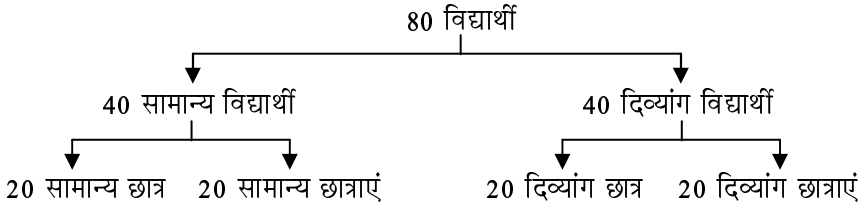

इस शोध अध्ययन में सिन्हा तथा सिंह द्वारा निर्मित स्कूली छात्रों के लिए समायोजन सूची को लिया गया है। इस प्रश्नावली में तीन क्षेत्रों (संवेगात्मक, सामाजिक एवं शैक्षिक) में विद्यार्थियों के समायोजन का मापन किया गया है तथा कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित शैक्षिक रुचि मापन प्रपत्र का प्रयोग किया गया है। कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित शैक्षिक रुचि मापन प्रपत्र में कुल 42 प्रश्न हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं।

शोधार्थी ने शोध प्रदत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि, टी-परीक्षण, स्वतन्त्रता का अंश प्रयोग किया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक रुचि का तुलनात्मक अध्ययन

विद्यार्थियों का समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	SE_D	't'
सामान्य छात्र	20	7.25	4.89	1.4	0.71
दिव्यांग छात्र	20	6.25	4.25		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सांख्यकीय प्रविधियों की गणना के पश्चात क्रान्तिक अनुपात 0.71 प्राप्त हुआ जो कि सारणी मान से कम है। अत: प्रथम परिकल्पना 'सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक रुचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है' को स्वीकृत किया जाता है।

तालिका-2

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

विद्यार्थियों का समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	SE_D	't'
सामान्य छात्र	20	23.5	7.35	1.16	2.98
दिव्यांग छात्र	20	23.0	6.24		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सांख्यकीय प्रविधियों की गणना के पश्चात क्रान्तिक अनुपात 2.98 प्राप्त हुआ जो कि सारणी मान से अधिक है। अत: द्वितीय परिकल्पना 'सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका-3

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

विद्यार्थियों का समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	SED	't'	सार्थकता स्तर
सामान्य छात्र	20	6.25	4.07	1.22	3.1	0.1 स्तर पर सार्थक है
दिव्यांग छात्र	20	9.00	4.38			

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सांख्यकीय प्रविधियों की गणना के पश्चात क्रान्तिक अनुपात 1.22 प्राप्त हुआ जो कि सारणी मान से अधिक है। अत: तृतीय परिकल्पना 'सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका-4

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के संवेगात्मक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

विद्यार्थियों का समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	SED	't'	सार्थकता स्तर
सामान्य छात्र	20	7.5	3.8	1.02	2.91	0.1 स्तर पर सार्थक है
दिव्यांग छात्र	20	9.5	4.6			

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सांख्यकीय प्रविधियों की गणना के पश्चात क्रान्तिक अनुपात 2.91 प्राप्त हुआ जो कि सारणी मान से अधिक है। अत: चतुर्थ परिकल्पना 'सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है' को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका-5

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

विद्यार्थियों का समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	SED	't'	सार्थकता स्तर
सामान्य छात्र	20	6.00	4.06	1.4	0.9	0.1 स्तर पर सार्थक है
दिव्यांग छात्र	20	7.75	4.87			

तालिका 5 से स्पष्ट है कि सांख्यकीय प्रविधियों की गणना के पश्चात क्रान्तिक अनुपात 0.9 प्राप्त हुआ जो कि सारणी मान से कम है। अत: पाँचवी परिकल्पना 'सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है' को स्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष

परिकल्पना - 1 सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

परिकल्पना - 2 सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के समायोजन में सार्थक अन्तर पाया गया।

परिकल्पना - 3 सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर पाया गया।

परिकल्पना - 4 सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के संवेगात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर पाया गया।

परिकल्पना - 5 सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से मुख्यत: यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि सामान्य छात्रों की अपेक्षा दिव्यांग छात्रों का समायोजन निम्न स्तर का है। चूँकि दिव्यांग छात्र, सामान्य छात्रों की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक अथवा किसी अन्य रूप से अक्षम (दुर्बल) होते हैं, इसलिए इनमें हीन भावना का होना स्वाभाविक है अत: ये कुसमयोजित हो जाते हैं।

प्राय: देखने में आता है कि दिव्यांग छात्रों को समाज के व्यक्तियों द्वारा या तो अपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है या फिर सहानुभूति की दृष्टि से, जिससे उनका सामाजिक समायोजन प्रभावित हो जाता है। कुसमायोजन तथा हीन भावना के कारण दिव्यांग छात्रों का संवेगात्मक समायोजन भी प्रभावित हो जाता है, अत: वे या तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हो जाते हैं या आक्रामक। दिव्यांग छात्रों के कुसमायोजित होने के मुख्यत: तीन कारण होते हैं - पारिवारिक, सामाजिक एवं विद्यालयीन।

निष्कर्षों की उपादेयता (शैक्षिक निहितार्थ)

प्राप्त परिणाम उन अध्यापकों, शिक्षाशास्त्रियों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों, निर्देशनकर्ताओं, परामर्शदाताओं, सलाहकारों तथा अभिभावकों के लिए उपयोगी होंगे जो विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करते हैं।

शोध अध्ययन सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों पर आधारित है इसलिए इससे प्राप्त निष्कर्षों की उपादेयता का महत्व और भी बढ़ जाता है। दिव्यांग छात्रों में व्याप्त हीन भावना

एवं कुसमायोजन को दूर करना अति आवश्यक है जिससे लिए समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिए -

परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे दिव्यांग बालकों के साथ न तो उपेक्षित व्यवहार करें और न ही दयापूर्ण। बल्कि इनके साथ भी सामान्य छात्रों की भांति ही सामान्य तरह का व्यवहार करना चाहिए।

अध्यापकों को चाहिए कि विद्यालय में सामान्य तथा दिव्यांग छात्रों के साथ समान व्यवहार करते हुए अनुकूल वातावरण निर्मित करना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने विद्वतापूर्ण चिन्तनयुक्त ज्ञान से छात्रों के समायोजन में उनकी सहायता करें। विद्यालय प्रशासन, प्रधानाचार्यो, अध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों को अपना यह कर्तव्य मनना चाहिए कि दिव्यांग छात्रों को आवश्यकतानुसार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इनकी समस्या का उचित समाधान, मनोवैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए।

विभिन्न सामाजिक तथा स्वयंसेवक संस्थाओं द्वारा दिव्यांग छात्रों के सुसमायोजन के लिये प्रयास करने चाहिए। इसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षण संस्थानों, रोजगार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। विभिन्न रचनात्मक कार्यों में इन्हें अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ

ग्रीनवर्ज़ और गिलबर्ट (2014), 'द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स एण्ड बिहेवियर, *जर्नल ऑफ वोकेशनल एण्ड एजुकेशनल गाइडेंस,* अंक 27, पृ. 168।

सैनी, आर.पी. (2005), *सामान्य एवं विकलांग किशोर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक रुचि, उपलब्धि, समायोजन एवं उनकी व्यावसायिक चिंता का तुलनात्मक अध्ययन,* पीएच.डी. शोध प्रबंध, शिक्षा संकाय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

श्रीवास्तव, सपना (2007), *शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन,* लघु शोधप्रबंध, सम्बद्ध महाविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

त्रिपाठी, एम.एल. (2009), 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन', *जर्नल ऑफ इण्डियन साइकोलॉजिकल एब्सट्रेक्ट,* अंक 25, पृ. 372।

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 97-103)

शिक्षा में नवाचार, शिक्षक तथा शिक्षक-शिक्षा का दृष्टिकोण और मिश्रित अधिगम : अवसर एवं चुनौतियाँ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में'

शालू तिवारी*

आज के आधुनिक समाज में अतिशय भौतिकता, वैज्ञानिकता, प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास, मशीनीकरण, हरित क्रांति, यातायात, जनसंख्या वृद्धि,जनसंचार सुविधा आदि के कारण जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आधुनिक सभ्यता,संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की ही देन है क्योंकि शिक्षा और समाज का उत्कृष्ट संबंध है। सामाजिक परिवर्तन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन होने से शिक्षा में नई चेतना और स्फूर्ति आती है। इन्हीं परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानती है कि शिक्षकों को उच्चतम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उनके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी की बढ़ती आवश्यकता को

*पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्), महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी (बिहार). **E-mail: dr.shalutiwari@gmail.com***

देखते हुए मिश्रित अधिगम शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम होगा। इसके प्रयोग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सृजनात्मक कल्पना, समीक्षात्मक चिंतन की भावना आदि विकसित होगी, जिससे मनुष्यता को निर्मित करने वाले कौशलों का विकास होगा तथा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बीज शब्द - प्रौद्योगिकी, शिक्षक, कौशल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

प्रस्तावना

परिवर्तन से सृष्टि में नवीनता आती है। उदाहरणस्वरूप हम देखते हैं कि पेड़ों पर पहले मृदु कोपलें निकलती हैं, जो बाद में हरे पत्तों का रूप धारण करती हैं। हरे पत्ते पीले पत्तों में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर पीले पत्ते भी सूख कर झड़ जाते हैं और इनके स्थान पर पुन: नयी कोपलें निकल आती हैं। पेड़ों की टहनियों पर पहले नन्ही कलिकाएं प्रादुर्भूत होती हैं। वे सुंदर सुगंधित पुष्प का रूप धारण करती हैं। पुष्प पहले मुरझाता है फिर सूख कर हवा के झोंकों से बिखर जाता है। प्रकृति की यह नित नवीनता हमेशा हमें आकर्षित करती है। समय परिवर्तनशील है और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को यह अपने आगोश में ले लेता है।

परिवर्तन प्रकृति तक ही सीमित नहीं है यह समाज में भी प्रतिक्षण हो रहा है। पुरानी मान्यताओं और मूल्यों का स्थान नवीन मान्यताएँ और मूल्य ग्रहण कर रही है। परिवर्तन स्वाभाविक और आवश्यक भी है। जिस प्रकार स्थिर जल में सड़न पैदा हो जाता है किंतु जिस जल में प्रवाह जारी रहता है वह शुद्ध बना रहता है उसी प्रकार जो समाज स्थिर एवं यथावत बने रहना चाहता है और नवीन विचारों को ग्रहण करने के प्रति सचेष्ट नहीं रहता वह जीवित नहीं रह सकता है। नए विचारों को ग्रहण करने से समाज में स्फूर्ति आती है तथा वह वर्त्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनता है। 21वीं सदी विज्ञान का युग है। तकनीकी एवं प्रौद्योगोकी के विकास के कारण प्रत्येक क्षेत्र की कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आया है, परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षण की विधियों एवं संसाधनों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है।

शिक्षा में नवाचार

नवाचार एक पूर्व नियोजित, नवीन एवं विशिष्ट परिवर्तन है जिसमें कुछ विशेष गुण निहित रहते हैं। इनका उद्देश्य वर्तमान स्थितियों में सुधार करना होता है। "वास्तव में नवाचार नवीन एवं पुरातन का ऐसा संगम है जो एक नवीन इकाई के रूप में अपनी विशिष्टता के साथ प्रकट होता है" (कुलश्रेष्ठ, 2010)। पिछड़ेपन को समाप्त करने और विकास को गति देने का प्रमुख साधन शिक्षा है। अत: विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो रहे औद्योगिक और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की लिए शिक्षाविदों ने जिन नूतन विचारों, कार्यक्रमों, विधियों, प्रविधियों और तकनीकी का समावेश करने का समर्थन किया है उन्हें हम नवाचारों की संज्ञा देते हैं।

नवाचार से नवीन प्रवृत्तियों, प्रयोग और सिद्धांतों का उद्‌भव होता है जो पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों, वस्तुओं और परंपराओं में नवीनता का समावेश दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करता है। तृतीय यूनेस्को सम्मेलन (1971) के दस्तावेज में कहा गया है कि "नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है, यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसका विस्तृत प्रयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकी के आधार पर किया जाता है। यह मात्र, परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है बल्कि इसका क्रियान्वयन और नियंत्रण,परीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर किया जाता है"। शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों एवं नीतियों का समावेश करना है। एच.एस. भोला (1975) के अनुसार - "नवाचार एक विचार है, एक अभिवृत्ति है, कौशल युक्त एक यंत्र है या इनमें से दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृति ने, पहले व्यावहारिक रूप में अपनाया हो"। एम.बी. माईलैक्स के अनुसार- नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझ कर किया गया है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी समझा जाता है। ई.एस. रोजर्स (1962) के अनुसार - नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति, व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। एच.जी. वारनेट (1967) के अनुसार - नवाचार एक विचार, व्यवहार अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। इस प्रकार नवाचार में कुछ ऐसा लागू करना नीहित होता है जो प्रचलित से भिन्न, उपयोगी और नवीन हो। प्रत्येक नवाचार में कुछ विशेषताएं आवश्यक रूप से होती हैं। जैसे - नवाचार एक नवीन विचार है। नवाचार में कोई नवीन विशेषता पाई जाती है। नवाचार एक उद्देश्यपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। नवाचार उपयोगिता की दृष्टि से किया जाने वाला कार्य है। नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। नवाचार को प्रचलित विधियों की अपेक्षा और अच्छा माना जाता है।

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित प्रमुख नवाचार है - विषयवस्तु में नवाचार, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, योग शिक्षा, यौन शिक्षा, जीवनपर्यंत शिक्षा, भविष्योन्मुखी शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा की मुक्त पद्धतियां, प्रसार शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा, शांति शिक्षा, मानवाधिकार की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, रोजगार शिक्षा, स्वयंसेवी शिक्षा आदि।

शिक्षण विधियों में नवाचार के रूप में शामिल है - सहकारी अधिगम, ई-शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, मिश्रित अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा, आभासी कक्षा, स्मार्ट क्लासेज इत्यादि।

शिक्षक तथा शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

वर्तमान में नवाचारों की महत्ता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक को स्वयं में सुधार करते हुए, अपने पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचारों को अपने व्यवहार में शामिल करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। इसके लिए उन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षण विकास मॉड्यूल

के रूप में कई तरीकों से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता है, जिससे वह शैक्षिक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख सके और साझा कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा करता है कि वे स्वयं के व्यवसायिक विकास के लिए स्वेछा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटे के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भाग ले। सामुदायिक विकास के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की नवीनतम शिक्षणशास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षण शास्त्र जैसे - अनुभवात्मक शिक्षण, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित किया जाएगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह मानती है कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ-साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह नीति उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करने के लक्ष्य के साथ ही सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को बहु-विषयक बनाने की दिशा में प्रयासरत है। अब चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. की डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। नवीनतम तकनीको में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहु स्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रुचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षार्थी केंद्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद (51ए) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उनके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा, स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशलों जैसे- स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल,शिल्प आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। विभिन्न विषयों के शिक्षण की विभिन्न विधियों का अध्ययन, शोध प्रलेखन और समेकन किया जाएगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

मिश्रित अधिगम

आज मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष विज्ञान और तकनीकी से प्रभावित है। चाहे वह सैद्धांतिक पक्ष हो या व्यवहारिक तकनीकी उसमें सहायक सिद्ध हुई हैं। तकनीकी शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणा में आधुनिक संदर्भ के साथ-साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें परंपरा में नवीनता का स्वरूप प्रदान किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को अपनाने की आवश्यकता बढ़ी है। शिक्षा प्रणाली को संचालित करने वाले केंद्रीय सिद्धांत में से एक शिक्षण और सीखने की प्रगति का व्यापक उपयोग, पहुंच में वृद्धि के साथ-साथ वर्तमान महामारी की स्थिति में वर्चुअल लर्निंग ने व्यक्तिगत रूप से

सीखने के अनुभवों की जगह ले ली हैं तथा इसने छात्रों और शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षण और आधुनिक शिक्षण तकनीक को एकत्रित करने के लिए मजबूर किया है। कारण चाहे जो भी हो, यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कदम होगा।

विज्ञान और तकनीकी की वर्तमान में आवश्यकता को देखते हुए नवाचारों की शिक्षा में मिश्रित अधिगम एक प्रभावी विकल्प होगा। इसका प्रयोग करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सृजनात्मक कल्पना, समीक्षात्मक चिंतन की भावना विकसित कर मनुष्यता को निर्मित करने वाली शिक्षा तथा कौशल युक्त शिक्षा देकर समग्र विकास किया जाना संभव होगा क्योंकि इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के शिक्षण की विशेषता होती है। मिश्रित अधिगम के माध्यम से सीखने के तीनों पक्षों का विकास होगा। संज्ञानात्मक पक्ष में छात्रों का बौद्धिक विकास, भावात्मक पक्ष में मूल्यों का विकास जबकि तकनीकी के प्रयोग से छात्रों में कौशल एवं तकनीकी का विकास होगा। इस प्रकार यह छात्रों की हर प्रकार की समस्याओं के समाधान में सक्षम होता है।

मिश्रित अधिगम एक अवसर के रूप में

मिश्रित अधिगम एक अभिनव अवधारणा है, यह वह संकल्प है जो कक्षा और (आई. सी.टी.) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण दोनों में पारंपरिक शिक्षाओं के लाभ को श्रेष्ठ बनाती है। इसमें सहयोगी अधिगम, रचनात्मक अधिगम, सीखने और कंप्यूटर समर्थित अधिगम की गुंजाइश है। इस प्रकार मिश्रित अधिगम एक दृष्टिकोण है जो 21वीं सदी में नवाचारों की शिक्षा की चुनौतियों से निपटने का एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। क्योंकि - 1. इसमें छात्रों के पास औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों का विकल्प होता है। 2. इसमें छात्रों को कक्षा की भांति आमने-सामने बैठकर बातचीत करने के साथ ही वर्चुअल स्पेस में भी इंटरेक्ट करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके माध्यम से उनमें विविधता आती है और उनका ज्ञान व्यापक हो जाता है। इसके माध्यम से उनमें अन्य संस्कृतियों और देश के छात्रों के साथ समझ, प्रेम, और सदभाव की भावना विकसित होती है। 3. मिश्रित अधिगम द्वारा छात्रों को नई-नई तकनीकी का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान की सदी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सदी है। आज बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ही केवल अनपढ़ नहीं है बल्कि वह व्यक्ति भी अनपढ़ माना जाता है, जो आधुनिक तकनीको से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। 4. इसमें छात्रों को विभिन्न जीवन कौशलों का प्रशिक्षण मिलता है। सुखी, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए जीवन कौशल आवश्यक है। प्रमुख जीवन कौशलों में सहानुभूति, निर्णय लेने की क्षमता, प्यार, धैर्य, संचार, प्रबंधन, महत्वपूर्ण सोच आदि शामिल है। मिश्रित अधिगम में इन कौशलो का अभ्यास करने का अवसर होता है। 5. मिश्रित अधिगम के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पहलू जैसे संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावात्मकता का विकास होता है। 6. मिश्रित अधिगम द्वारा छात्रों के मानसिक विकास के साथ ही शारीरिक विकास भी संभव है क्योंकि इसमें स्कूल का अनुभव भी शामिल होता है। इसमें

छात्रों को कॉलेज परिसर के अंदर खेलने, शारीरिक श्रम, योग आदि के लिए भी भरपूर अवसर मिलता है। 7. मिश्रित अधिगम के द्वारा छात्रों को पाठ्य-सामग्री के व्यापक प्रदर्शन के अवसर और नए-नए दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। जिससे उनको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। 8. मिश्रित अधिगम में छात्रों को शिक्षकों से संपर्क के माध्यम से मानवीय स्पर्श प्राप्त होता है, जो छात्र के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। 9. मिश्रित अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जो छात्रों को दुनिया भर के छात्रों के साथ अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने और उन्हें साझा करने का अवसर प्रदान करता है। यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाता है। इस प्रकार मिश्रित अधिगम सीखने की प्रक्रिया को बहु-सांस्कृतिक, अन्त:विषयक, बहु-आयामी और बाल केंद्रित बनाता है। 10. मिश्रित अधिगम में शिक्षक, कक्षा में एक पारंपरिक शिक्षक की भूमिका में एक प्रेरक के रूप में, एक संसाधन व्यक्ति के रूप में एक आयोजक के रूप में, एक डेवलपर के रूप में, जब सामग्री विकसित करता है तो एक गाइड के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। 11. मिश्रित अधिगम द्वारा छात्रों और शिक्षकों की रचनात्मकता में वृद्धि होती है। इसमें शिक्षक विभिन्न क्षेत्रों में अपने बल पर कोशिश कर सकता है, जो व्यवसायिक विकास के लिए भी अच्छा होता है। विद्यार्थी केवल उपभोग करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करता है (शर्मा ज्योति, 2019)।

मिश्रित अधिगम एक चुनौती के रूप में

मिश्रित अधिगम को लागू करने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण आयाम मिलेगा किंतु इसको लागू करना आसान नहीं है क्योंकि एक सफल मिश्रित अधिगम को लागू करने में निम्नलिखित चुनौतियां आती है - 1. मिश्रित अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होती है लेकिन शिक्षक इसका एक महत्वपूर्ण ध्रुव है। दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों चाहे वह परंपरागत हो या तकनीकी, शिक्षकों को मिश्रित अधिगम के संदर्भ में पूर्ण प्रशिक्षित और इसकी अवधारणा से भली भांति परिचित होना चाहिए। उन्हें डिजिटल रूप में सामग्री विकसित करना आना चाहिए जिससे कि यह छात्रों को ऑनलाइन उपलब्ध हो सके, इंटरनेट ब्राउजिंग और इंटरनेट के प्रयोग के साथ ही, उन सभी वेबसाइटों की भी जानकारी होनी चाहिए जो ऑनलाइन सीखने के समय छात्रों के लिए उपयोगी हो सकती है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए की शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्लॉगस,यूट्यूब स्काइप जैसे सॉफ्टवेयर, गूगल टॉक, और अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग साइटों का अपने शिक्षण के लिए कैसे उपयोग करें (मालथी, एस., 2020)। 2. मिश्रित अधिगम के लिए शिक्षको में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही साथ अवलोकन हेतु बेहतर कौशल होना चाहिए। उन्हें आशावादी होना चाहिए, समस्या समाधान हेतु उनमें कौशल होना चाहिए तथा इसके प्रति उनमें जागरूकता भी होनी चाहिए जिससे की वे नवीन अवधारणा पर काम करते समय मिलने वाली विफलताओं से सकारात्मक रूप से निपट सके और स्थितियों का निष्पक्ष विश्लेषण कर सके। 3. सुसज्जित

कंप्यूटर लैब, इंटरनेट कनेक्शन, वीडियो चौटिंग जैसी सुविधाएं मिश्रित अधिगम के लिए अनिवार्य साधन है। यह काफी हद तक बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। इसके लिए स्कूल में अच्छी कक्षा के साथ ही सुसज्जित कंप्यूटरकृत प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। सभी छात्रों के लिए इंटरनेट, वाई-फाई और पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर आदि होना चाहिए। 4. सूचना एवं संचार तकनीकी फ्रेंडली कैंपस के साथ ही छात्रों के पास निवास पर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने हेतु कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए सरकार से सकारात्मक रूख और अच्छी निवेश की अपेक्षा है। 5. मिश्रित अधिगम के लिए सिस्टम में लचीलापन होना चाहिए। इसको लागू करने में समय सारणी, परीक्षा प्रणाली आदि महत्वपूर्ण होती है। 6. छात्रों के अभिभावकों को भी मिश्रित अधिगम की आवश्यकता एवं महत्त्व से अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे कि वह उसके लिए तैयार हो सके और अपने बच्चों का सहयोग कर सके। 7. मिश्रित अधिगम को लागू करने के लिए विद्यालय को निरंतर आंतरिक मूल्यांकन (सीएआई) के लिए तैयार होना चाहिए एवं व्यवस्था को लचीला बनाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

ऐसी अन्य बहुत सी आवश्यक और बुनियादी आवश्यकता है, जिन्हें पूरा करना भारतीय स्थिति एवं परिवेश में एक कठिन चुनौती है। किंतु इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना मिश्रित अधिगम को सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: हम कह सकते है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन और नवाचारों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही एक दूसरे को उत्पन्न करने तथा विकसित होने में भूमिका निभाते हैं। अत: यदि हमें विकास के दौड़ में बने रहना है तो नवाचारों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा। नवाचारों की शिक्षा में आज की परिस्थिति में मिश्रित अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अत: हमें मिश्रित अधिगम के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य को पाने की राह को भी आसान बनाएगी।

सन्दर्भ

अम्बस्ट व रथ, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रथम संस्करण (2010) आर.एस.ए. इंटरनेशनल, आगरा

भोला, एच.एस. (1975) द कॉन्फिगुरैशनल थ्योरी ऑफ इनोवेशन डीफ्यूजन https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED127702.pdf.

मालथी, एस. (2020), ए मॉडल फ्रेमवर्क ऑन ब्लैडेड लर्निंग इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू एनहांस द कॉम्पटेंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन हायर एजुकेशन, https://hdi.handle.net/10603/311124.

कुलश्रेष्ठ, एस.पी. (2010), शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, बारहवाँ संस्करण.

शर्मा, ज्योति (2019), 'मिश्रित शिक्षा प्रणाली एक अभिनव एवं उन्नत पहुँच', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च*, 5(8); 387-396.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 104-112)

प्रधानमंत्री जन धन योजना : काशी विद्यापीठ विकासखंड के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रवीण कुमार*, मनीष सेठ† एवं अमित कुमार तिवारी‡

केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़कर वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। इस शोधपत्र का उद्देश्य काशी विद्यापीठ विकासखंड के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर योजना के प्रभाव का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध में काशी विद्यापीठ विकासखंड के लोगों की पारिवारिक प्रकृति, जाति वर्ग, शैक्षणिक स्तर, आय-व्यय, बचत का स्तर एवं बचत प्रतिशत पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

बीज शब्द - प्रधानमंत्री जनधन योजना, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति।

---

*शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
E-mail: praveenkumar78780@gmail.com
†सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
‡सहायक प्राध्यापक, अटल बिहारी वाजपेई शासकीय महाविद्यालय, नगरदा, जिला-सक्ती, (छत्तीसगढ़)

प्रस्तावना

आर्थिक विकास के लिए वित्तीय विकास एक प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। देश के आर्थिक विकास के लिए एक स्थिर और उपयोगी वित्तीय प्रणाली की स्थापना के साथ भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए स्वतंत्रता के बाद से कई पहलें की और वर्तमान में पूर्व में की गई खामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश के सभी घरों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ अंतर्निर्मित बीमा संरक्षण की सुविधा प्रदान करना है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से सस्ती लागत पर समाज के वंचित और कम आय वाले वर्गों को जिनकी विनियमित वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं है, उन लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। अधिकांश विकासशील देश वित्तीय समावेशन को एक नीतिगत लक्ष्य के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन की एक ऐसी नवीन अवधारणा है जो बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के साथ गरीबी को कम करने का कार्य करती है। यह योजना केवल खाता खोलने तक ही सीमित नहीं है बल्कि खाता खोलने के साथ-साथ अन्य लाभ जैसे - रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा, जीरो शेष बैंक खाता, रुपये 2,00,000 के आकस्मिक बीमा सुरक्षा की सुविधा, ओवर ड्राफ्ट की सुविधा इसके अलावा रुपये 30,000 जीवन बीमा कवर का लाभ भी खाताधारक की मृत्यु पर देय होगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी सरकारी योजना के हकदार व्यक्ति का पैसा सबसे पहले जन धन खातों में ही ट्रांसफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन खाताधारकों को विभिन्न बीमा योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ भी मिलता है।

भारत के हृदय स्थल में स्थित उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में वाराणसी जिले की एक अपनी विशेष पहचान है वाराणसी में आठ विकासखंड आराजी लाइन, बड़ागांव, चिरईगांव, चोलापुर, हरहुआ, काशी विद्यापीठ, पिंडरा, सेवापुरी हैं। इन विकासखंडों में से अध्ययन के लिए काशी विद्यापीठ विकासखंड को चुना गया है। काशी विद्यापीठ विकासखंड में 135 ग्राम है, जिनमें से अध्ययन के लिए 10 गांवों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया है। ये गांव फरीदपुर, बंदेपुर, दफलपुर, मिसिरपुर, कोरौता, गोविंदपुर, माधोपुर, नकाइन, खालिपुर, दाउदपुर, है। उत्तर प्रदेश शासन के सांख्यिकी विभाग जिला वाराणसी की वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2011 में इस विकासखंड की कुल जनसंख्या 36,78,641 है, इसमें से 19,21,857 पुरुष एवं 17,54,984 महिलाएं हैं। कुल आबादी में से ग्रामीण क्षेत्र में 20,79,790 लोग एवं शहरी क्षेत्र में 15,97,051 लोग निवास करते हैं। इस विकासखंड में अनुसूचित जाति के 4,86,958 लोग (13.23 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति के 28,617 लोग (0.77 प्रतिशत) निवास करते हैं। शेष लोग 31,63,066 पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग से हैं। इस विकासखंड में कुल जनसंख्या में से 75.60 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इनमें से 83.77 प्रतिशत पुरुष एवं 66.69 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

साहित्य की समीक्षा

यादव एवं मोहनिया (2016) प्रस्तुत अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अपने लचीलेपन के कारण आकर्षक और विश्वसनीय हैं। यह योजना 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को सस्ती लागत में बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। परमासिवन और कुमार (2013) इनके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य सस्ती कीमत पर पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से सभी लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। राय (2015) अध्ययनकर्ता ने यह विश्लेषण किया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की एक महत्वाकांक्षी योजना हैं, जो शून्य बैलेंस के साथ-साथ बीमा कवरेज खाते, रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट इत्यादि सुविधा प्रदान करती हैं। अवस्थी (2015) इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि वित्तीय निरक्षरता, भ्रष्टाचार एवं जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण सरकार की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं। वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना से देश को आर्थिक शक्ति एवं समावेशी विकास में मदद मिलती है। वर्मा और गर्ग (2015) वित्तीय अस्पृश्यता एक ऐसी घटना है जो कुछ स्थितियों के परिणामस्वरूप होती है जो लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणालियों तक पहुँचने से रोकती है। एक औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अभाव में, लोग स्थानीय साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर हैं जो गरीब लोगों से अत्यधिक ब्याज दर लेते हैं। वित्तीय अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव की समस्या भी पैदा करती है। वित्तीय अस्पृश्यता की बुराई से लड़ने का एकमात्र समाधान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जिसे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे कमजोर समूहों को किफायती लागत पर समय पर और पर्याप्त ऋण की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, सेवाओं की सामर्थ्य और वित्तीय सेवाओं का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन हासिल किया जा सकता है। शेट्टार (2016) ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की चुनौतियों और अवसरों का अध्ययन किया। यह अध्ययन प्रकाशित लेखों, विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रिपोर्टों, पुस्तकों और पीएमजेडीवाई की आधिकारिक वेबसाइटों से एकत्र किए गए माध्यमिक स्रोतों पर आधारित है। पेपर से पता चलता है कि पीएमजेडीवाई योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को सीधे सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने में पूरी तरह से सहायक है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पीएमजेडीवाई योजना ने देश में वित्तीय अस्पृश्यता के उन्मूलन के संबंध में बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रभावशाली परिणाम दिया है। केवल बैंक खाते खोलने से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन योजना की वास्तविक सफलता सुनिश्चित करने के लिए बैंक खातों का निरंतर संचालन होना चाहिए। जैन और जैन (2017) वित्तीय समावेशन मुख्य रूप से भारत की आबादी के लिए था और है जो एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली के लाभों से वंचित थी। इस अभाव

ने व्यवहार के विकास को जन्म दिया जहां लोगों ने या तो बचत नहीं की या अपनी बचत का समय मूल्य अर्जित नहीं किया। यह व्यवहार ज्यादातर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आम था, जहां बैंकिंग की पहुंच खराब थी। पीएमजेडीवाई की शुरुआत प्रत्येक भारतीय को भारतीय बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और उन्हें अपनी मेहनत की कमाई को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लाभों के बारे में शिक्षित करने और कुशल ऋण सुविधाओं के माध्यम से उन्हें समृद्ध करने में मदद करने के लिए की गई थी। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में इस परिवर्तन में एक मजबूत उत्प्रेरक साबित हुए। चुनौती यह है कि इन खातों की निष्क्रियता को हतोत्साहित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सक्रिय खातों का प्रतिशत बढ़े, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। पाल (2019) यह शोध पत्र इस अध्ययन के शोध प्रश्न की जांच करने के लिए चयनित शोध पत्रों में विचार-विमर्श किए गए शोध विषयों द्वारा साहित्य को व्यवस्थित करता है। पीएमजेडीवाई वर्तमान अवधि में वित्तीय समावेशन के लिए अग्रणी योजनाओं में से एक है। वित्तीय समावेशन को मापने के लिए, वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता जैसे बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए गुणात्मक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय रूप से वंचित लोगों द्वारा उचित उपयोग अनिवार्य है और योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, पेपर योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं के उपयोग और पहुंच के संदर्भ में वित्तीय रूप से बहिष्कृत क्षेत्र पर केंद्रित है।

शोध विधि

यह एक सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन है। जो लोगों के जनांकिकी के अध्ययन पर आधारित है। इस शोध का उद्देश्य प्रधानमंत्री जन धन योजना का काशी विद्यापीठ विकासखंड के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन प्रस्तुत करना है। काशी विद्यापीठ विकासखंड वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है। इस विकासखंड में 135 गांव हैं। शोध के लिए यादृच्छिक रूप से दस गांवों का चयन किया गया है। ये गांव - फरीदपुर बंदेपुर, दफलपुर, मिसिरपुर, कोरौता, गोबिंदपुर, माधोपुर, नकाइन, खालिपुर, दाउदपुर हैं। शोध में उन लोगों का अध्ययन किया गया है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाताधारक है। काशी विद्यापीठ विकासखंड के चुने हुए गांवों में से प्रत्येक में यादृच्छिक रूप से 20-20 परिवारों (कुल 200 परिवार) को अध्ययन के लिए चुना गया है। प्रत्येक परिवार में खाताधारक एक व्यक्ति का चुनाव किया गया है। 200 व्यक्तियों में से 95 (47.5 प्रतिशत) महिलाएं एवं 105 (52.5 प्रतिशत) पुरुष शामिल हैं।

आंकडो का संग्रह

आंकड़ों का संग्रहण प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक स्रोत में शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। इसके निर्माण के

लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चुनाव किया गया है। इन प्रश्नों के माध्यम से खाताधारकों से सीधे संपर्क स्थापित कर इनकी व्यक्तिगत जानकारी को एकत्रित किया गया। इस अनुसूची में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जैसे - शैक्षणिक स्तर, परिवार की प्रकृति, परिवार की आय का स्तर एवं बचत की प्रवृत्ति इत्यादि। आंकड़ों का संग्रह कर वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया। शोध क्षेत्र में जाकर खाताधारकों से व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जानकारी लेकर अनुसूची में भरा गया। सभी 200 परिवारों की जानकारी को अनुसूची में भरने के बाद उनका विश्लेषण किया गया। खाताधारकों को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी जानकारी का शोध कार्य के अलावा अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा और गोपनीय रखा जाएगा। द्वितीयक म्रोत से आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोध पत्र, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, उत्तर प्रदेश शासन के सांख्यिकी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय विभाग के प्रकाशन की रिपोर्ट इत्यादि का उपयोग किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

सामाजिक स्थिति

सामाजिक स्थिति से तात्पर्य लोगों की समाज में स्थिति एवं अन्य सामाजिक बातों से होता है। वर्तमान समय में लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ-साथ समाज का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। समाज में सदस्यों के शैक्षणिक स्तर, मानसिक और नैतिक स्तर एवं सामाजिक स्थिति की परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं।

शैक्षणिक स्तर

शिक्षा किसी भी स्थान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की परिचायक होती है। तालिका से स्पष्ट होता है कि काशी विद्यापीठ विकासखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत चयनित 200 व्यक्तियों में से 181 व्यक्ति शिक्षित एवं 19 व्यक्ति अशिक्षित हैं। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षित लोग ज्यादा जागरूक एवं समझदार होते हैं, इसलिए शिक्षित लोग ही योजना का ज्यादा लाभ उठा रहे हैं।

तालिका 1
शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	पुरुष		महिला		कुल संख्या
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
शिक्षित	94	47	87	43.5	181
अशिक्षित	11	5.5	8	4	19

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति से तात्पर्य लोगों की आय, व्यय, बचत, आर्थिक मजबूती एवं जीवन स्तर से होता है। आर्थिक स्थिति लोगों के संपूर्ण जीवन स्तर को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री

जन धन योजना से काशी विद्यापीठ विकास खंड के लोगों के आय, व्यय एवं बचत पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। तालिका 2 में काशी विद्यापीठ विकासखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जुड़े चयनित व्यक्तियों के योजना में जुड़ने के पूर्व एवं पश्चात आय और व्यय की स्थिति को बताया गया है। आय और व्यय के निम्न वर्ग बनाए गए हैं, रुपये 0-1000, रुपये 1001-2000, रुपये 2001-3000, रुपये 3001-4000, रुपये 4001-5000, रुपये 5001-6000। तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना में जुड़ने से पूर्व चयनित 200 व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा 94 व्यक्ति (47 प्रतिशत) रुपये 2001 से 3000 आय समूह में और सबसे कम 4 व्यक्ति (2 प्रतिशत) रुपये 4001-5000 आय समूह में सम्मिलित हैं। रुपये 5001-6000 आय समूह में कोई भी व्यक्ति नहीं हैं। योजना में जुड़ने के पश्चात आय समूह वर्ग में बदलाव आया है। चयनित 200 व्यक्तियों में सबसे ज्यादा 85 व्यक्ति (44.5 प्रतिशत) रुपये 3001-4000 आय समूह वाले वर्ग में और सबसे कम 10 व्यक्ति (5 प्रतिशत) रुपये 1001-2000 आय समूह वाले वर्ग में आ गए हैं। रुपये 5001-6000 आय समूह वाले वर्ग में योजना से जुड़ने से पूर्व कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं था। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़ने के पश्चात रुपये 5001-6000 आय समूह वाले वर्ग में 15 व्यक्ति (7.5 प्रतिशत) सम्मिलित हुए हैं।

तालिका 2
आर्थिक स्थिति

आय समूह	योजना के पूर्व		योजना के पश्चात	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
रुपये 0-1000	25	12.50	0	0
रुपये 1001-2000	60	30	10	5
रुपये 2001-3000	94	47	55	22.5
रुपये 3001-4000	17	8.15	85	44.5
रुपये 4001-5000	4	2	35	17.5
रुपये 5001-6000	0	0	15	7.5

स्रोत : प्राथमिक डाटा

इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से काशी विद्यापीठ विकासखंड के लोगों के आय स्तर में बदलाव आया है। आय के स्तर में बदलाव से लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

व्यय

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित लोगों के खर्च के स्तर में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़ने से पूर्व सबसे ज्यादा व्यक्ति 95 (47.5 प्रतिशत) रुपये 1001-2000 आय समूह वाले वर्ग में आते थे, योजना में जुड़ने के पश्चात आय समूह वर्ग बदलकर रुपये 2001-3000 हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी आय बढ़ने से व्यय भी बढ़ा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है।

तालिका 3

व्यय

व्यय समूह	योजना के पूर्व		योजना के पश्चात	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
रुपये 0-1000	55	27.5	0	0
रुपये 1001-2000	95	47.5	45	22.5
रुपये 2001-3000	40	20	95	47.5
रुपये 3001-4000	10	5	55	27.5
रुपये 4001-5000	0	0	5	2.5

स्रोत : प्राथमिक डाटा

बचत

तालिका 4 में प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़े चयनित व्यक्तियों के अनुमानित बचत के निम्न स्तर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़े चयनित व्यक्तियों में से कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़ने से पहले बिल्कुल भी बचत नहीं होती थी अब कुछ बचत होने लगी है प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योजना में जुड़ने के पूर्व रुपये 500-600 एवं रुपये 900-1000 रुपये के बचत स्तर में ज्यादा व्यक्ति बचत करते पाए गए हैं।

तालिका 4

बचत

व्यय	योजना के पूर्व	
	संख्या	प्रतिशत
रुपये 0-100	11	5.5
रुपये 100-200	7	3.5
रुपये 200-300	9	4.5
रुपये 300-400	7	3.5
रुपये 400-500	23	11.5
रुपये 500-600	48	24
रुपये 600-700	15	7.5
रुपये 700-800	25	१२.5
रुपये 800-900	18	9
रुपये 900-1000	37	18.5

स्रोत : प्राथमिक डाटा

बचत का प्रतिशत

निम्न तालिका में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बचत प्रतिशत दर्शाया गया है। 200 व्यक्तियों में से 98 व्यक्ति (49 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनके बचत प्रतिशत में 5-10 की वृद्धि हुई है, और सिर्फ 17 व्यक्ति (8.5 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनको 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है।

तालिका 5
बचत का प्रतिशत

बचत का प्रतिशत	योजना के पश्चात्	
	संख्या	प्रतिशत
0-5 प्रतिशत	27	13.5
5-10 प्रतिशत	98	49
10-15 प्रतिशत	58	29
15 प्रतिशत से अधिक	17	8.5

स्रोत : प्राथमिक डाटा

तालिका से यह ज्ञात होता है कि इस योजना में जुड़ने के बाद व्यक्तियों के बचत प्रतिशत में वृद्धि हुई है। सबसे अधिक बचत प्रतिशत में वृद्धि 5 से 10 वाले समूह में हुई है। योजना में जुड़ने से पूर्व जिन लोगों को बिल्कुल भी बचत नहीं होती थी उनकी आय बढ़ने से बचत प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

सूक्ष्म ऋण

तालिका 6 में प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़ने के बाद लोगों के सूक्ष्म ऋण (माइक्रो लोन) से आय वृद्धि के अनुमानित निम्न स्तर बनाए गए हैं। 0-5, 5-10, 10-15, और 15 से अधिक। सूक्ष्म ऋण से होने वाली आय वृद्धि के स्तर में 200 व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा 196 (98) व्यक्ति 0-5 वाले समूह में आते हैं। जन धन योजना के माध्यम से ऋण लेने से लोगों की आय वृद्धि का स्तर बढ़ा है, जिससे उनको अपने दैनिक जीवन में आर्थिक सहायता मिलती है। लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में प्रधानमंत्री जन धन योजना का बहुत बड़ा योगदान है।

तालिका 6
सूक्ष्म ऋण

सूक्ष्म ऋण	योजना के पश्चात	
	संख्या	प्रतिशत
0-5 प्रतिशत	196	98
5-10 प्रतिशत	4	2
10-15 प्रतिशत	0	0
15 प्रतिशत से अधिक	0	0

स्रोत : प्राथमिक डाटा

निष्कर्ष

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना से काशी विद्यापीठ विकासखंड के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी सुधार आया है। यहां के लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। लोगों का

बैंकों के प्रति रुझान बढ़ता देखा गया है जिससे बैंकों में इस योजना के अंतर्गत खाता खुलने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। अध्ययन के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि अन्य खातों के मुकाबले इस योजना के अंतर्गत खाताधारक को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलने से बैंकों में पैसा जमा करने की दर में भी वृद्धि हुई हैं, जिससे बचत स्तर में भी काफी बदलाव आया है। बचत बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आर्थिक स्थिति के मजबूत होने से उनकी सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया है। कोरोना महामारी जैसे संकट काल में भी यह योजना काफी मददगार साबित हुई है। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री जन धन खाताधारकों को ही सबसे पहले मिलता है। इससे लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा रहे हैं। शोध क्षेत्र में संपर्क के दौरान जिन लोगों का बैंक में योजना के अंतर्गत खाता नहीं था उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया और इस योजना के लाभों से उनको अवगत कराया गया। अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना ली है। इससे लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में बदलाव आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय जागरूकता फैलाने में बैंकों के प्रयास में ज्यादा बढ़त नहीं देखी गई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बैंक और नीति निर्माताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा तभी इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

सन्दर्भ

अवस्थी, अदिति (2015), 'ए कम्परेटिव एनालिसिस ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना', *एडवांसेज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट,* वॉल्यूम 2, नंबर 4, पृ. 336-340.

जैन, गरिमा एवं नीरज जैन (2017), 'इंपैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) ऑन सोशल इकोनामिक स्टेटस एंड सेविंग पैटर्न : रिव्य ऑफ लिटरेचर', *एशियन जर्नल आफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज,* वॉल्यूम 7, नंबर 6, पृ. 217-223.

पाल, अजय सिंह (2019), 'इन्हांसिग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू प्रधानमंत्री जनधन योजना : अ रिव्यू', *थिंक इंडिया जर्नल,* वॉल्यूम 22, नंबर 10, पृ. 5688-5701.

परमासिवन, सी. एवं आरण, कामराज (2015) : 'इंक्लूसिव बैकिंग थ्रू प्रधानमंत्री जनधन योजना, विद रिस्पेक्ट टू रीजनल रूरल बैंक्स', *रिसर्च एक्सप्लोर,* वॉल्यूम 6, नंबर 11, पृ. 74-78.

राय, शांति (2015), 'प्रधानमंत्री जनधन योजना : एन एंबिशियस प्लान फॉर फाइनेंशियल इन्क्लूजन', *रिसर्च फ्रंटियर,* वॉल्यूम 3, नंबर 2, पृ. 25-32.

साहेतर, एम. राजेश्वरी (2016) : 'प्रधानमंत्री जन धन,योजना : इश्यूज एंड चेलेन्जेस फेस्ड', *जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट,* वॉल्यूम 18, नंबर 2, पृ. 17-24.

वर्मा, योगेश एवं प्रियंका गर्ग (2016), 'प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) स्टेप टूवर्ड इरेडिकेटिंग फाइनेशियल अनटचेबिलिटी', *इंडियन जर्नल आफ फाइनेंस,* पृ. 56-64.

यादव, आर.के. एवं एस. मोहनिया (2017), 'क्लेम सेटेलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंडर प्रधान मंत्री जन धन योजना', *वर्ल्ड साइंटिफिक न्यूज,* वॉल्यूम 65, पृ. 123-134.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 113-124)

भारत में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने में सार्वजनिक नीति के रूप में मनरेगा की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन

अमित कुमार गुप्ता* एवं रामबाबू†

ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा हेतु मनरेगा एक लोक कल्याणकारी नीति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से कमजोर एवं समाज के वंचित परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों की अवसंरचना के निर्माण में भी बहुत उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर, मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु मकानों का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरेलू शौचालय, तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना के तहत वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस शोध आलेख में, मनरेगा के कार्य-निष्पादन को सार्वजनिक नीति मूल्यांकन के रूप में एक विस्तृत एवं सूक्ष्म-स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक नीति के रूप में मनरेगा द्वारा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने एवं और उसके अंतर्गत होने वाले कार्यों का समीक्षात्मक अध्ययन करना है। इसके साथ ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के

*सहायक प्राध्यापक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
†सहायक प्राध्यापक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
E-mail: rambabuyadav256@gmail.com

अवसर, एवं स्थायी परीसंपत्तियों के निर्माण कार्य एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मुख्य भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। इस शोध विषय में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्रासंगिक आकड़ों का संग्रह करते हुए विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया है। इस शोध अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण भारत के ग्रामीण आँचल में आजीविका सुरक्षा हेतु रोजगार गारंटी उपलब्ध होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आधारभूत निर्माण एवं अवसंरचना में मनरेगा महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इससे ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के साथ साथ सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिल रही है।

बीज शब्द - ग्रामीण, आजीविका सुरक्षा,मनरेगा, वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक नीति ।

परिचय

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने एवं आय के स्रोत को सुरक्षित करने, सामाजिक एवं न्यायिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकता आधारित सेवाओं तक पहुँच के माध्यम से अपनी आजीविका को बनाये रखने की क्षमता को संदर्भित करती है। इस अवधारणा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने, बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ सामाजिक और आर्थिक समावेशन की प्राप्ति करना आदि शामिल है। भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन एवं दैनिक मजदूरी है। हालांकि समकालीन समय में भी ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में कमी, ऋण और बाजारों तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और वनों के कटने के कारण पर्यावरण में ह्रास, प्राकृतिक आपदा आदि से ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा प्रभावित दिखाई पड़ रही है। हालाँकि ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ इन चुनौतियों का सामना करने हेतु बहुत से नीतिगत उपाय किए गए है, उन्ही में से एक है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) जो एक प्रकार का नीतिगत उपाय है। ग्रामीण भारत के लोगों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने हेतु एक सार्वजनिक नीति योजना के रूप मनरेगा को लाया गया जो रोजगार देने और गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में अहम् भूमिका निभाता है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान कर ग्रामीण आजीविका को सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत गाँवों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देना है। इस अधिनियम के तहत अकुशल वयस्क शारीरिक कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति स्वेच्छा से अकुशल रोजगार कार्य प्राप्त कर सकते है। भारतीय संसद द्वारा मनरेगा अधिनियम को वर्ष 2005 में पारित किया, जिसे वर्ष 2006 में लागू किया गया। मनरेगा एक सार्वजनिक नीति के रूप में विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत ग्रामीण

भारत के परिवारों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यतया वे लोग जो प्राय: मौसमी बेरोजगारी और अल्प रोजगार का सामना करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगार पाने का अवसर मिलता है। इस नीति का उद्देश ग्रामीण भारत में रोजगार का सृजन, गाँवो का विकास, भूमि विकास, सड़कों, वनीकरण, जल संरक्षण संरचनाओं आदि जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2010)।

यह अध्ययन मनरेगा के कार्य-निष्पादन एवं सार्वजनिक नीति मूल्यांकन के रूप में विस्तृत सूक्ष्म-स्तरीय आंकड़ो के विश्लेषण पर आधारित हैं तथा सार्वजनिक नीति में सुधार हेतु कुछ सुझाव भी प्रदर्शित हैं। यह अध्ययन सार्वजनिक नीति प्रक्रिया के अध्ययन में समीक्षा साहित्य के माध्यम से अकादमिक समझ में नए आयाम को जोड़ने का प्रयास करेगी।

शोध का उद्देश्य

इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक नीति योजना के रूप में मनरेगा का प्रभाव ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा और उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने वाले योगदान का मूल्यांकन करना है। अर्थात मनरेगा, ग्रामीण आजीविका के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस तरह से भूमिका का निर्वाह कर रही है? मनरेगा की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, स्थायी परीसंपत्तियों का निर्माण कार्य एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में भूमिका का मूल्यांकन करना। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मनरेगा किस प्रकार योगदान दे रही है।

शोध पद्धति एवं आंकड़ों का संग्रहण

अध्ययन की दृष्टि से द्वितीयक स्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है। मनरेगा से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों का संकलन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के डेशबोर्ड, विविध कालक्रम में प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों, पत्र सूचना विभाग, भारत सरकार के प्रेतिवेदन, मनरेगा पर किए गए शोध पत्रों इत्यादि के माध्यम से किया गया है। इस शोध अध्ययन में विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया है।

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा एवं मनरेगा

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा से तात्पर्य ऐसे संसाधनों से है, जिनके द्वारा ग्रामीण भारत में रहने वाला परिवार अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर देश की बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। हालांकि ग्रामीण भारत में कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य प्रमुख आर्थिक गतिविधियां भी शामिल है। ग्रामीण भारत में आजीविका के साधन के रूप में फसलों की खेती व्यापक एवं छोटे पैमाने की खेती सहित पशुपालन, ग्रामीण

क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के रोजगार के रूप में आय और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का मुख्य स्रोत है। कृषि के अलावा गैर-कृषि व्यवसाय जिनमें प्रमुख रूप से ग्रामीण उद्योग, खुदरा व्यापार, लघु-स्तरीय निर्माण, हस्तशिल्प, जैसी आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर के रूप में आजीविका की वैकल्पिक आय के स्रोत प्रदान करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों मे आजीविका सुरक्षा में उपरोक्त स्रोतों के अतिरिक्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम भी एक वैकल्पिक आजीविका सुरक्षा के साधन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक सार्वजनिक नीति के रूप में ग्रामीण भारत में गारंटीकृत अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रमुख स्रोत है। सार्वजनिक नीति के रूप में मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए बेरोजगारी की समस्या को कम करना तथा ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण सुरक्षा योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य देश की लगभग 10 करोड़ आबादी को सामाजिक रूप से एकजुट करते हुए उनका कौशल विकास करना। इसके साथ ही साथ उनके वित्तीय समावेशन एवं स्थायी आजीविका के साधनों को बढ़ाना है। इस तरह यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमिता को बढ़ाने का कार्य करती है।

अतएव उपरोक्त संकल्पना को संक्षिप्त में कहे तो ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने एवं आय के स्रोत को सुरक्षित करने, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास जैसी बुनियादी सेवाओं तक पँहुच के माध्यम से अपनी आजीविका को बनाये रखने की क्षमता को संदर्भित करती है। इस अवधारणा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने, बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध करने के साथ सामाजिक और आर्थिक समावेश प्राप्ति करना है। ग्रामीण भारत में आजीविका एक प्रकार से विविध एवं बहुआयामी है। इसके अंतर्गत देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करते हुए समावेशी विकास और सतत विकास के लक्ष्य को पाने के लिए ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना आवश्यक है।

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को लेकर अकादमिक शोध अध्ययन में घरेलू जीवनयापन की सुरक्षा हेतु खाद्य एवं पोषण, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के अवसर एवं आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से विमर्श देश में लंबे समय से रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के साथ आय एवं संसाधनों तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने की मांग होती रही है। घरेलू आजीविका की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति तक जीवनयापन के बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए आय और संसाधनों तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना है। बुनियादी सुविधाओं के प्रति परिवार को पहुँच नहीं होने पर घरेलू आजीविका असुरक्षित हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, घरेलू स्तर पर आजीविका तब तक सुनिश्चित रह सकती है, जब

तक परिवारों के पास बुनियादी संसाधनों एवं आय-उत्सर्जन के स्रोतों पर स्वामित्व या उन तक पहुँच हो, इसके साथ ही परिवारों के पास उन संसाधनों के भंडारण एवं संपत्ति का संवर्धन होता है। अतएव परिवारों का घरेलू आजीविका की सुरक्षा की जोखिम को कम किया जा सकता है। घरेलू स्तर पर किसी भी परिवार की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के संदर्भ में स्थायी आजीविका सुरक्षा सूचकांक के तीन घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रथम पारिस्थितिकीय (इकोलॉजिकल) सुरक्षा, दूसरा आर्थिक दक्षता एवं तीसरा सामाजिक समता। इन तीनों घटकों में संतुलन से घरेलू स्तर पर आजीविका की सुरक्षा बनी रहती है। स्थायी आजीविका सुरक्षा सूचकांक का उपयोग विकासशील देशों में स्थायी जीविका सुरक्षा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है (सिंह एवं हायरमेथ, 2010)।

घरेलू आजीविका सुरक्षा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण विषय बना रहता है। घरेलू स्तर पर आर्थिक विकास परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक आय एवं संसाधनों तक स्थायी एवं पर्याप्त पहुँच के रूप में परिभाषित किया गया है (भंडारी एवं ग्रांट, 2007)।

भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तेजी से उभरता हुआ देश है। इस आर्थिक विकास के बावजूद, भारत में आर्थिक असमानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं की अपर्याप्तता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2021 में भारत का स्थान 109 देशों में से 66वाँ रहा है (पी.आई.बी., 2021)।

भारत सरकार ने इन चुनौतियों को दूर करने एवं ग्रामीण भारत में रोजगार के साधन बढ़ाने के उद्देश्य हेतु विविध सरकारी योजनायें एवं कार्यक्रम का संचालित किया है। उदाहरण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार सृजन, और स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संचालन ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन एवं वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु समय-समय पर चलायी गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 एक सार्वजनिक नीति के रूप में ग्रामीण भारत में मजदूरी रोजगार गारंटी देने के साथ ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के रूप से राज्य द्वारा एक हस्तक्षेप नीति के रूप में भारत सरकार द्वारा संचालित होती है।

इस नीति के माध्यम से न सिर्फ ग्रामीण भारत में निवास करने वाले अकुशल परिवारों को रोजगार पाने का अवसर मिलता है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास दर समृद्धि मिलती है। यह नीति ग्रामीण भारत के परिवारों हेतु एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराती है, जिससे ग्रामीण घरेलू आय को बढ़ाने में मदद मिलती है और गरीबी को भी कम करने का अवसर मिलता है। इह नीति ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध प्रदान कर संकट में प्रवास को कम करने में मदद करता है। इस नीति के माध्यम से ग्रामीण भारत में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कार्य होने से बुनियादी ढांचे में सुधार कार्य करने में मदद मिलती है, जिसके कारण देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास सुनिश्चित होता है।

सार्वजनिक नीति निर्माताओं एवं कार्यान्वयन-कर्ताओं के लिए मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों के लाभों एवं प्रभावों को विश्लेषण करना महत्त्वपूर्ण है।

सार्वजनिक नीति के रूप में मनरेगा का कार्यान्वयन

सार्वजनिक नीति के रूप में मनरेगा, 2005 का कार्यान्वयन भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के देख-रेख में किया जाता है। यह नीति मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने वाली विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी नीति है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण भारत में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिवसों हेतु मजदूरी रोजगार गारंटी उपलब्ध करना। ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन, एवं सतत विकास के लक्ष्य को बढ़ावा देने के साथ गरीबी का उन्मूलन करना है। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की रूपरेखा पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा लगभग 50 प्रतिशत तक का निर्धारण करने के साथ उन्हें लागू किया जाता है। इस प्रकार मनरेगा की कार्यप्रणाली देश में विकेंद्रीकृत शासन प्रक्रिया को सशक्त करने पर जोर देता है (जोतिया, 2013)।

मनरेगा की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने हेतु अनुदान राशि का केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बंटवारा होता है। इसके तीन प्रमुख मदों से अनुदान राशि का व्यय किया जाता हैं- मजदूरी श्रम व्यय (अकुशल, अर्ध-कुशल एवं कुशल श्रम), सामग्री हेतु व्यय, तथा प्रशासनिक लागत व्यय। इन व्ययों में केंद्र सरकार द्वारा अकुशल श्रम व्यय का 100 प्रतिशत, अर्ध-कुशल एवं कुशल श्रम की लागत का 75 प्रतिशत, सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत व्यय एवं प्रशासनिक लागत व्यय का 6 प्रतिशत प्रदान किया जाता है (जोतिया, 2013)।

मनरेगा अधिनियम को 2005 में देश की संसद द्वारा पारित किया, वर्ष 2006 में प्रथम चरण के साथ लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से लेकर वर्तमान में मनरेगा देश के सभी जिलों में शत-प्रतिशत शहरी क्षेत्र को छोड़कर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। अर्थात देश के 739 जिलों के 7,163 विकासखंडों एवं 2,69,743 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के मुख्य निष्पादन संकेतक के प्रदर्शन का मूल्यांकन

मनरेगा के तहत स्वीकृत श्रम बजट (वित्तीय वर्ष 2020-21)

मनरेगा को केन्द्रीय बजट से होने वाले स्वीकृत श्रम बजट (व्यक्ति-दिवस) में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 385.67 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया था। जो विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 से लगभग रुपये 100 करोड़ से अधिक अनुमोदित किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से 1,09,810.68 करोड़ रुपये केन्द्रीय वित्तीय अनुदान राशि जारी की गयी।

मनरेगा के तहत लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व एवं रोजगार का सृजन संबंधित आकड़े

ग्राफ 1

मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्डों एवं रोजगार का सृजन

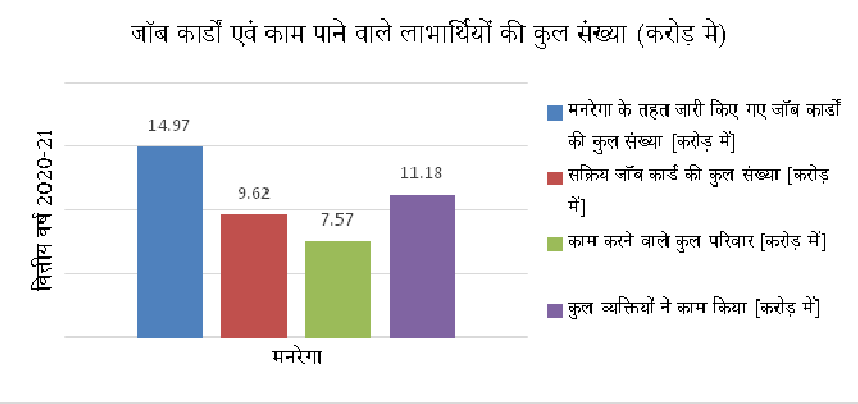

स्रोत : मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डेशबोर्ड, 2020-21।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी किए गए कुल जॉब कार्ड और कामगारों की संख्या उपरोक्त दिए गए ग्राफ संख्या 01 में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार मानरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 14.97 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय जॉब कार्ड का 9.62 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 7.57 करोड़ परिवारों तथा व्यक्ति के स्तर पर 11.18 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ग्राफ 2

आर्थिक रूप से कमजोर एवं समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी

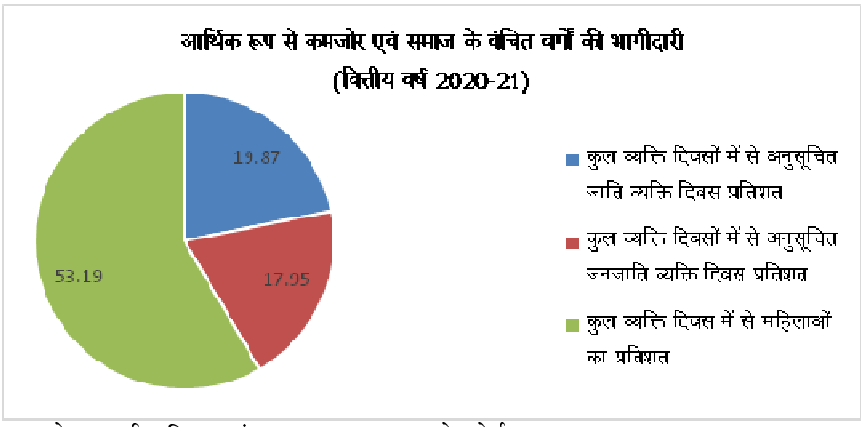

स्रोत : मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डेशबोर्ड, 2020-21।

ग्राफ 2 में प्रदर्शित आंकड़े, आर्थिक रूप से कमजोर एवं समाज के वंचित वर्गों तक सार्वजनिक नीति का लाभ पहुँचने एवं उनके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार से संबंधित है। इन आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले कुल प्रति व्यक्ति कार्य-दिवस में अनुसूचित जाति के व्यक्ति दिवस का प्रतिशत 19.87 है। जबकि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति दिवस का प्रतिशत 17. 95 है। मनरेगा, सार्वजनिक नीति के रूप में महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनरेगा के तहत कार्य में महिलाओं की एक-तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है। ग्राफ 2 में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत कुल व्यक्ति दिवसों में महिलाओं की 53.19 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है।

तालिका 1

मनरेगा के तहत उपलब्ध कराए गए रोजगार सृजन से संबंधित मुख्य मापदण्ड संकेतक

मनरेगा के तहत रोजगार सृजन से संबंधित मुख्य मापदण्ड संकेतक	वित्तीय वर्ष 2020-2021
प्रति परिवार को प्रदान किए गए रोज़गार के औसत दिन	51.44
औसत मजदूरी दर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (रु.)	200.71
मजदूरी रोजगार के 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की कुल संख्या	7178290
कुल परिवारों ने काम किया (करोड़ में)	7.57
कुल व्यक्तियों ने काम किया (करोड़ में)	11.2

स्रोत : मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डेशबोर्ड, 2020-21।

तालिका 1 में प्रदर्शित आकड़ों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत प्रति परिवार को सृजित किए गए रोजगार का औसत दिवस 51.44 है। हालांकि मनरेगा के तहत मजदूरी रोजगार के 100 दिनों तक पूरे करने वाले परिवारों को कुल संख्या 71 लाख 78 हजार 290 रही। इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 7.57 करोड़ परिवारों को एवं 11.2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस दौरान मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले प्रति व्यक्ति को औसतन 200.71 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया। इस प्रकार मनरेगा एक सार्वजनिक नीति के रूप में ग्रामीण भारत में 100 दिनों की रोजगार गारंटी उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेश कर गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मनरेगा के तहत अवसंरचना के निर्माण एवं विविध योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों का विश्लेषण

मनरेगा एक सार्वजनिक नीति के रूप में अन्य योजनाओं के साथ सम्बद्धता रखती है। एक सार्वजनिक नीति के रूप में मनरेगा ग्रामीण भारत में 100 दिनों का गारंटी मजदूरी रोजगार देने हेतु भारत सरकार के कई अन्य सम्बन्ध योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पर,

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने हेतु श्रमिक को रोजगार देने में, स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरेलू शौचालय, लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉक पिटस, सालिड रिसोर्स मैनेजमेंट, तथा नैचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट (एनआरएम) योजना के तहत वृक्षारोपण, एवं अन्य कार्यों को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

तालिका 2

मनरेगा के कार्यान्वयन में प्रति वित्तीय वर्ष के अपेक्षित परिणाम बनाम वास्तविक परिणाम

क्र.	अपेक्षित परिणाम बनाम वास्तविक परिणाम	संख्या में
1	पूर्ण किए गए 'अपेक्षित परिणाम' वाले कार्यों की संख्या	112361246
2	रिकॉर्ड किए गए 'वास्तविक परिणाम' के साथ पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	62336462
3	कार्यों की संख्या जहां वास्तविक परिणाम अपेक्षित परिणाम का 10 प्रतिशत अधिक है	342087
4	कार्यों की संख्या जहां वास्तविक परिणाम अपेक्षित परिणाम का 10 प्रतिशत कम है	416419

स्रोत : मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डेशबोर्ड, 2020-21

ग्राफ 3

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय वित्तीय वर्ष में कार्य विवरण : 2020-2021

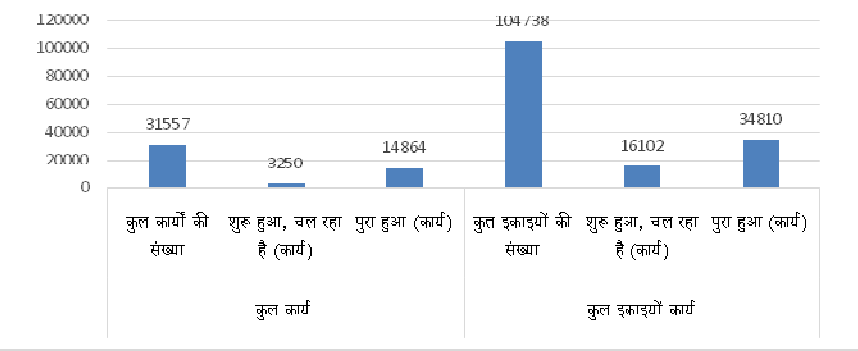

स्रोत : मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डेशबोर्ड, 2020-21

भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम (फ्लेगशिप प्रोग्राम) स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले घरेलू शौचालय का निर्माण कार्य भी मनरेगा के तहत लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण हेतु कुल कार्यों की संख्या 31557 है। इस दौरान व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ और चल रहा है कार्य की संख्या 3250 है। हालांकि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने की संख्या 14864 है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण हेतु कुल इकाइयों की संख्या 104738 है। जिसमें कुल इकाइयों में 34810 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 16102 पर कार्य प्रगति पर है।

तालिका 3
वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए एनआरएम योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों पर प्रगति रिपोर्ट

1	विकासखंडों की संख्या	7196
2	एनआरएम कार्यों की संख्या (जारी है)	5630403
3	एनआरएम कार्यों की संख्या (पूर्ण)	3182434
4	कुल कार्यों की तुलना में एनआरएम कार्यों पर कार्यों का प्रतिशत	38.86
5	एनआरएम कार्यों पर व्यय (लाख में)	7230918.82
6	सभी कार्यों पर व्यय (लाख में)	11203737.06
7	कुल व्यय की तुलना में एनआरएम कार्यों पर व्यय का प्रतिशत	64.54

स्रोत : मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डेशबोर्ड, 2020-21

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत विविध योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए गए है। देशभर में सभी जिलों के 7196 विकासखंडों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) योजना के कार्यान्वयन मनरेगा के तहत संपन्न किया गया। इस योजना के तहत लगभग 318234 कार्य पूर्ण हो चुके है, जबकि 5630403 पर कार्य जारी है। कुल कार्यों की तुलना में एनआरएम योजना के कार्यों का कार्य प्रतिशत 38.86 है। जिस पर कार्य पर 7230918.82 लाख रुपये की व्यय राशि है। उपरोक्त विवरण तालिका संख्या 03 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4
मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवास की कार्य स्थिति का विवरण

स्वीकृत पीएमएवाई (जी) हाउस और मानव दिवस उत्पन्न (वित्तीय वर्ष 2020-21)			
	कार्य की स्थिति		संख्या
मकान	स्वीकृत कार्यों की संख्या वित्तीय वर्ष 2020-2021	पूर्ण हुआ	3724169
		भौतिक रूप से पूर्ण	40660
	व्यक्ति दिवस उत्पन्न	पूर्ण हुआ	292305653
		भौतिक रूप से पूर्ण	3089764

स्रोत : मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डेशबोर्ड, 2020-21

तालिका 4 में प्रदर्शित आंकड़े मनरेगा के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के निर्माण की कार्य स्थिति एवं कुल व्यक्ति दिवसों का विवरण प्रस्तुत कर रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 3724169 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है, जिसमें 40660 आवास भौतिक रूप से पूर्ण तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही कुल व्यक्ति दिवसों की संख्या 292305653 है।

मनरेगा के कार्यान्वयन में चुनौतियां एवं सुधार हेतु सरकार की नई पहल

मनरेगा के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां एवं समस्याएं भी दिखाई पड़ती है। जैसा कि तालिका संख्या 01 में प्रदर्शित आकड़ों के अनुसार पता चलता है, मनरेगा के तहत परिवारों को प्रदान किए गए मजदूरी रोज़गार के दिनों की औसत संख्या अनिवार्य 100 दिनों की तुलना में कम रही है, अर्थात 51.44 औसत दिवस रही है।

- **जॉब कार्डों का निर्माण एवं सक्रिय रहना :** मनरेगा के तहत 16.54 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि 9.54 करोड़ जॉब कार्ड ही सक्रिय है।
- **मजदूरी के भुगतान में देरी :** अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा अनिवार्य रूप से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए श्रमिकों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।
- **बड़ी संख्या में अधूरे कार्य :** मनरेगा के तहत पूर्ण होने वाले कार्यों में देरी हुई है। कार्यान्वयन एजेंसियां 11.23 करोड़ कार्यों में से केवल 6.23 करोड़ कार्यों को ही पूर्ण कर सकीं। जैसा कि तालिका संख्या 02 में प्रदर्शित आकड़ों से पता चलता है, मनरेगा के तहत काम का एक बड़ा प्रतिशत अधूरा है।

मनरेगा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कई नई पहल की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से जियो-मनरेगा तथा जीआईएस आधारित नियोजन है। जियो-मनरेगा की पहल वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया गया। जिसका द्वितीय चरण 1 नवंबर 2017 से शुरू किया गया जो सभी जिलों के लागू किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से अभी तक 4.23 करोड़ परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग किया जा चुका है (मनरेगा वार्षिक प्रतिवेदन, 2020-21)। गुड गवर्नन्स पहल के अंतर्गत इन सुविधाओं के मनरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्डों का सत्यापन कर बोगस जॉब कार्डों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। इन पहल के अतिरिक्त अन्य पहल भी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया है।

निष्कर्ष

ग्रामीण आजीविका सुरक्षा हेतु मनरेगा एक सार्वजनिक नीति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से कमजोर एवं समाज के वंचित परिवारों को 100 दिनों की मजदूरी गारंटी उपलब्ध करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लबगभ 14.97 करोड़ जॉब कार्ड जारी किये गये, जिसमें लगभग 9.62 करोड़ जॉब कार्ड सक्रिय है। इसके साथ ही इस वर्ष मनरेगा के तहत लगभग 7.57 करोड़ परिवारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की गयी। सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के वर्गों को व्यक्ति दिवसों का प्रतिशत 19.87 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति दिवस 17.95 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा। महिला सशक्तिकरण एवं प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए

कुल व्यक्ति दिवसों में से महिलाओं का व्यक्ति दिवस प्रतिशत 53.19 रहा। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण में भी बहुत उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर, मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवास का निर्माण के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्ण हुए आवासों की संख्या 3724169 रही है, जिसमें 40660 आवास भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण होने वाले व्यक्तिगत घरेलू शौचालय कुल कार्य संख्या 31557 रही जिसमें 14864 पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा नैचुरल रिसोर्स मैनेजमेंटयोजना के तहत कुल 7196 विकासखंडों में 5630403 कार्य संपन्न किए जा चुके है। इस तरह मनरेगा एक सार्वजनिक नीति के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, एवं परीसंपत्तियों का निर्माण कार्य एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में भूमिका निभाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आधारभूत अवसंरचना निर्माण एवं वित्तीय समावेशन के साथ सतत विकास के लक्ष्यों पूर्ति में हुए दिखाई पड़ रही है।

सन्दर्भ

भंडारी, बी.एस., ग्रांट, एम्. (2007) 'एनेलिसिस ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी : अ केस स्टडी इन द काली-खोला वाटरशेड ऑफ़ नेपाल', *जर्नल ऑफ़ एनविरोनमेंट मैनेजमेंट*, अक्टूबर, 17-26.

ग्रामीण विकास मंत्रालय (2010). वार्षिक रिपोर्ट (2009-10). भारत सरकार, नई दिल्ली.

जोतिया (2013, सितम्बर). महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट : रिव्य ऑफ़ इम्प्लीमेंटेशन. पीआरएस, दिसंबर 2022 को पुन:प्राप्त https://prsindia.org/theprsblog/mahatma-gandhi-national-rural-employment-guarantee-act-review-of-implementation.

मनरेगा का डैशबोर्ड. (2021)। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिसंबर 2021 को पुन:प्राप्त https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/mgnrega.aspx

मनरेगा का डैशबोर्ड. (2021)। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2021 को पुन:प्राप्त https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/state_html/work_actest_outcome.aspx?lflag=eng&fin_year=2020-2021&source=national&labels=labels&Digest=GVEtvTyMaktJ6zoZj/EYWg

मनरेगा का डैशबोर्ड. (2021)। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2021 को पुन:प्राप्त https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/work_rpt_B.aspx?lflag=eng&fin_year=2020-2021&source=national&labels=labels&Digest=GVEtvTyMaktJ6zoZj/EYWg

मनरेगा का डैशबोर्ड. (2021)। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2021 को पुन:प्राप्त https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/ongo_comp_pds_wrk_rpt_new.aspx?lflag=eng&fin_year=2020-2021&source=national&labels=labels&Digest=GVEtvTyMaktJ6zoZj/EYWg

मनरेगा की वार्षिक रिपोर्ट (2020), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 10 दिसंबर 2021 को पुन:प्राप्त, https://rural.nic.in/sites/default/files/AnnualReport2020_21English.pdf-

प्रेस सूचना ब्यूरो (2021, 27 नवंबर), प्रेस सूचना ब्यूरो, दिसंबर 2021 का पुन:प्राप्त https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1775489.

सिंह, पी.के. और हिरेमठ, बी.एन. (2010), 'सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंडेक्स इन अ डेवलपिंग प्लानिंग'. *इकोलॉजिकल इंडीकेटर्स*, 10(2): 442-51.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 125-137)

मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन: कोविड-19 महामारी के विशेष संदर्भ में

केशव टेकाम* एवं आलोक कुमार विश्वकर्मा†

बीड़ी श्रमिकों की स्थिति कभी भी अनुकूल नहीं रही है। बीड़ी रोलिंग गतिविधियों में महिलाओं और बाल श्रमिकों की भागीदारी अधिक होती है। प्रस्तुत आलेख का प्रमुख उद्देश्य कोविड-19 महामारी से पूर्व और महामारी के दौरान बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति एवं उन्हे आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना है। समंकों कों प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र किया गया। प्राथमिक समंकों के आधार पर 100 श्रमिकों के अध्ययन मे यह पाया गया कि सागर जिले के बीड़ी श्रमिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जिसका मुख्य कारण गरीबी है उत्तरदाता ठेकेदारों के लिए काम कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि वे ठेकेदारों के अधीन है। प्राप्त होने वाली मजदूरी बहुत कम है, जो उनके परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तरदाताओं को स्वास्थ्य समस्याएं उनके व्यवसाय के कारण है। सागर में बीड़ी श्रमिकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम संचालन की आवश्यकता है।

*सह-प्राध्यापक,अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
†शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
E-mail: alokv029@gmail.com

प्रस्तावना

अर्थशास्त्र में उत्पत्ति के पाँच साधन होते हैं - भूमि, पूँजी, श्रम, साहस एवं संगठन, जिनमें से श्रम को उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अर्थशास्त्र में किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं, जो आय अर्जन की प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास में उस देश के श्रमिकों का मूल्यवान योगदान रहता है। श्रमिकों को राष्ट्र की उन्नति की आधारशिला माना जाता है।

भारत एक विकासशील एवं श्रम प्रधान देश है जो अपनी उन्नति एवं विकास के प्रति जागरूक एवं तीव्र गति से निरन्तर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। भारत के श्रमिक मेहनत-मजदूरी करके अपना एवं अपने घर-परिवार का जीवन-निर्वाह करते है। भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग श्रमिकों का है। यहाँ श्रमिक संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत है। देश में एक छोटे से भाग को ही संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है, संगठित क्षेत्र में रोजगार एवं आय के पर्याप्त अवसर न होने के कारण ज्यादातर श्रमिक असंगठित क्षेत्र में ही कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र काफी फैला हुआ है, देश में लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में ही कार्यशील है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 65 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से प्राप्त होता है। भारत में अधिकांश रोजगार असंगठित क्षेत्र में ही है। वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ. का 68वां दौर) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 47 करोड़ था। जिसमें संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग 8 करोड़ तथा शेष 39 करोड़ रोजगार असंगठित क्षेत्र में था। असंगठित क्षेत्र में महिला, पुरुष, वृद्ध एवं बच्चे सभी कार्यरत है जिनमें से महिला एवं बच्चे असंगठित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कार्यशील हिस्सा है। सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएँ कृषि श्रमिक के तौर पर कृषि कार्यों में संलग्न है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में जैसे बीड़ी उद्योग, भवन निर्माण, घरेलू उद्योग तथा छोटे स्तर के व्यापार एवं सेवा कार्यों में संलग्न है।

असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र के उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योग से है, जिन पर कारखाना अधिनियम 1948 लागू नहीं होता है तथा वे सभी छोटी-छोटी उद्यम इकाइयाँ है जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है जिनका सरकार के साथ कहीं भी पंजीकरण नहीं किया जाता तथा ये कम वेतन, आय वाले उद्योग होते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ऐसे श्रमिक होते है जो कि घरों में, फुटपाथ पर या किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं, इनमें रोजगार की अनिश्चितता, नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा तथा सेवानिवृत्ति पर किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है। श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - 1. व्यवसाय के आधार पर - छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, हिस्सा साझा करने वाले, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, लेवलिंग और पैकेजिंग के कार्य

में संलग्न श्रमिक, ईंट-भट्टा और पत्थर खदानों में कार्यरत श्रमिक, बुनकर, बढ़ई, भवन और अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों आदि को इस श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। 2. रोजगार की प्रकृति के आधार पर - संलग्न खेतीहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, अनुबंधी और दैनिक मजदूर आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 3. विशेष व्यक्ति श्रेणियों के आधार पर - ताड़ी बनाने वाले, सफाईकर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले, सिर पर भार ढोने वाले, पशु चलित वाहन वाले श्रमिक इस श्रेणी में शमिल हैं। 4. सेवा श्रेणियाँ - घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएँ, नाई, रसोइये, सब्जी और फल विक्रेता, अखबार विक्रेता, रेहड़ी लगाने वाले आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

बीड़ी उद्योग

बीड़ी उद्योग सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। मध्यप्रदेश में बीड़ी उद्योग के विकसित होने के प्रमुख दो कारण हैं। पहला, यहाँ श्रमिक निम्न मजदूरी दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। दूसरा, यहाँ तेंदूपत्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता, जो कि बीड़ी उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, जबलपुर, सागर, दमोह आदि क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। जिसका अधिकांश भाग राज्य बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होता है तथा शेष बचा हुआ भाग अन्य राज्यों को निर्यात किया जाता है। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है और इसके लिए बहुत कम कौशल की आवश्यकता पड़ती है। अत: महिलाएँ, बच्चे, लड़कियाँ एवं दिव्यांग लोग भी बीड़ी बनाने का काम करते हैं। समस्त कच्चे माल का उत्पादन क्षेत्र में ही किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए निम्न तीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है - 1. तेंदू की पत्तियों को धोकर सुखाना और उचित आकार में काटना। 2. फिर इन पत्तियों पर तम्बाकू की उपेक्षित मात्रा फैलाना और इन्हें शंकु का आकार देना। दोनों छोरों को एक तीली की सहायता से मोड़कर पतले छोर को धागे में बांधना। 3. बीड़ी के बंडल बनाकर ठेकेदार को सौंप देना।

कोविड-19

कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी का भारत में एक रूप है, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलती है। कोविड-19 चीन के वुहान शहर में 31 दिसम्बर 2019 के आसपास उत्पन्न हुई। 30 जनवरी 2020 को वहाँ पहला मामला दर्ज किया गया। भारत में कोविड-19 के पहले मामले केरल राज्य के त्रिशुर, अलाप्पुझा और कासरगोड शहर में सामने आए जिनमें तीन भारतीय मेडिकल छात्र चीन के वुहान शहर से वापस लौटे थे। केरल में 23 मार्च और देश के बाकी हिस्सों में 25 मार्च में तालाबंदी (लॉकडाउन) की घोषणा की गई। मई 2020 के मध्य तक पाँच शहरों मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई तथा ठाणे में कोरोना सर्वाधिक था। 1 जून को भारत में कोविड के मरीजों के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। जनवरी 2021 में संक्रमण की दर में कमी हुई। पुन: मार्च 2021 को दूसरी लहर शुरू हुई जिसके चलते 25 मार्च से पुन: तालाबंदी की गई। देश के ज्यादातर हिस्सों में टीकों, अस्पताल में बिस्तरों, ऑक्सीजन

सिलेण्डर और अन्य दवाओं की कमी के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हुई। अप्रैल 2021 के अंत तक भारत में सक्रिय मामले सर्वाधिक रहे। कोरोना वायरस की गंभीरता के कारण, अधिकांश देशों ने कई महीनों के लिए तालाबंदी और यात्रा प्रतिबंध लगा दिये ताकि लोग घर पर रहकर सुरक्षित रह सकें।

वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है कोविड-19 महामारी ने प्रौद्योगिकी, दो देशों के बीच व्यापार, शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक गतिविधियाँ, आपसी तालमेल, रोजगार सभी को प्रभावित किया है। भारत जैसे विकासशील देश जहाँ स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी या अभाव रहा है पहले भी मलेरिया, चेचक, पीलिया, बुखार, हैजा, कुष्ठ एवं प्लेग, स्वाईन फ्लू जैसी महामारी का सामना किया है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों में फैक्टरी, कारखानों बंद कर दिये गये जिसके कारण उसमें कार्यरत लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए। अचानक श्रमिकों की रोजी-रोटी छिन गई तथा उन्हें अपने घरों की ओर पलायन करना पड़ा। कई श्रमिक पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े, यात्रा के दौरान भूख-प्यास, थकावट, पैर के छालें एवं सड़क दुर्घटनाओं में असंख्य श्रमिकों को अपनी जान भी गवांनी पडी।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है, प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु अनुसूची बनाकर, अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की जानकारी हेतु अध्ययन क्षेत्र में जाकर 100 उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई है। जिसमें बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के रोजगार, आय, कार्य के घंटों, रहन-सहन का स्तर एवं कार्यदशाओं आदि की जानकारी प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त की गई है। असंगठित क्षेत्र, बीड़ी उद्योग, श्रमिकों, पूर्व साहित्य का अवलोकन, सागर नगर एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर आकडों का विश्लेषण किया गया है। द्वितीयक स्रोत का उपयोग भी किया गया है।

पूर्व साहित्य का अवलोकन

तिवारी वेद प्रकाश (2019), 'महिला बीड़ी श्रमिकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव एक अध्ययन : रीवा नगर के संदर्भ में' प्रस्तुत शोध पत्र में, बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया गया है। शोधार्थी ने बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के परिवार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया है।

अंसारी, मो. शमीम एवं राज, अर्पणा (2015), 'बुंदेलखण्ड के महिला बीड़ी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अनुभवजन्य विश्लेषण' प्रस्तुत शोध में बुंदेलखण्ड क्षेत्र की महिला बीड़ी श्रमिकों का अध्ययन प्राथमिक समंकों द्वारा किया गया जिसमें प्राप्त समंकों के अनुसार 94 प्रतिशत महिलाऐं अपने बीड़ी निर्माण के कार्य से संतुष्ट नहीं है, अगर उन्हें कोई अन्य कार्य मिलता है तो वे बीड़ी निर्माण का कार्य छोड़कर नये कार्य में संलग्न होना चाहेगी।

बीड़ी रोलिंग के कार्य में कम उम्र के बच्चे स्कूल छोड़कर शामिल हो जाते हैं। परन्तु बीड़ी रोलिंग से कम आय प्राप्त होने के कारण बीड़ी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।

चौबे, नरेन्द्र (2002) ने सागर के नगरीय इतिहास का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने सागर नगर से संबंधित अनेक जानकारियों का उल्लेख किया है। सागर नगर के प्राचीन नगरीय इतिहास के बारे में वर्णन किया है। तथा किस तरह से सागर नगर के निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास हुआ इसका भी उल्लेख है। राठौर, संजीव (2001) ने सागर जिले में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल एवं स्त्री श्रमिकों के समस्त पहलुओं एवं उनकी समस्याओं आदि का अध्ययन करके इस पर अपने सुझाव अपने शोध प्रबंध के माध्यम से प्रस्तुत किये है कि किस तरह सामाजिक सहायता न मिलने के कारण और इलाज की समुचित सुविधा न होने के कारण श्रमिक घुटनभरी जिंदगी जीते रहते हैं। अवस्थी, सुषमा (1993) ने अपने लघु शोध प्रबंध, रहली नगर में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में इनकी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया है। जैन, निशा (1987) ने सागर नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बीड़ी श्रमिकों के जीवन स्तर तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण अध्ययन किया। इनके अनुसार बीड़ी बनाने के कार्य में संलग्न अधिकांश श्रमिक निम्न एवं पिछड़ी जातियों के है। इन्होंने श्रमिकों की समाज में जो दशा है उसका अध्ययन करके पता लगाया कि बीड़ी बनाने के कार्य को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है तथा बीड़ी श्रमिकों को हीन एवं निम्न श्रेणी का मानकर उनसे सामाजिक भेदभाव किया जाता है।

आंकडों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1
उत्तरदाता श्रमिकों की आयु संरचना

क्र.	आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	18-35 वर्ष	32	32.0
2	36-60 वर्ष	58	58.0
3	61 से अधिक	10	10.0
	योग	100	100.0

स्रोत - प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 1 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 32 प्रतिशत बीड़ी श्रमिक 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की आयु के हैं, 58 प्रतिशत बीड़ी श्रमिक 36-60 वर्ष की आयु वर्ग के है तथा 10 प्रतिशत बीड़ी श्रमिक 61 वर्ष से अधिक आयु समूह के हैं। अत: स्पष्ट है कि सागर नगर के बीड़ी निर्माण में सर्वाधिक श्रमिक 36-60 वर्ष की आयु वर्ग के कार्यरत है तथा 10 प्रतिशत श्रमिक 61 वर्ष की आयु से भी अधिक है जो कि यह दर्शाता है

कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव एवं पर्याप्त बचत न होने के कारण उन्हें इस वृद्धावस्था में भी कार्य करना पड़ रहा है।

तालिका 2
उत्तरदाता श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	32	32.0
2	प्राथमिक स्तर	26	26.0
3	माध्यमिक स्तर	22	22.0
4	उच्चतर स्तर	20	20.0
	योग	100	100.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 2 तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बीड़ी श्रमिक निरक्षर हैं जिनकी आयु 35 से 60 के बीच है और जिन्हें पारिवारिक समस्याओं के चलते शिक्षा प्राप्ति का मौका नहीं मिला।

26 प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ चुके थे, 22 प्रतिशत श्रमिकों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त की, 20 प्रतिशत श्रमिक उच्च स्तर तक शिक्षित पाये गये हैं जिन्होंने परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए आगे पढ़ाई करना उचित नहीं समझा। 12वीं और बी.ए., बी.एससी. (स्नातक) करने के उपरान्त कोई नौकरी न मिलने के कारण घर पर रहकर बीड़ी बनाना शुरू किया। इसमें ज्यादातर वे महिलाऐं शामिल है जिनकी कम उम्र में ही शादी हो गई और परिवार की लड़कियाँ भी शामिल है जो अपनी शिक्षा को जारी न रखकर घर पर ही बीड़ी बनाने के काम में मदद करती हैं।

तालिका 3
श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के घंटे

क्र.	कार्य के घंटे	उत्तरदाताओं की संख्या		प्रतिशत	
		कोविड पूर्व	कोविड के समय	कोविड पूर्व	कोविड के समय
1	4-6 घंटे	20	22	20.0	22.0
2	6-8 घंटे	36	16	36.0	16.0
3	8-10 घंटे	44	20	44.0	20.0
	योग	100	58	100.0	58.0

स्रोत - प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 3 के अनुसार कोविड पूर्व 20 प्रतिशत श्रमिक प्रतिदिन 4 से 6 घंटे, 36 प्रतिशत श्रमिक 6 से 8 घंटे और 44 प्रतिशत श्रमिक 08 से 10 घंटे पूर्णकालिक रूप से बीड़ी

बनाते थे। लेकिन कोविड के दौरान बीड़ी निर्माण कार्य में कमी होने के कारण 22 प्रतिशत श्रमिक दिन में 4 से 6 घंटे, 16 प्रतिशत श्रमिक 6 से 8 घंटे एवं 20 प्रतिशत श्रमिक ही 8 से 10 घंटे अंशकालिक रूप से बीड़ी निर्माण का कार्य करते थे।

तालिका 4
श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन बनाई जाने वाली बीड़ियों की संख्या

क्र.	प्रतिदिन बनाई जाने वाली बीड़ियों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या		प्रतिशत	
		कोविड पूर्व	कोविड के समय	कोविड पूर्व	कोविड के समय
1	500-600	27	12	27.0	12.0
2	600-800	30	10	30.0	10.0
3	800-1000	43	14	43.0	14.0
	योग	100	36	100.0	36.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 4 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कोविड पूर्व 43 प्रतिशत श्रमिक प्रतिदिन सर्वाधिक 800 से 1000 तक बीड़ियों का निर्माण करते थे, 30 प्रतिशत श्रमिक ऐसे थे जो 600 से 800 बीड़ियों का निर्माण करते थे और 27 प्रतिशत श्रमिक 500 से 600 बीड़ियों का निर्माण प्रतिदिन करते थे। लेकिन कोविड की वजह से बीड़ी का कार्य बंद या उसमें कमी रहने के कारण बीड़ी निर्माण की दर की कमी आई। कोविड के दौरान केवल 14 प्रतिशत श्रमिक ही ऐसे थे जो 800 से 1000 बीड़ी बनाते थे।

तालिका 5
बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कुल मासिक आय

क्र.	कुल मासिक आय (रुपयों में)	उत्तरदाताओं की संख्या		प्रतिशत	
		कोविड पूर्व	कोविड के समय	कोविड पूर्व	कोविड के समय
1	1500-2000	28	12	28.0	12.0
2	2000-2500	24	10	24.0	10.0
3	2500-3000	27	08	27.0	08.0
4	3000-4000	21	18	21.0	18.0
	योग	100	48	100.0	48.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 5 के अध्ययन से यह पता चलता है कि कोविड पूर्व 28 प्रतिशत श्रमिकों को रुपये 1500 से 2000 तक मासिक आय प्राप्त होती थी, ये सामान्यत: अकुशल श्रमिक हैं जो बीड़ी रोलिंग का कार्य करते थे, 24 प्रतिशत श्रमिकों को रुपये 2000-2500 प्राप्त होने थे। 27 प्रतिशत श्रमिकों में ऐसी महिलायें हैं, जो 08 से 12 घंटे बीड़ी रोलिंग करके रुपये 2500 से 3000 मासिक प्राप्त करती थी एवं 21 प्रतिशत श्रमिकों को रुपये 3000 से 4000

तक रुपये मासिक प्राप्त होते थे। परंतु कोविड के कारण बीड़ी का काम कम होने से इन श्रमिकों की आय में कमी आई।

तालिका 6
बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के आवास का प्रकार

क्र.	आवास का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	100	100.0
2	किराए का	0	0
3	कच्चा	62	62.0
4	पक्का	38	38.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 6 से स्पष्ट होता है कि सागर नगर के बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में सभी के पास स्वयं का मकान है जिसमें से 62 प्रतिशत कच्चे मकान में निवास करते हैं और 38 प्रतिशत श्रमिक पक्के मकानों में रहते हैं।

तालिका 7
श्रमिकों के पास मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता का विवरण

क्र.	मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	कोई साधन नही है	66	66.00
2	टी.वी.	34	34.00
	कुल	100	100.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 7 तालिका से स्पष्ट है कि 66 प्रतिशत श्रमिकों के पास मनोरंजन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन के साधन के रूप में टी. वी. उपलब्ध है। इस क्षेत्र के श्रमिकों में मनोरंजन के प्रति कम रूचि पायी जाती है। महिलाएँ आपस में एक साथ बैठकर ही एक दूसरे से बातचीत करके अपना समय काटती है। दूसरा कारण कम आय भी है एवं ज्यादातर महिलाएं तम्बाकू के संपर्क में रहकर इसका सेवन करती है जिससे इनका मनोरंजन के साधनों के प्रति आकर्षण कम होता है।

तालिका 8
श्रमिकों के पास संचार साधनों की उपलब्धता

क्र.	संचार साधनों की उपलब्धता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	कोई साधन नहीं	38	38.0
2	कीपेड मोबाईल	42	42.0
3	स्मार्ट फोन	20	20.0
	कुल	100	100.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 8 के अध्ययन से पता चलता है कि 38 प्रतिशत श्रमिकों के पास संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, 42 प्रतिशत श्रमिकों के पास की-पेड मोबाईल उपलब्ध है तथा 20 प्रतिशत श्रमिकों के पास स्मार्ट-फोन उपलब्ध है।

तालिका 9

बीड़ी श्रमिकों के पास राशन कार्ड का विवरण

क्र.	राशन कार्ड की उपलब्धता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	राशन कार्ड है	60	60.0
2	राशन कार्ड नहीं है	40	40.0
	कुल	100	100.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 9 में सागर नगर के बीड़ी श्रमिकों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तालिका से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत श्रमिकों के पास राशनकार्ड उपलब्ध है एवं 40 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिकों के पास राशनकार्ड नहीं है।

तालिका 10

श्रमिकों के पास उपलब्ध राशन कार्ड का प्रकार

क्र.	राशन कार्ड का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	ए.पी.एल.	16	16.0
2	बी.पी.एल	30	30.0
3	अन्त्योदय	14	14.0
	कुल	60	60.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 10 में सागर नगर के बीड़ी श्रमिकों के पास उपलब्ध राशन कार्ड के प्रकारों से संबंधित आकडें प्रस्तुत किए गए है। जैसा कि पूर्व तालिका 9 से ज्ञात हैं, कि केवल 60 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिकों के पास ही राशन कार्ड उपलब्ध हैं, जिनमें से क्रमशः 16 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिकों के पास ए.पी.एल. राशनकार्ड है। 30 प्रतिशत श्रमिकों के पास बी.पी.एल. राशनकार्ड है एवं 14 प्रतिशत श्रमिकों के पास अन्त्योदय राशनकार्ड, राशन पर्ची है।

तालिका 11

श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान प्राप्त सरकारी राशन सहायता

क्र.	राशन प्राप्ति की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सरकारी राशन प्राप्त हुआ	44	44.0
2	कोई राशन प्राप्त नहीं हुआ	66	66.0
	कुल	100	100.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 11 के अध्ययन से ऐसे श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान सरकारी राशन प्राप्त हुआ ऐसे श्रमिकों की संख्या 44 प्रतिशत है। जबकि 66 प्रतिशत श्रमिकों को उनका राशन कार्ड न होने के कारण या जानकारी के अभाव में सरकारी राशन सहायता से वंचित रहना पड़ा।

तालिका 12
श्रमिकों की लॉकडाउन के दौरान ऋणग्रस्तता की स्थिति

क्र.	ऋणग्रस्तता की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	ऋण लिया है	68	68.0
2	ऋण नहीं लिया है	32	32.0
	कुल	100	100.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 12 से स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान अपने जीवनयापन के लिए ऋण लेना पड़ा। जबकि 32 प्रतिशत श्रमिकों के पास अपनी बचत का कुछ हिस्सा था जिसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने भरण-पोषण में खर्च कर दिया। उन्हें लॉकडाउन के दौरान ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

तालिका 13
श्रमिकों की लॉकडाउन के दौरान ऋण के साधन

क्र.	ऋण के साधन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	मित्र या रिश्तेदार से	32	47.06
2	नियोजक से	12	17.64
3	सेठ साहूकार से	16	23.53
4	बैंक या अन्य संस्था से	08	11.77
	कुल	68	100.0

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका 13 के अध्ययन अनुसार लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को ऋण प्राप्त करने के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व तालिका अनुसार केवल 68 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिक ही ऐसे है, जिन्होंने ऋण लिया है। अत: 68 प्रतिशत श्रमिकों का 47.06 प्रतिशत श्रमिकों ने अपने मित्र एवं रिश्तेदार एवं जानने वालो से ऋण लिया, 17.64 प्रतिशत श्रमिकों ने नियोजक, सट्टेदार या बीड़ी मालिकों से पैसे उधार लिये, 23.53 प्रतिशत श्रमिकों ने सेठ-साहूकार, दुकानदार से ऋण लिया, 11.77 प्रतिशत श्रमिकों ने बैंक एवं अन्य संस्था से ऋण राशि प्राप्त की।

निष्कर्ष

साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करके, तथ्यों का संकलन किया गया है। तत्पश्चात तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया है। सागर का बीड़ी उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में असंगठित होने के कारण इसमें अभी तक कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं हुआ है, यह अभी भी परम्परागत ही बना हुआ है। बीड़ी उद्योग पर अधिकांश अध्ययन प्राथमिक माध्यम से ही किए जाते है फिर भी बीड़ी निर्माण की प्रक्रिया के बिखरे हुए स्वरूप के कारण श्रमिकों की वास्तविक गणना अत्यधिक कठिन है। बीड़ी मजदूर नजदीकी बीड़ी मालिक या सट्टेदार से कच्चा माल प्राप्त करते है और एक परिवार के सदस्य आपस में मिलकर बीड़ी बनाते है।

प्राथमिक अध्ययन के दौरान पाया गया कि सागर नगर के बीड़ी निर्माण में सर्वाधिक महिलाऐं कार्यरत है जिनकी आयु 35 से 60 के बीच है जो कि बीड़ी रोलिंग का कार्य करती है। इनमें से ज्यादातर महिलाएँ अशिक्षित है। बीड़ी बनाने का कार्य मुख्यत: महिलाओं, परिवार की लड़कियों, बच्चों एवं बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। कुछ महिलाएँ 9-10 वर्ष की आयु से बीड़ी बना रही है कुछ विवाह पश्चात् फिर भी इनके नामों का उल्लेख किसी भी बीड़ी निर्माता या सट्टेदार के पास रजिस्टर में नहीं होता। घर पर रहकर बीड़ी रोलिंग करने वाले कामगारों में 84 प्रतिशत महिलाएँ एवं 16 प्रतिशत पुरुष हैं। 38 प्रतिशत पुरुष भी बीड़ी रोलिंग का काम करते हैं जिसमें वे पैकिंग और बीड़ी लेबलिंग का काम करते हैं जो कि प्रतिदिन 08 से 10 घंटे कार्य करके रुपये 3000 से 4000 तक मासिक प्राप्त करते हैं ज्यादातर परिवारों की आय बहुत कम या न के बराबर है और इन परिवारों में आय का प्रमुख स्रोत महिला श्रमिकों द्वारा बीड़ी रोलिंग है। बीड़ी श्रमिकों को 1000 बीड़ी रोलिंग पर रुपये 70-80 साप्ताहिक भुगतान किया जाता है बीड़ी रोलर्स को तम्बाकू कच्चे माल के रूप में दी जाती है और रोलिंग के बाद तैयार बीड़ी लेते समय तम्बाकू के पैसे घटाकर दिये जाते हैं।

कुछ बीड़ियों में से खराब बीड़ीयाँ निकालकर अलग कर दी जाती है जिन्हें सट्टेदार लेने से मना कर देते है, ऐसे में बीड़ी रोलर्स की मेहनत बेकार जाती है। मासिक आय की बात करें तो बीड़ी रोलिंग श्रमिकों को रुपये 2000 से 2500 उनके द्वारा तैयार बीड़ियों के आधार पर मिलता है, श्रमिकों को बीड़ी बनाने से प्राप्त आय पर्याप्त नहीं होती है। उन्हें जो भी आय प्राप्त होती है उसका सम्पूर्ण भाग भोजन और बच्चों की शिक्षा पर ही खर्च हो जाता है तथा अन्य खर्चों के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अध्ययन से प्राप्त हुआ 68 प्रतिशत श्रमिक ऐसे है जिन्होंने कोविड-19 के पूर्व एवं दौरान अपने जीवनयापन के लिए मित्र-रिश्तेदार, सेठ-साहूकार एवं नियोक्ता से ऋण लिया है जो श्रमिक कोविड पूर्व 08 से 10 घंटे काम करके 800 से 1000 बीड़ी बनाते थे कोविड के दौरान बीड़ी निर्माण का काम बंद होने से उनकी बीड़ी निर्माण की दर में कमी आई, कुछ का काम बंद हो गया। जिसमें से 10 प्रतिशत श्रमिकों ने स्वयं के धंधे जैसे- चाय, नाश्ता की ठेली, सब्जी विक्रय, चाट की ठेली, सिलाई का काम प्रारम्भ किया। कई बीड़ी श्रमिकों को 4 से 6 माह बेरोजगार रहना पड़ा।

यदि आवास की बात करें तो सभी श्रमिकों के पास स्वयं का मकान है जिनमें से 62 प्रतिशत कच्चे मकान में निवास करते है, जिनमें रसोई, शौचालय, पेयजल एवं स्नानागार आदि की सुविधा नहीं है। उत्तरदाता श्रमिकों में से 60 प्रतिशत श्रमिकों के पास राशनकार्ड है, जबकि 40 प्रतिशत श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है। जिन श्रमिकों के पास राशनकार्ड है उनमें से 44 प्रतिशत श्रमिकों को ही कोविड के दौरान सरकारी राशन प्राप्त हुआ। अध्ययन के दौरान पाया गया कि 66 प्रतिशत श्रमिकों के पास मनोरंजन के साधन जैसे टी.वी., रेडियो आदि नहीं है तथा 38 प्रतिशत श्रमिक ऐसे है जिनके पास संचार के कोई भी साधन जैसे कीपेड मोबाईल, स्मार्टफोन आदि उपलब्ध नहीं है। बीड़ी उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादित बीड़ी का 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग हाथ से तैयार किया जाता है लेकिन धीरे-धीरे बीड़ी के उद्योग में गिरावट आती जा रही है। अध्ययन क्षेत्र के ज्यादातर श्रमिक कोविड के प्रति सचेत एवं जागरूक है तथा 78 प्रतिशत श्रमिकों का पूर्ण वैक्सीनेशन एवं 22 प्रतिशत श्रमिकों का आंशिक वैक्सीनेशन हो चुका है।

समस्याएँ

आय का कोई नियमित स्रोत न होने के कारण बीड़ी श्रमिकों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीड़ी निर्माण एक अकुशल कार्य है जिसमें किसी विशेष तकनीक का प्रयोग नहीं होता है और यही कारण है कि बीड़ी निर्माण में श्रमिक कम मजदूरी दर पर कार्य करने को मजबूर है। इस क्षेत्र में श्रम की कोई कमी नहीं है अत: मजदूरी की दर बढ़ाने की माँग को लेकर रोजगार से निष्कासित कर देने का भय इन श्रमिकों में बना रहता है। अध्ययन क्षेत्र के प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त समंकों से स्पष्ट होता है कि बीड़ी उद्योग में कार्यरत शत-प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित है। कम भुगतान, कम कार्य दिवस एवं अत्यधिक श्रम इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान बीड़ी श्रमिक, तम्बाकू की धूल, धुंआ आदि के संपर्क में आते है जो कि उनके स्वास्थ्य व्यय को भी बढ़ाता है। 1000 बीड़ी में से 200-300 बीड़ियों को चयन के दौरान अस्वीकृत कर दिया जाता है ऐसे में श्रमिकों की मेहनत बेकार जाती है।

सुझाव

बीड़ी श्रमिक प्राय: अशिक्षित होते है जिनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है। बीड़ी श्रमिकों को आर्थिक समस्या बहुत आती है, इसलिए इन्हें नि:शुल्क ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। ज्यादातर बीड़ी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनको सरकारी योजनाओं से अवगत कराने हेतु प्रचार-प्रसार करवाना चाहिए। सागर नगर के ज्यादातर बीड़ी श्रमिकों को आज भी 1000 बीड़ी पर रुपये 60 से 70 मिलते है जो कि बहुत कम है अत: बीड़ी मालिकों को चाहिए कि वह मजदूरी की दर बढ़ाने का प्रयास करें ताकि बीड़ी श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य

मिल सके। ज्यादातर श्रमिकों के पास राशनकार्ड नहीं है। अत: उन्हें पात्रता पर्चियाँ या राशनकार्ड उपलब्ध करवाये जाये ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकारी राशन सहायता प्राप्त कर सके।

सन्दर्भ

अंसारी, मोहम्मद शमीम, राज, अपर्णा, 'सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ विमेन बीड़ी वर्कर्स इन बुन्देलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, एन एम्पीरिकल एनेलिसिस', *यूटीएमएस जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स,* 2.15

अवस्थी सुषमा, (1993), *रहली नगर के बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन,* लघु शोध प्रबंध, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.).

जैन निशा, (1987), *बीड़ी मजदूर जीवन स्तर एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि (सागर जिले के बीड़ी मजदूरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन),* शोध प्रबंध, मानवशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.).

लार्डिस, पोल सं. (2014), असंगठित कामगार : मुद्दे और चुनौतियाँ, *सूचना बुलेटिन,* लोकसभा सचिवालय शोध एवं सूचना प्रभाग.

राठौर संजीव (2002), *सागर जिले में बीड़ी उद्योग में कार्यरत बाल एवं स्त्री श्रमिकों का अध्ययन,* शोध प्रबंध, वाणिज्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.).

तिवारी, वेद प्रकाश (2019), 'महिला बीड़ी श्रमिकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव : एक अध्ययन (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में)', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यूस एण्ड रिसर्च इन सोशल सांइसेस,* वाल्यूम-7, इश्यू-2.

विएगो, (2020), *असंगठित क्षेत्र पर कोविड-19 संकट का प्रभाव : दिल्ली में असंगठित कामगार,* इन्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, जनपहल.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 21, अंक 1, जून 2023, पृ. 138-140)

पुस्तक समीक्षा

नदी पुत्र : उत्तर भारत में निषाद और नदी

रमाशंकर सिंह
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला और सेतु प्रकाशन, 2022, पृ. 264
पेपरबैक रु. 295/हार्डबैक रु. 625

अजय कुमार*

"मेरे हाथ पतवार खींचते हुए थकते नहीं हैं क्योंकि यदि मेरे हाथ थक गए तो मैं कैसे अपनी जीविका चला पाऊंगा? ... मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए तुम्हारे पेट (गंगा की जलधारा) में नाव चला रहा हूँ। इसी पेट के कारण, भार से लदी हुई यह नाव चला रहा हूँ।"

इस गीत को उद्धृत करते हुए इतिहासकार रमाशंकर सिंह लिखते हैं कि निषादजनों द्वारा नाव चलाने को लेकर इतनी बेधक व्यंजना शायद ही किसी मानव विज्ञानी या इतिहासकार ने दर्ज की हो जितनी इस लोकगीत में दर्ज है। उनकी पुस्तक 'नदी पुत्र : उत्तर भारत में निषाद और नदी' पढ़ते हुए लगता है कि वे शायद अपनी ही शिकायत दूर कर रहे हैं। प्राय: लोग वही पुस्तक लिखते हैं जिसे वे लिखना चाहते हैं। यह पुस्तक सात अध्यायों में बँटी है जिसमें तीन कोटियों की सन्दर्भ सामग्री प्रयुक्त की गयी है : पाठ (टेक्स्ट), अभिलेखागार और क्षेत्र कार्य (फ़ील्ड वर्क)। उन्होंने न केवल ग्रन्थों, प्रसिद्ध विद्वानों की पुस्तकों की मदद

*असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, समाजशात्र विभाग, सामाजिक विज्ञान अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.). **E-mail: ajaykbbau@gmail.com**

ली है बल्कि औपनिवेशिक अभिलेखों और फील्डवर्क के काम बहुत ही खूबसूरती से आपस में पिरो दिया है। इसके एक ब्लर्ब में शेखर पाठक ने ठीक ही लिखा है कि यह पुस्तक स्रोतों की व्याख्या और शोधविधि के लिहाज से इतिहास लेखन में एक हस्तक्षेप है। इसमें पाठ, मानवविज्ञान और अभिलेखीय सामग्री का मोहक समन्वय है। नदियों और उनकी सन्तानों की दास्तान कहते समय लेखक ने लगातार समकालीन मानवीय अनुभव को ऐतिहासिक बदलाव की रोशनी में देखा है। रमाशंकर ने लखनऊ और इलाहाबाद के अभिलेखागारों की सामग्री को कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और चंदौली के निषादों के वर्तमान जीवन से जोड़ दिया है। वे निषाद स्त्रियों के बयान को इस तरह से आपके सामने रखते हैं कि सदियों की गुमशुदा आवाज़ें आपके समक्ष रूप धरकर आ जाती है।

इस पुस्तक में उन्होंने पूर्व औपनिवेशिक भारत में विभिन्न जातियों के प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्ध, निषादों के जीवन, संस्कृति और जीविका के क्षेत्र में नदी-पारिस्थितिकी की भूमिका और उनके जीवनबोध को न केवल गहराई से समझा है बल्कि निषादों के जीवन में नदी की उपस्थिति को भी रेखांकित किया है। रमाशंकर की यह पुस्तक वैदिककाल से होते हुए सीधे हमारे वर्तमान तक चली आती है और वे बताते हैं कि किसी निषाद के जीवन में महर्षि व्यास, एकलव्य के साथ फूलन देवी क्या भूमिका निभाते हैं। नदियों के किनारे विकसित हुई निषाद सँस्कृति के मूल्यांकन के लिए यह एक मुकामी पुस्तक है।

नदी पुत्र बताती है कि निषाद समुदाय ऐतिहासिक रूप से राजस्व प्रदाता और धन का सृजन करने वाला समुदाय रहा है और पुराने समय में परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में नावें ही थीं। उनसे ही देश और समाज चलता था। आजकल की तरह न तो बारहमासी सड़कें थीं और न ही पुल। नावों पर विभिन्न प्रकार के कर और पथकर लगाए जाते थे। यह बहुत रोचक है कि जिन धर्मसूत्रों और स्मृतियों में शूद्रों के बहिष्करण और अस्पृश्यता के विधान लिखे गए थे, उन्हीं धर्मसूत्रों और स्मृतियों में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि देश के लिए समृद्धि और धन का निर्माण यही समुदाय करते थे। रमाशंकर रेखांकित करते हैं कि एक देश के रूप में भारत इन समुदायों का ऋणी है। पुस्तक में कहते हैं -

"वशिष्ठ धर्मसूत्र में नावों पर लगने वाले करों और पथकर/राहदारी का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नावें लम्बी होती थीं और उनमें पर्याप्त यात्री होते थे क्योंकि अपेक्षा की गयी थी कि किसी नाव पर कम से कम दस नाविक होने चाहिए और उनके पास कम से कम दो यंत्र होने चाहिए। ये यंत्र सम्भवत: नाव में पानी भर जाने के समय उससे पानी निकालने के लिए जरूरी रहे होंगे। यात्रियों की संख्या भी नियन्त्रित की गयी थी। नाविकों को नाव में सौ पुरूषों और एक सौ पचास से ज्यादा महिलाओं को बैठाने की अनुमति नहीं थी। यदि नदी का पाट इतना चौड़ा है कि एक तट से तीर चलाने पर यह मध्य में गिर जाए तो नाव से पथकर/राहदारी आठ मासा होना चाहिए। जिस नदी का पाट कम चौड़ा होता था, उसकी पथकर/राहदारी पाँच मासा होना चाहिए और जब नदी सिमटी हुई हो तो यह एक मासा होना चाहिए।"

यह पुस्तक आधुनिक भारत में निषादों की जीविका के क्षरित होते जाने के साथ उनके राजनीतिक सबलीकरण की कहानी को भी बड़ी प्रामाणिकता से कहती है। फूलन देवी के बारे वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि फूलन देवी पहली निषाद सांसद थीं लेकिन उनके सांसद बनने से निषाद जनों को प्रतिरोध की संस्कृति का व्यापक मूल्य पता चला। ... फूलन देवी खुद एक प्रतीक बन गयीं, वह भी जीती-जागती। पुस्तक एक फील्ड नोट को साझा करती है -

"वे हमारे लिए लक्ष्मीबाई और इन्दिरा गाँधी की तरह थीं। उनके कारण नदियों के किनारे तरह-तरह के लोग हमसे बात करने के लिए आने लगे। वे न होतीं तो क्या आप मुझसे यहाँ नदी के किनारे मिलने आते? उनके कारण ही गाँवों, पुरवों और बीहड़ों में रहने वाले गरीब लोगों और मल्लाहों में ताकत आयी। अब हमें कोई धमका नहीं सकता है। कोई आँख नहीं दिखा सकता।"

इधर के एक दशक में निषाद जनों में जो ताकत आई है, उसे उपर्युक्त संदर्भ में समझ सकते हैं।

यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को समझने का सुराग भी उपलब्ध कराती है, खासकर उत्तर मंडल विमर्श में यह ओबीसी विमर्श में उन जातियों की हसरत और दावेदारियों को समझने में मदद करती है जो लोकतंत्र के जुलूस में पीछे छूट गए थे। निषाद समुदाय ने उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी ताकत हासिल कर ली है। निषाद पार्टी के बढ़ते प्रभाव से इसे समझ सकते हैं। नदी पुत्र उस सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पाठक के सामने लाती है जिनसे निषाद पार्टी और ऐसी अन्य पार्टियों का राजनीतिक आधार बनता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के समय उत्तर प्रदेश पर समाज विज्ञानियों, पत्रकारों और राजनीतिक पण्डितों की नज़र रहेगी। उनके लिए यह अनिवार्य पुस्तक है।

...और अंत में इस आशा के साथ कि यह पुस्तक इस विषय पर काम कर रहे समाज विज्ञान के शोध छात्रों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं निषाद समुदाय के लिए एक उपयोगी ग्रंथ साबित होगी।

लेखकों के लिए अनुदेश

मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल में समाज विज्ञान से सम्बन्धित सैद्धान्तिक आलेख, अनुभवजन्य शोध आधारित आलेख, टिप्पणियाँ और पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशित की जाएँगी। लेखकों से निवेदन है कि अपनी रचनाएँ प्रकाशन हेतु प्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखें -

- कृपया अपनी रचना को यूनीकोड फॉन्ट में टंकित कर एमएस-वर्ड फाइल में mailboxmpissr@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें। शोध आलेख की शब्द सीमा 3500 से 5000 के बीच होना चाहिए। शोध आलेख के साथ 100-150 शब्दों में शोध आलेख का सारांश भी अनिवार्य है।
- विशेष परिमाण संख्या जैसे 2 प्रतिशत या 5 किलोमीटर को सूचित करने के अतिरिक्त इकाई अंकों (1-9) को शब्दों में ही लिखें जबकि दहाई एवं उससे अधिक की संख्या को अंकों में लिखें।
- किसी भी वर्तनी के लिए एकरूपता महत्वपूर्ण होती है। सम्पूर्ण रचना में एक ही शब्द को विभिन्न प्रकार से नहीं लिखा जाना चाहिए। इसमें प्रचलन और तकनीकी सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- रचना में उद्धृत वाक्यांशों को दोहरे उद्धरण चिह्न ("...") के मध्य दें। यदि उद्धृत अंश तीन वाक्यों से अधिक का हो तो उसे अलग पैरा में दें। उद्धृत अंश में लेखन की शैली और वर्तनी में कोई भी परिवर्तन अपनी ओर से न करें।
- सभी टिप्पणियाँ एवं सन्दर्भ शोध आलेख के अंत में दिये जाएँ तथा शोध आलेख में यथास्थान उनका आवश्यक रूप से उल्लेख करें। सन्दर्भ सूची में किसी भी सन्दर्भ का अनुवाद करके न लिखें। सन्दर्भों को उनकी मूल भाषा में ही रहने दें। यदि सन्दर्भ में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का मिश्रण हो तो सन्दर्भ को लिप्यान्तरित कर देवनागरी लिपि में ही लिखें।
- समसामयिक प्रासंगिकता, स्पष्ट एवं तार्किक विश्लेषण, सरल एवं बोधगम्य भाषा, उचित प्रविधि आदि शोध आलेख के प्रकाशन हेतु स्वीकृति के मानदण्ड होंगे। प्राप्त रचनाओं की समीक्षा प्रकाशन से पूर्व विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। यदि समीक्षक रचना में संशोधन हेतु अभिमत देते हैं तो रचनाकार को वांछित संशोधन करने होंगे। किसी भी शोध आलेख को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादक का होगा।
- पत्र व्यवहार का पता : सम्पादक, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, 6, प्रो. रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन - 456010 (म.प्र.)।

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा उच्च शिक्षा मन्त्रालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित स्वायत्त शोध संस्थान है। कार्य एवं स्वरूप की दृष्टि से मध्यप्रदेश में यह अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है। समाज विज्ञानों में समकालीन अन्तरशास्त्रीय संदृष्टि को बढ़ावा देते हुए समाज विज्ञान मनीषा का सशक्त संवाहक बनना संस्थान का मूल उद्देश्य है।

अपनी संस्थापना से ही यह संस्थान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं विकास की विभिन्न समस्याओं, मुद्दों और प्रक्रिया ओं पर अन्तरशास्त्रीय शोध को संचालित और प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत महत्त्व की शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है।

संस्थान की शोध गतिविधियाँ मुख्यतः पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित मुद्दे, विकास एवं संस्थापन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र एवं मानवाधिकार, सूचना तकनीकी तथा समाज, शिक्षा एवं बाल अधिकार एवं नवीन आर्थिक नीतियाँ आदि संकेन्द्रण क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं।

परिसंवादों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि अकादमिक अनुष्ठानों का आयोजन, समाज विज्ञानों में अनुसन्धानपरक नवोन्मेष एवं नवाचारों का प्रवर्तन, मन्त्रालयों एवं अन्य सामाजिक अभिकरणों को परामर्श एवं शोधपरक सहयोग प्रदान करना संस्थान की अन्य प्रमुख गतिविधियाँ हैं। संस्थान में एक संवर्द्धनशील पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र है जिसमें समाज विज्ञानों पर पुस्तकें, शोध जर्नल्स और प्रलेख उपलब्ध हैं।

संस्थान शोध कार्यों को अवसरिक पत्रों, विनिबन्धों, शोध-पत्रों एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त दो षाण्मासिक शोध जर्नल - मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज़ (अँग्रेजी) एवं मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल (हिन्दी) का प्रकाशन भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में
पं.क्र. MPHIN/2003/10172 द्वारा पंजीकृत

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के लिए
डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा
6, रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) से
प्रकाशित एवं मुद्रित